वर्ष : 3, अंक : 11

जुलाई-सितम्बर 2019

हिन्दुस्तानी भाषा भारती

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित त्रैमासिक पत्रिका)

विशेष :

नई शिक्षा नीति में हिन्दी सहित अन्य भारतीय भाषाओं की स्थिति

अवधी भाषा और उसका साहित्य

वर्ष : 3, अंक : 11

हिन्दुस्तानी भाषा भारती

मूल्य : 30 रुपये

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित त्रैमासिक पत्रिका)

सम्पादक
सुधाकर बाबू पाठक

प्रबन्ध सम्पादक : **सविता चड्ढा**
सह सम्पादक : **विजय कुमार शर्मा**
: **सागर समीप**
उप सम्पादक : **राजकुमार श्रेष्ठ**
: **डॉ. बीना राघव**
प्रवक्ता : **बृजेश द्विवेदी**
कानूनी सलाहकार : **अमरनाथ गिरि**
वित्तीय सलाहकार : **राम सिंह मेहता**

सम्पादकीय सहयोग
सुरेखा शर्मा, सरोज शर्मा, सुषमा भण्डारी
नीतू पांचाल, शकुन्तला मित्तल, सीमा सिंह
भूपिंद्र सेठी, डॉ. विदुषी शर्मा

कार्यालय :
हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी
3675, राजा पार्क, रानी बाग, दिल्ली-110034
ई-मेल : info@hindustanibhashaakadami.com
hindustanibhashabharati@gmail.com
वेबसाइट : www.hindustanibhashaakadami.com
सम्पर्क सूत्र : 09873556781, 09968097816

- पत्रिका में प्रकाशित लेखों में लेखकों के अपने विचार हैं । प्रकाशक का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है ।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में ही किया जाएगा ।
- सम्पादन एवं संचालन पूर्णत: अवैतनिक और अव्यावसायिक है ।

प्रकाशक, सम्पादक व मुद्रक सुधाकर बाबू पाठक द्वारा स्वामी हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी ट्रस्ट, 3675, राजा पार्क, शकूर बस्ती, दिल्ली-110034 के लिए प्रकाशित और सन्नी प्रिन्टर्स, बी-234, नारायणा इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110028 से मुद्रित ।

विषय सूची

संपादकीय : सुधाकर पाठक 04
विशेष रिपोर्ट : हिन्दी अकादमी, दिल्ली का वार्षिक सम्मान अर्पण समारोह 05
परिचर्चा : 'नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं की स्थिति' 07
परिचर्चा : 'महात्मा गाँधी : शिक्षा, संस्कृति और भारतीय भाषाएँ' 09
रिपोर्ट : मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह, गुरुग्राम 11
साक्षात्कार : सुश्री आशना कन्हाई, राजदूत. सूरीनाम गणराज्य 13
साक्षात्कार : सुश्री चित्रा मुद्गल, वरिष्ठ साहित्यकार 17
साक्षात्कार : श्री निशान्त जैन, प्रशासनिक सेवा अधिकारी (आई.ए.एस.) 20
साक्षात्कार : डॉ. रमा शर्मा, प्राचार्या, हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय 24
अवधी भाषा और उसका साहित्य - केशव मोहन पाण्डेय 27
रिपोर्ट : भाषा गौरव शिक्षक सम्मान समारोह एवं काव्योत्सव 30
अवधी भाषा-कुछ महत्वपूर्ण आयाम व विशेषताएँ-प्रो. शरद नारायण खरे 31
नई शिक्षा नीति एवं त्रिभाषा सूत्र - मेजर सरस त्रिपाठी 33
अखबारों की भ्रष्ट भाषा - प्रो. कृष्ण कुमार गोस्वामी 34
बहुप्रतीक्षित शिक्षा नीति से जगी नई आस - सुनील बादल 35
क्यों गिर रहा है भाषा का स्तर ? - प्रो. ऋषभ देव शर्मा 37
मातृभाषा के भूलते जाने पर कोई शोकगीत क्यों नहीं ? - मनीष वैद्य 39
शिशु की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो - गौरी शंकर वैश्य 'विनम्र' 41
प्रतियोगी परीक्षाएँ: आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता-आशीष अग्निहोत्री 43
नई शिक्षा नीति लागू करने की चुनौती - अरविन्द जयतिलक 44
वाचिक परम्परा का ह्रास और लुप्त होती भाषाएँ - डॉ. मृणालिका ओझा 46
भारत और नेपाल के सम्बंध में अवधी का योगदान - मिथिलेश जायसवाल 48
रिपोर्ट : देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार में राष्ट्रीय संगोष्ठी 49
आगामी आयोजन : मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह, दिल्ली 50

सम्पादकीय

'संकीर्ण राजनीति की शिकार है हिन्दी'

सुधाकर पाठक
सम्पादक एवं अध्यक्ष,
हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

14 सितम्बर, 2019 को हिन्दी दिवस के दिन विज्ञान भवन के मंच से भारत के वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह ने 'एक राष्ट्र-एक भाषा' के महत्व को दर्शाते हुए कहा कि 'पूरे देश की एक भाषा' होना जरुरी है जो एकता की डोर में बांधे... भारत की पहचान बने । यह काम हिन्दी ही कर सकती है, जिसकी आज आवश्यकता भी है और अनिवार्यता भी । उन्होंने यह भी कहा कि 'आज हिन्दी दिवस के अवसर पर मैं देश के सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि हम अपनी-अपनी मातृभाषा के प्रयोग को बढ़ाएं और साथ में हिन्दी भाषा का भी प्रयोग कर देश की एक भाषा के पूज्य बापू और लौह पुरूष सरदार पटेल के स्वप्न को साकार करने में योगदान दें । विश्व के सभी संप्रभुता संपन्न देशों में एक राष्ट्रभाषा है । प्रत्येक देश में बहुत सी बोलियां बोली जाती हैं तथा स्थानीय स्तर पर दैनिक व्यवहार उन्हीं बोलियों और भाषाओं में संपन्न होता है और उन सबके मध्य से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझी जाने वाली कोई एक भाषा सर्वस्वीकृत होकर राष्ट्रभाषा बन जाती है । आज विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिसकी एक प्रतिनिधि भाषा नहीं हैं । भाषा के रूप में हिन्दी जनमानस की स्वीकार्य भाषा है यह भी अकाट्य सत्य हैं । गृहमंत्री के इस कथन में कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि देश में एक ही भाषा रहेगी और शेष भारतीय भाषाओं को समाप्त कर दिया जायेगा । इस कथन का आशय है कि एक देश में विभिन्न भाषाओं के बीच एक ऐसी भाषा होनी ही चाहिए जिसमें देश के सभी नागरिक परस्पर संवाद कर सकें और वह भाषा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र की अस्मिता की पहचान बने । हमें देश की सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और अधिकाधिक भाषाओं को सीखना चाहिए । गृहमंत्री की के इस साधारण से बयान पर दक्षिण के राज्यों में उबाल आ गया । यह उबाल ठीक वैसा ही था जब नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव में हिन्दी को अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित करने की बात कही गई थी और उनके विरोध के चलते सरकार को उसमें तुरंत बदलाव करना पड़ा था ।

वर्ष 1967 में इस हिन्दी विरोधी आंदोलन पर चढ़कर डी.एम. के. तमिलनाडु की सत्ता हासिल करने में कामयाब हो गई। इसी के साथ हिन्दी विरोध दक्षिण, खासकर तमिलनाडु की राजनीति का एक आवश्यक उपकरण बन गया जो आज भी यथावत कायम है। आज भी वहां के नेताओं को हिन्दी विरोध में अपने लिए राजनीतिक लाभ की संभावनाएं दिखाई देती हैं जिस कारण वे तथ्य और यथार्थ से परे आँख बंद करके हिन्दी संबंधी किसी भी बात का विरोध करने लगते हैं। यही कारण है कि अभी नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा नीति की चर्चा आते ही हिन्दी थोपने की बात कहते हुए राज्य से विरोधी आवाजें उठने लगीं और अब हिन्दी दिवस के अवसर पर गृहमंत्री की 'एक राष्ट्र-एक भाषा' के पूर्ण अर्थ को समझे बिना ही विरोध प्रदर्शन होने लगे । यह जानते हुए भी कि अब समय आ गया है कि हिन्दी के बिना उन्नति संभव नहीं है । दक्षिण के राज्यों के लोगों को अपने प्रदेश से निकलकर नौकरियों और व्यवयाय के लिए जब पूरे देश में जाना होगा तब यही हिन्दी भाषा उनकी मददगार होगी लेकिन हिन्दी के इस विरोध में उन्हें अपनी राजनीति और वोट नजर आते हैं, इसलिए विरोध करना उनकी मजबूरी है ।

इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम इस वर्ष को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयन्ती वर्ष के रूप में पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में धूमधाम से मना रहे हैं । अपने दोहरे चरित्र के कारण हम लम्बे समय से अपनी सुविधानुसार गाँधी का उपयोग करते आ रहे हैं और यह उनके भाषा चिंतन के साथ भी हुआ है। महात्मा गांधी को इस बात का अत्यधिक सदमा था कि भारत जैसे बड़े और महान राष्ट्र की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विखंडित पड़े संपूर्ण भारत को एकसूत्र में बांधने के लिए, उसे संगठित करने के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता का अहसास करते हुए कहा था- 'राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है।' उन्होंने भारतवर्ष के इस गूंगेपन को दूर करने के लिए भारत के अधिकतम राज्यों में बोली एवं समझी जाने वाली हिन्दी भाषा को उपयुक्त पाकर संपूर्ण भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित, स्थापित किया। गांधीजी ने कहा था कि- राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सहज और सुगम हो । जो धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में माध्यम भाषा बनने की शक्ति रखती हो । जिसको बोलने वाला बहुसंख्यक समाज हो, जो पूरे देश के लिए सहज रूप से उपलब्ध हो । अंग्रेजी किसी तरह से इस कसौटी पर खरी नहीं उतर पाती।

कुल मिलाकर बात यही निकलती है कि दक्षिण की हिन्दी विरोधी राजनीति को रोकने के लिए केंद्र को दृढ़ता एवं हिन्दी भाषी लोगों को दक्षिण भारतीय भाषाओं के प्रति रुचि दिखानी होगी । अभी विरोधों के कारण जिस तरह से केंद्र ने शिक्षा नीति के प्रस्ताव में संशोधन कर दिया, यह रुख सही नहीं है। इससे समस्या खत्म नहीं होगी। केंद्र को दृढ़तापूर्वक दक्षिण खासकर तमिलनाडु में हिन्दी को स्थापित करने के लिए बिना किसी प्रकार के दबाव में आए कदम उठाने चाहिए। दक्षिण भारतीयों को एक बार यह समझ में आ गया कि हिन्दी से उनकी मातृभाषा को कोई खतरा नहीं है, तो वे इसे स्वीकारने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। मगर उन्हें ये तब तक समझ नहीं आएगा, जब तक हिन्दी वहां पहुंचेगी नहीं। एक बार तमिलनाडु में हिन्दी का पढ़ना-लिखना शुरू हो गया तो फिर कोई राजनीतिक दल या नेता हिन्दी विरोध को हवा नहीं दे पाएंगे । आज हिन्दी अपनी शक्ति से विश्व स्तर पर निरंतर प्रतिष्ठित हो रही है । हिन्दी स्वयंप्रभा है, वह सत्ता की नहीं जनता की भाषा है और व्यापक जनसमर्थन से सम्पन्न है। अहिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी विरोधी तथाकथित राजनेताओं के दुराग्रह पूर्ण भाषण भले ही उनके थोड़े से क्षेत्र में हिन्दी के प्रसार की गति धीमी कर लें किन्तु विश्व-स्तर पर उसके बढ़ते पगों को थामने की सामर्थ्य उनमें नहीं है ।

विशेष रिपोर्ट

हिन्दी अकादमी, दिल्ली सरकार का वर्ष 2018-19 का वार्षिक सम्मान समारोह

हिन्दी अकादमी, दिल्ली सरकार द्वारा श्री सुधाकर पाठक को हिन्दी भाषा के लिए 'विशिष्ट योगदान सम्मान'

हिन्दी अकादमी का 'शलाका सम्मान' श्री विश्वनाथ त्रिपाठी और 'विशिष्ट योगदान सम्मान' श्री सुधाकर पाठक को एवं 'शिखर सम्मान' आ० शीला झुनझुनवाला को मिला ।

हिन्दी अकादमी, दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 का सम्मान अर्पण समारोह सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 को कमानी सभागार, मंडी हाउस में सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उप-मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, श्री मनीष सिसोदिया जी के साथ हिन्दी अकादमी के उपाध्यक्ष एवं विख्यात हास्य कवि, पद्मश्री सुरेन्द्र शर्मा जी, हिन्दी अकादमी के सचिव डॉ. जीतराम भट्ट जी एवं शलाका सम्मान से सम्मानित डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी जी मंचासीन थे। दीप प्रज्जवलन के बाद सम्मान समारोह को विधिवत रूप से आरम्भ किया गया। हिन्दी अकादमी के प्रतिष्ठित 'शलाका सम्मान' से डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी जी को सम्मानित किया गया । सम्मान स्वरूप उन्हें पुष्पगुच्छ, शॉल, ताम्रपत्र, सम्मान पत्र एवं पाँच लाख के सम्मान राशि भेंट की गई। सुश्री शीला झुनझुनवाला को 'शिखर सम्मान' से सम्मानित किया गया । हिन्दी भाषा के संवर्द्धन और प्रचार-प्रसार के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष, श्री सुधाकर पाठक को 'विशिष्ट योगदान सम्मान' से सम्मानित किया गया। माननीय उप-मुख्यमंत्री, श्री मनीष सिसोदिया के हाथों उन्हें पुष्पगुच्छ, शॉल, ताम्रपत्र, सम्मान पत्र एवं एक लाख की सम्मान राशि भेंट की गई। समारोह में श्री माणिक वर्मा को काव्य सम्मान, डॉ. श्यौराज सिंह बेचैन को 'गद्य विद्या सम्मान', डॉ. यतीश अग्रवाल को 'ज्ञान-प्रौद्योगिकी सम्मान', डॉ. घमंडी लाल अग्रवाल को 'बाल साहित्य सम्मान', प्रो. राधावल्लभ त्रिपाठी को 'नाटक सम्मान', श्री वरुण ग्रोवर को 'हास्य-व्यंग्य सम्मान', श्री हरजेन्द्र चौधरी को 'अनुवाद सम्मान', श्री सुप्रिय प्रसाद को 'पत्रकारिता सम्मान (इलेक्ट्रॉनिक)', श्री सलिल चतुर्वेदी को 'हिन्दी सेवा सम्मान' एवं डॉ. पृथ्वी सिंह (गढ़वाली) को 'सहभाषा सम्मान' से सम्मानित किया गया। सभी को सम्मान-स्वरूप पुष्प गुच्छ, शॉल, ताम्रपत्र, सम्मान-पत्र और एक-एक लाख की सम्मान राशि भेंट की गयी।

सम्मान अर्पण के समय सभागार लगातार तालियों से गुंजायमान रहा। विभिन्न क्षेत्र के बुद्धिजीवियों, विद्वतजनों, शिक्षक वर्ग, साहित्यकार, रंगकर्मी, भाषा प्रेमी, पत्रकार एवं युवा लेखकों से सभागार शोभायमान था।

हिन्दी अकादमी, दिल्ली सरकार के वर्ष 2018-19 के वार्षिक पुरस्कार के कुछ चित्र

विशेष रिपोर्ट दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में

परिचर्चा : नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं की स्थिति

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी एवं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधन में रविवार, 21 जुलाई 2019 को अमीर खुसरो सभागार, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली में नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं की स्थिति पर परिचर्चाका आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम में देश के प्रबुद्ध शिक्षाविदों, विख्यात वक्ताओं, विषय विशेषज्ञों, विभिन्न संचार माध्यमों के पत्रकारों, जाने-माने साहित्यकारों ने अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किये ।

के. कस्तुरीरंगन समिति ने माननीय मानव संसाधन मंत्री, श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' को नई शिक्षा नीति-2019 का प्रारूप सौंपने के बाद देश में शायद ही इतने समृद्ध मंच पर किसी संस्था ने इस पर गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया हो । यह परिचर्चा विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण रही । इस परिचर्चा में प्रश्नोत्तर सत्र भी रखा गया था जहाँ विभिन्न विद्यालयों के भाषा शिक्षकों ने विशिष्ट वक्ताओं के सामने अपनी-अपनी जिज्ञासाओं को रखा और वहीं विषय विशेषज्ञ वक्ताओं ने उन पर विस्तृत रूप से चर्चा की । मानव संसाधन मंत्रालय ने 31 जुलाई 2019 तक नई शिक्षा नीति पर विभिन्न शैक्षिक संस्थानों, बुद्धिजीवियों, विचारकों, शिक्षाविदों, पत्रकारों, शिक्षकों एवं अभिभावकों से अपने सुझाव देने के लिए कहा, अत : अकादमी ने भी अपने सुझाव भेजने हेतु उपस्थित सभी अतिथियों से हस्ताक्षर लिए। इस परिचर्चा सत्र में विशिष्ट वक्ताओं के रूप में वरिष्ठ पत्रकार तथा भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन के पक्षधर श्री राहुल देव, सुविख्यात हास्य कवि एवं हिन्दी अकादमी, दिल्ली के उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र शर्मा, लेखिका, पत्रकार एवं जेल सुधारक डॉ. वर्तिका नन्दा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष तथा केंद्रीय हिन्दी निदेशालय, दिल्ली के निदेशक श्री अवनीश कुमार, उ. प्र. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रो. विशेष कुमार गुप्ता, शिक्षाविद, लेखिका एवं हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय की निदेशक प्रो. कुमुद शर्मा, पत्रकार एवं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष श्री दिनेश तिवारी तथा हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक ने नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं की स्थिति पर अपने-अपने वक्तव्य दिये ।

सरोज शर्मा
सलाहकार

इस परिचर्चा में राज्यों के शैक्षिक संस्थानों में त्रिभाषा सूत्र की नई चुनौतियाँ, विद्यालयी स्तर पर मातृभाषा शिक्षा का प्रावधान, आठवीं अनुसूची और नीतिसंगत प्रावधान, नैतिक मूल्य-मान्यताओं पर आधारित शैक्षिक पाठ्यक्रम, भाषा संरक्षण में विद्यालय के शिक्षकों की भूमिका जैसे कई गंभीर विषयों पर चर्चा हुई । वरिष्ठ पत्रकार श्री राहुल देव जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि वर्तमान समय में भारतीय भाषाओं की स्थिति बहुत ही संवेदनशील है । देश के कई राज्यों की क्षेत्रीय भाषाएँ लुप्त हो चुकीं हैं और कई भाषाएँ लुप्त होने की स्थिति में हैं । अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व के कारण भाषाओं का कत्ल हो रहा है और यह आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं जिससे यह तय किया जा सकता है कि 2050 में भारतीय भाषाओं की स्थिति कितनी दयनीय होगी । उन्होंने नई शिक्षा नीति के प्रारूप के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को सभागार में उपस्थित सभी श्रोताओं से भी साझा किये । वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष तथा केंद्रीय हिन्दी निदेशालय, दिल्ली के निदेशक श्री अवनीश कुमार जी ने कहा कि संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है लेकिन इस सूची में सम्मिलित होने के लिए कई अन्य भाषाओं के सरोकार वाले पक्ष भी सरकार पर दबाव बना रहें हैं । भाषाओं को लेकर राजनीति करने की बजाय सरकार को एक नीतिसंगत प्रावधान को लागू करना चाहिए कि किन-किन स्थितिओं में भाषाओं को इस सूची में क्रमबद्ध किया जा सकता है और किन-किन भाषाओं को संरक्षण के अधीन लेना चाहिए ।

प्रो. विशेष कुमार गुप्ता ने विद्यालयी स्तर पर मातृभाषा शिक्षा के प्रावधान पर विशेष जोर दिया । उन्होंने मातृभाषा शिक्षा के महत्त्व

पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए मातृभाषा शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है । प्रो. कुमुद शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए दक्षिण भारत में हिन्दी की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत रूप से विश्लेषण किया । उन्होंने तमिलनाडु राज्य में हिन्दी भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में लेकर उठे विवादों का जिक्र भी किया । डॉ. वर्तिका नंदा ने नई शिक्षा नीति में शिक्षा के साथ-साथ शिक्षकों की भूमिका के बारे में भी चर्चा की। सुविख्यात हास्य कवि एवं हिन्दी अकादमी, दिल्ली के उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र शर्मा ने कहा कि जब तक हिन्दी को पेट से नहीं जोड़ा जायेगा तब तक हिन्दी का विकास दिवास्वप्न देखने जैसा है । हिन्दी हमें संस्कारों से जोड़ती है और सभ्य समाज के लिए संस्कारों का होना अत्यावश्यक है।

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष श्री दिनेश तिवारी ने मातृभाषा शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति में माध्यमिक स्तर तक मातृभाषा शिक्षा को लागू करना चाहिए। वैश्विक स्तर पर विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि मातृभाषा में विद्यार्थी विषयों को भली-भांति समझता है और बहुत तेजी से सीखता है । शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने से विद्यार्थी पढ़ाये गए विषयों के प्रति कोई रूचि नहीं ले पाता साथ ही वह विदेशी भाषा को सीखने में अपनी दुगुनी मानसिक श्रम शक्ति का उपयोग करता है। इससे उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है और साथ ही अन्य विषयों में भी विद्यार्थी कमजोर हो जाता है । हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष, श्री सुधाकर पाठक ने त्रिभाषा सूत्र की नई चुनौतियों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से हम यह उम्मीद करते हैं कि दक्षिण भारत के लोग हिन्दी सीखें उसी तरह हिन्दी भाषी राज्यों को भी दक्षिण भारत की कोई एक भाषा अवश्य सीखनी चाहिए । ऐसा करने से ही आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़ सकता है । दक्षिण भारत के राज्यों को यह ना लगे कि हिन्दी उनके ऊपर जबरदस्ती थोपी जा रही है बल्कि आज उनकी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है और यह तभी संभव होगा जब भाषायी सौहार्द बढ़ेगा ।

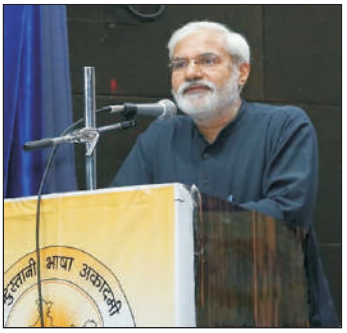

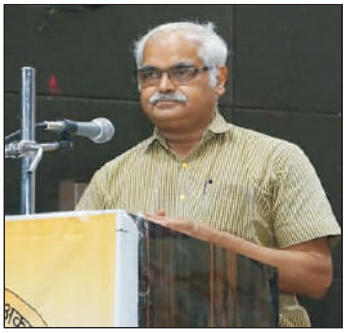

रिपोर्ट

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के संयुक्त तत्वावधान में
महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती के अवसर पर द्वि-दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी

'महात्मा गाँधी : शिक्षा, संस्कृति और भारतीय भाषाएँ'

सुषमा भण्डारी
सलाहकार

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की हिन्दी अध्ययनशाला एवं गाँधी अध्ययन केन्द्र तथा हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी, दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में महात्मा गाँधी की 150 वीं जयंती वर्ष के अवसर पर द्वि-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी- 'गाँधी : शिक्षा, संस्कृति और भारतीय भाषाएँ' का 21 सितम्बर 2019 को वाग्देवी भवन स्थित राष्ट्रभाषा सभागार में शुभारंभ किया गया । उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता के रूप में कुलपति प्रो. बालकृष्ण शर्मा, विशिष्ट अतिथियों के रूप में हरियाणा साहित्य अकादमी की पूर्व निदेशक एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. मुक्ता, प्रवासी संसार पत्रिका के संपादक एवं लेखक डॉ. राकेश पाण्डेय, विक्रम विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रो. शैलेंद्र कुमार शर्मा, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष, सुधाकर पाठक, मुख्य समन्वयक, प्रो. गीता नायक एवं प्रो. प्रेमलता चुटैल मंचासीन थे । विशिष्ट अतिथि के रूप में अपना वक्तव्य देते हुए डॉ. राकेश पाण्डेय ने कहा कि गाँधी जी भाषा और संस्कृति को लेकर बहुत सजग थे । विदेश में रहते हुए भी उन्होंने चार भाषाओं में अखबारों का प्रकाशन किया । भारतीय भाषाएँ और संस्कृति को लेकर वह कटिबद्ध थे और इसके प्रचार-प्रसार के लिए सदैव तत्पर रहे । गाँधी जी के प्रयासों द्वारा ही विदेशों में स्थापित आश्रमों में भारतीय भाषाएँ और संस्कृति की पढ़ाई होती थी । विशिष्ट अतिथि डॉ. मुक्ता ने कहा कि गाँधी जी समानता के पक्षधर थे और इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने साम्राज्यवाद के विरुद्ध बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी । भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में गाँधी जी ने प्रमुख भूमिका निभाई थी । अंततः उनके अथक योगदान से देश स्वतंत्र हुआ । हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक ने अकादमी का परिचय देते हुए अकादमी के उद्देश्यों और गतिविधियों को सभागार में उपस्थित प्रबुद्ध एवं विद्वत जनों से साझा किया । उन्होंने कहा कि अकादमी भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन और प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित स्व-वित्तपोषित संस्था है । अकादमी का उद्देश्य मंच, माला, माइक, कविता, गोष्ठी, चुटकलेबाजी या फूहड़ता का आयोजन करना नहीं है बल्कि जमीनी स्तर से ही भाषा के संरक्षण, संवर्द्धन और प्रचार-प्रसार के लिए कार्य करना है । इसके लिए प्रत्येक वर्ष अकादमी कुछ महत्वपूर्ण आयोजन करती है जिसमें प्रमुख रूप से 'मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह', 'भाषा गौरव शिक्षक सम्मान', शिक्षकों के लिए कार्यशालाएँ, राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन करती है । अकादमी का मानना है कि विद्यार्थी भाषा की जड़ें हैं और शिक्षक विद्यालय और विद्यार्थियों के बीच एक मजबूत सेतु का काम करता है । यदि भाषा को बचाना है तो पत्तों पर पानी डालने से नहीं बल्कि जड़ों को सींचना होगा । इस अवसर पर हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका 'हिन्दुस्तानी भाषा भारती' का भी लोकार्पण किया गया । कुलपति प्रो. बालकृष्ण शर्मा ने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि वाक् अथवा वाणी देवी का रूप है और इस दृष्टि से सभी भाषाएँ देवी हैं । भारत एक वैविध्यपूर्ण देश है । यहाँ भिन्न-भिन्न भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं । भाषा और संस्कृति का यह विविध सौन्दर्य भिन्न-भिन्न रंग और सुवास लिए पुष्पों की माला है और हिन्दी इन सभी भाषाओं को पिरोने का काम करती है । गाँधी जी का शिक्षा दर्शन व्यापक था । शिक्षा के चार चरण होते हैं । पहले पढ़ो, समझो, फिर आचरण करो और अंत में प्रचार करो । गाँधी जी ने शिक्षा के इन्हीं चरणों को आत्मसात किया था । प्रो. शैलेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि गाँधी जी का शैक्षिक और सांस्कृतिक चिंतन व्यापक मानवीयता के आधार पर खड़ा है । संस्कृति और धर्म के गहन अर्थ और भाव को लेकर जीने वाला उनके जैसा कोई अन्य व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता जो संकीर्ण धारणा रखे बिना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन पर इसका उपयोग करता हो । विश्व में कई नेतृत्वकर्ता हुए जिन्होंने व्यापक परिवर्तन की लहर पैदा की किन्तु गांधी जी की विचारधारा की तरह वह सार्वकालिक नहीं हो पाए । गाँधी जी का सांस्कृतिक पक्ष इतना संबल था कि वह आज भी सांदर्भिक और प्रासंगिक लगता है । इस भव्य राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश के 10 राज्यों से अधिक शोधार्थी सम्मिलित थे । उद्घाटन के पश्चात

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में 'हिन्दुस्तानी भाषा भारती' पत्रिका के अंक का लोकार्पण करते हुए कुलपति प्रो. बालकृष्ण शर्मा एवं अन्य अतिथिगण

तकनीकी सत्र की अध्यक्षता डॉ. हरेराम बाजपेयी ने की । तकनीकी सत्र में विभिन्न शोधार्थियों ने शोध पत्रों का वाचन किया । राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना द्वारा प्रकाशित एवं श्री प्रभुलाल चौधरी द्वारा संपादित स्मारिका का लोकार्पण भी किया गया । उद्घाटन सत्र में स्वागत वक्तव्य प्रो. गीता नायक ने दिया । संचालन डॉ. जगदीश चन्द्र शर्मा ने किया एवं आभार प्रो. प्रेमलता चुटैल ने व्यक्त किया । संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में सुधी चित्रकार डॉ. मुक्ति परासार, कोटा के संयोजन में आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी 'एक ब्रश राष्ट्र के नाम' विशेष आकर्षण का केन्द्र रहा । दूसरे दिन की संगोष्ठी को तीन सत्रों में विभाजित किया गया था । प्रथम सत्र की अध्यक्षता हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी की सलाहकार एवं साहित्यकार श्रीमती सुरेखा शर्मा ने की। अकादमी की सदस्य श्रीमती शकुंतला मित्तल, श्रीमती सुषमा भंडारी, विक्रम विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रो. शैलेन्द्र कुमार शर्मा, मंचासीन थे । द्वितीय सत्र की अध्यक्षता हरियाणा साहित्य अकादमी की पूर्व निदेशक एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. मुक्ता ने की । मंचासीन अतिथियों के रूप में श्री शशि मोहन श्रीवास्तव, पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन, हिन्दुस्तानी भाषा भारती पत्रिका के सह-संपादक श्री विजय कुमार शर्मा, उप संपादक श्री राज कुमार श्रेष्ठ, प्रो. शैलेन्द्र कुमार शर्मा, संगोष्ठी के समन्वयक प्रो. जगदीशचन्द्र शर्मा मंचासीन थे । विभिन्न राज्यों से आए हुए शिक्षाविदों, भाषा प्रेमी एवं शोधार्थियों द्वारा गाँधी के विविध विषयों पर मंथन किया गया । समापन के तीसरे सत्र में हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष, श्री सुधाकर पाठक ने कहा कि गाँधी के विचारों को आत्मसात करने और उसे व्यवहार में लाने से ही ऐसे आयोजन सार्थक होंगे । उन्होंने उज्जैन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के साथ सह-आयोजन करने का अवसर प्रदान करने पर कुलपति प्रो. बालकृष्ण शर्मा, हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रो. शैलेंद्र कुमार शर्मा, मुख्य समन्वयक प्रो. गीता नायक, प्रो. प्रेमलता चुटैल एवं डॉ. जगदीश चन्द्र शर्मा जी का आभार व्यक्त किया । द्वि-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी की 15 सदस्यीय टीम, जिसमें प्रमुख रूप से अकादमी के अध्यक्ष, श्री सुधाकर पाठक, डॉ. रमेश तिवारी, श्री विजय कुमार राय, श्री विजय कुमार शर्मा, श्री राजकुमार श्रेष्ठ, डॉ. मुक्ता, श्रीमती सुरेखा शर्मा, श्रीमती सरोज शर्मा, श्रीमती शकुंतला मित्तल, श्रीमती सुखवर्षा पाठक, श्रीमती सरिता गुप्ता, डॉ. मनीषा शर्मा एवं श्रीमती नीतू पांचाल सम्मिलित थे ।

विशेष रिपोर्ट

मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह, गुरुग्राम

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा गुरुग्राम (हरियाणा) के एक भव्य समारोह में लगभग 870 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया।

हिन्दी विषय में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले 31 मेधावी छात्रों को 'भाषा रत्न सम्मान -2019' से विभूषित किया गया। वर्ष 2018-19 की बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को 'भाषा दूत सम्मान-2019' से अलंकृत किया गया। सर्वाधिक प्रविष्टि भेजने के लिए डी.पी.एस.जी. स्कूल,पालम विहार, गुरुग्राम को 'भाषा प्रहरी सम्मान' से सम्मानित किया गया।

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा अपनी वार्षिक सम्मान योजना के अंतर्गत शनिवार, 7 सितंबर, 2019 को स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल के सभागार में गुरुग्राम (हरियाणा) के 30 विद्यालयों के लगभग 870 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। दीप प्रज्जवलन और सामूहिक राष्ट्रगान से कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरूआत की गई। इस अवसर पर हिन्दी विषय में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले 31 मेधावी छात्रों को 'भाषा रत्न सम्मान-2019' से विभूषित किया गया। वर्ष 2018-19 की बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को 'भाषा दूत सम्मान-2019' से अलंकृत किया गया, वहीं सर्वाधिक प्रविष्टियाँ भेजने के लिए डी.पी.एस.जी. स्कूल, पालम विहार, गुरुग्राम को 'भाषा प्रहरी सम्मान' से सम्मानित किया गया। इस भव्य सम्मान समारोह में मंचासीन अतिथियों के रूप में गुरुग्राम के विधायक श्री उमेश अग्रवाल, हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक, डॉ. पूर्णमल गौड़, हरियाणा साहित्य अकादमी की पूर्व निदेशक, डॉ. मुक्ता, स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल की निदेशक, श्रीमती सुधा गोयल, शिक्षाविद् श्रीमती आशा शर्मा एवं हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक थे। अपने स्वागत उद्बोधन में अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का सम्मान समारोह विशेष उपलब्धिमूलक और सुखद रहा है। पिछले वर्ष यह सम्मान समारोह 30 सितंबर 2018 को गुरुग्राम के राजकीय महिला महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया था जहाँ 450 छात्र-छात्राओं और उनके हिन्दी विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया था। इस वर्ष मेधावी छात्रों की संख्या बढ़कर लगभग 870 हो गयी, जिसमें 31 ऐसे छात्र रहे जिन्होंने हिन्दी विषय में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। पिछले वर्ष शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले केवल 3 छात्र ही थे। इतना ही नहीं इस वर्ष जब विद्यालयों की प्रविष्टियों की पिछले वर्ष की प्रविष्टियों से तुलना की तो यह पाया कि प्रत्येक विद्यालय में भी हिन्दी विषय में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। अकादमी को इस बात की खुशी हो रही है कि हमारे उद्देश्यों और प्रोत्साहन का सकारात्मक संदेश विद्यालयों, छात्रों और अभिभावकों तक पहुँच रहा है। यदि भाषा को बचाना है तो हमें जड़ों को सींचना होगा और भाषा की जड़ें मात्र विद्यालय ही हैं। यदि विद्यालयी स्तर से ही छात्रों में हिन्दी के प्रति सम्मान की भावना अभिप्रेरित की जायेगी तभी हिन्दी का प्रचार-प्रसार सफल हो पाएगा। जिस तरह से छात्रों और युवा वर्ग में हिन्दी भाषा को लेकर जो हीन भावना और वितृष्णा है उसे जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है। उन्हें यह समझाना होगा कि हिन्दी में भी उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। हिन्दी में भी मान-प्रतिष्ठा अर्जित की जा सकती है। अपने अभिभावकों और हिन्दी शिक्षकों के साथ अपने-अपने विद्यालयों की वर्दी में उपस्थित छात्रों से सभागार बड़ा शोभायमान लग रहा था। हिन्दी भाषा के पार्श्व गीतों ने सभागार को गुंजायमान बनाए रखा था। इस महत्वपूर्ण आयोजन में हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी की केन्द्रीय कार्य समिति के सदस्य और शिक्षक प्रकोष्ठ, गुरुग्राम के पदाधिकारी उपस्थित थे जिनमें मुख्य रूप से सर्वश्री विजय कुमार शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ, पुलकित खन्ना, श्रीमती सुरेखा शर्मा, श्रीमती सरोज शर्मा, डॉ. बीना राघव 'वीणा', श्रीमती राज वर्मा, श्रीमती शकुंतला मित्तल, श्रीमती सुषमा भंडारी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम सफल और सार्थक रहा तथा बच्चों और अध्यापकों के साथ-साथ अभिभावकों में भी कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह और उल्लास देखा गया।

सुरेखा शर्मा
सलाहकार

मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह, गुरुग्राम के कुछ चित्र

साक्षात्कार : महामहिम सुश्री आशना कन्हाई, राजदूत, सूरीनाम गणराज्य

भाषा और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन से ही किसी देश की उन्नति संभव है...

सुश्री आशना कन्हाई

सूरीनाम गणराज्य दक्षिण अमरीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित प्राकृतिक सुंदरता का एक अनुपम देश है। सूरीनाम को कुल दस जिलों में विभाजित किया गया है। यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा डच है जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है । इसके अलावा, सरनन टोंगो यहाँ की मुख्य बोलचाल की भाषा है जबकि सूरीनामी हिन्दी यहाँ की तीसरी सबसे बड़ी भाषा के रूप में जानी जाती है जो भोजपुरी का ही एक रूप है। इसके इतिहास की बात करें तो सूरीनाम को 25 नवंबर, 1975 में नीदरलैंड से स्वतन्त्रता मिली थी। सूरीनाम की सामाजिक संरचना बहु-सांस्कृतिक, बहु-जातीय, बहु-भाषीय एवं बहु-धार्मिक विविधता से सम्पन्न है जहाँ कुल जनसंख्या की 27.4 प्रतिशत जनसंख्या केवल हिन्दुओं की है। बहुत संघर्षों के बाद सन् 1975 में सूरीनाम को नीदरलैंड के शासन से स्वतन्त्रता मिली और यहाँ नया संविधान बना । 5 जून, 1873 को, पहली बार कई मजदूर भारत से सूरीनाम की आधुनिक राजधानी पैरामारिबो पहुँचे थे। इसके बाद 1873 से 1916 के वर्षों के दौरान करीब 34,000 से अधिक भारतीय मजदूरों को 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया, उनमें से अधिकतर उत्तर प्रदेश और बिहार से थे । इस समय इनकी पांचवी पीढ़ी वहाँ पर निवास कर रही है । बता दें कि, 17 वीं शताब्दी में सूरीनाम पर ब्रिटिश और डच लोगों का कब्जा था । सूरीनाम में हर साल 5 जून को 'इंडियन अराइवल डे' मनाया जाता है, यानी हिन्दुस्तानियों के पहुँचने का दिन । सूरीनाम की जनसंख्या में 37 प्रतिशत भारतीय और 27.4 प्रतिशत संख्या हिंदुओं की है । वर्तमान में महामहिम सुश्री आशना कन्हाई जी भारत में सूरीनाम के राजदूत के पद पर आसीन हैं । महामहिम सुश्री आशना कन्हाई जी धार्मिक विचारों और भारतीय संस्कृति की प्रबल अनुयायी हैं । आपके पूर्वज भारत के निवासी थे और लगभग 100 वर्ष पूर्व सूरीनाम में बस गए थे । आपका मानना है कि किसी भी देश की भाषा और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन से ही सही मायनों में उस देश की उन्नति हो सकती है, साथ ही युवाओं का भी यह नैतिक कर्तव्य है कि वह इस परंपरा को हस्तांतरित करते रहें । हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के प्रतिनिधि मंडल सर्वश्री सुधाकर पाठक,अध्यक्ष, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी, विजय शर्मा, पुलकित खन्ना एंव राजकुमार श्रेष्ठ ने सूरीनाम दूतावास, नई दिल्ली में आपसे शिष्टाचार भेंट की और अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका "हिन्दुस्तानी भाषा भारती" के लिए आपका साक्षात्कार रिकॉर्ड किया । प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंश: पुलकित खन्ना ।

प्रश्न : नमस्कार ! सर्व प्रथम हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एवं आभार भी व्यक्त करते हैं कि आपने इस मुलाकात का अवसर हमें दिया। आप लगभग छह-सात वर्षों से भारत में सूरीनाम गणराज्य के राजदूत जैसे अति महत्वपूर्ण और गरिमामयी पद पर शोभायमान हैं। भारत में आपका अनुभव कैसा रहा है ?

उत्तर : नमस्कार ! सूरीनाम दूतावास में आपका हार्दिक स्वागत है । भारत और सूरीनाम दो मित्र राष्ट्र हैं। दोनों राष्ट्रों के बीच केवल भौगोलिक दूरियाँ हैं लेकिन भाषा और संस्कृति के रूप में दोनों के बीच प्रगाढ़ संबंध हैं । मैं पिछले सात वर्षों से भारत में हूँ और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है । मुझे भारत में आकर बहुत अपना सा वातावरण मिला । ऐसा लगा कि यह अपना ही देश है । राजदूत होने के कारण मैंने दोनों राष्ट्रों के बीच हुए आपसी समझौतों और कूटनीतिक संबंध और परस्पर विचारों को जाना । भारत को लेकर मेरे मन में बहुत कौतूहल था। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक सम्पदा, धार्मिक रीति-रिवाज, भाषा व्यवहार और सामाजिक संरचना को जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक थी । यहाँ के प्रसिद्ध स्थलों को मैं देखना चाहती थी । मुझे यहाँ की भाषा, संस्कृति, सभ्यता और जीवन से परिचित होने का अवसर मिला । मैं गंगा नदी को देखना चाहती थी । जब पहली बार मैंने गंगा नदी को देखा तो एक अलग ही आनन्द की अनुभूति हुई,और अब हर वर्ष मैं गंगा स्नान के लिए जाती हूँ । ऐसी कई चीजें जो किसी व्यक्ति को सौभाग्य से मिलती हैं वह सभी चीजें मुझे यहाँ आकर मिलीं । इस तरह मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ। यहाँ मुझे बहुत कुछ देखने और सीखने को मिला । अब तक के कार्यकाल में भारत में सुखद अनुभव रहा है।

प्रश्न : आप राजदूत बनने से पहले के अपने जीवन के बारे में हमारे पाठकों को कुछ बताएं ।

उत्तर : राजदूत बनने से पहले मैं एक वकील और लेक्चरार थी । मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी । पढ़ने और लिखने में मेरा अधिक रुझान था । मेरे जीवन का यह सबसे अधिक व्यस्त समय था । मैं बच्चों को समाचार विषय पढ़ाया करती थी और साथ ही "इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल लॉ" समाचार-पत्र में लिखती थी । इस समाचार-पत्र में मेरा एक नियमित कॉलम छपता था ।

प्रश्न : जब एक व्यक्ति दूसरे देश में राजदूत बनकर जाता है तो वह उस देश में अपने देश का न केवल प्रतिनिधित्व करता है बल्कि वह अपने देश की भाषा, संस्कृति, सभ्यता का संवाहक होता है इस बात को आप किस प्रकार से देखती हैं?

उत्तर : जी, मैं आपकी इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ । कोई भी व्यक्ति जब दूसरे देश में प्रस्थान करता है तो वह नितांत अकेला नहीं होता बल्कि वह अपने देश की भाषा, कला, संस्कृति, सभ्यता और संस्कार को भी साथ लेकर जाता है । एक राजदूत की यह सबसे बड़ी भूमिका होती है कि वह विभिन्न माध्यमों से विभिन्न अवसरों पर अपने देश की भाषा, लोक कला, परंपरा, साहित्य, संस्कृति और व्यवहार कुशलता का भी संवाहन करें । प्रत्येक देश की अपनी पृथक सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य-मान्यताएँ होती हैं । जब तक हम अपने देश के विविध पक्षों को नहीं बताएँगे, उनका प्रचार नहीं करेंगे तब तक हमें कोई नहीं जान पाएगा । इस उद्देश्य से मैंने पूरी मेहनत की है कि मैं सूरीनाम की जो संस्कृति है उसे यहाँ पर दिखा सकूँ। मैंने कई बार सूरीनामी खाना बनाया, अपने यहाँ के विद्वानों को बुलाया, ऐसे कई कदम मैंने उठाए हैं जिससे की सूरीनाम और भारत के संबंधों में मधुरता आए और हम लोग एक दूसरे की संस्कृतियों को जाने और पहचाने। भारत और सूरीनाम के जो संबंध हैं वह हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं। भारत हम लोगों के लिए ना सिर्फ एक बड़े भाई की बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इस प्रकार के सभी कार्यों का आयोजन एक राजदूत ही कर सकता है वही दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करता है जिससे दोनों देशों में मित्रता बढ़ती है।

प्रश्न : आपकी दृष्टि में भाषा का क्या महत्व है ? आपके अनुसार किसी भी देश की भाषा का वहाँ की संस्कृति और समाज में क्या स्थान होता है ?

उत्तर : भाषा किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील अंग है । भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव, विचार, अभिव्यक्ति, ज्ञान और कौशल को आपस में संप्रेषित कर पाते हैं । लेकिन भाषा का उद्देश्य केवल भाव सम्प्रेषण तक ही सीमित नहीं होता । भाषा तो संस्कृति की संवाहिनी भी है । भाषा के माध्यम से ही संस्कृति और सभ्यता का प्रचार-प्रसार, संरक्षण और संवर्द्धन संभव हो पाता है । यदि भाषा न होती तो ये सभी कलाएं, संस्कृति, सभ्यता और परंपराएँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी ह्रास होती चली जाती और कालांतर में इनका अस्तित्व ही संकट में आ जाता । भाषा किसी भी देश की वह सम्पदा है जिसके धागे में सभी जाति, धर्म, संस्कृति को पिरोया जा सकता है। इस अर्थ में किसी भी देश की संस्कृति और समाज में भाषा का सर्वोच्च स्थान होता है । सूरीनाम की राष्ट्रीय भाषा डच है । इसके अलावा, यहाँ एक बहुत मृदु भाषा प्रचलित है और वह है भोजपुरी । सूरीनामी भोजपुरी एक मिश्रित भोजपुरी है । भोजपुरी के चलते ही हम लोग हिन्दी समझ लेते हैं जिसके कारण हमारे यहाँ पर बॉलीवुड फिल्में काफी पसंद की जाती हैं । हम लोग हिन्दी के धारावाहिक देख लेते हैं, हिन्दी पढ़ लेते हैं जिससे हम लोगों में भारत को जानने की उत्सुकता बढ़ी है और हम लोग पढ़कर, देखकर और इंटरनेट के जरिए भारत के बारे में जानकारियां प्राप्त करते रहते हैं। मेरा यह मानना है कि हमारी जो भाषाएँ हैं वह हमारे देश की संस्कृति और समाज को विकसित करती है और इसी के साथ-साथ भाषा हमारी संस्कृति को बाकी जगहों पर भी पहुंचाती है।

प्रश्न : आप भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे तीन-तीन देशों में सूरीनाम के राजदूत के पद पर आसीन हैं । बहुत ही कम उम्र में आपने इन सभी दायित्व को संभाला है और अपने कर्तव्यों को पूरी मेहनत और लगन के साथ पूरा किया है । आपको इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है?

उत्तर : "संतोषम् परम सुखम्" मेरे जीवन का एक मंत्र है जिसमें मैं अपनी पूर्ण निष्ठा रखती हूँ । दूसरी बात मैं यह मानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। यदि आपके पास संतोष और भक्ति है तो फिर किसी भी

वस्तु की जरूरत नहीं होती । रही बात कम उम्र की तो हमारे यहाँ उम्र नहीं देखी जाती बल्कि व्यक्ति की योग्यता देखी जाती है कि हम उसे जिस कार्य के लिए भेज रहें हैं वह उस कार्य को करने में सक्षम है या नहीं । इसी योग्यता और विश्वास के चलते मुझे यहाँ पर भेजा गया । शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी और जल्द से जल्द मैं यह सब कुछ छोड़ कर वापस लौट जाऊँ लेकिन फिर मेरे मन में आया कि यदि मुझ पर मेरे देश और सरकार ने इतना भरोसा किया है तो क्यों ना मैं उस भरोसे को बनाए रखूँ । फिर धीरे-धीरे मैंने चीजों को समझना शुरू किया । अपनी जिम्मेदारियों को समझा और सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने की पद्धति को सीखा । तीन वर्षों में ही मैंने अपनी सारी चुनौतियों को पूर्ण किया । इसके बाद तो मुझे अपने काम के प्रति और रुचि बढ़ने लगी। समय के साथ कई परिवर्तन हुए । सूरीनाम की सरकार ने मुझे कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य सौंपें जिसका मैंने सफलतापूर्वक निर्वहन भी किया।

प्रश्न : आप सूरीनाम घाट के बारे में कुछ बताएं, काफी लोगों को उसके बारे में जानने की उत्सुकता है ।

उत्तर : सूरीनाम घाट का प्रकरण कुछ इस प्रकार है कि मैं कोलकाता के घाटों पर गई थी तो वहाँ किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पर आप लोगों का एक मेमोरियल भी है जिसे आपको देखने के लिए जाना चाहिए । पहले मैं काली घाट मंदिर के दर्शन करने गई फिर उसके बाद उस मेमोरियल को देखने गई । वह मेमोरियल उस कालखंड में भारत से गए हुए सभी व्यक्तियों को समर्पित था । वहाँ मैंने यह पाया कि इसमें तो कहीं भी मेरे देश का नाम है ही नहीं । अचानक उसी क्षण कैप्टन के. डी. राव मुझे एक अन्य घाट पर लेकर गए जिसका नाम था सूरीनाम घाट । मुझे एक साथ हैरानी भी हुई और खुशी भी कि इस घाट का नाम मेरे देश के नाम पर है । थोड़ी खोजबीन करने के बाद हमें इसके इतिहास के बारे में पता चला । मेरे मन में विचार आया कि क्यों न हम यहाँ पर सूरीनाम मेमोरियल बनाएँ । उसके बाद मैंने एक प्रस्ताव तैयार करके भारत सरकार और माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी को भेजा । माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने उस प्रस्ताव पर तुरंत कार्यवाही की । फलस्वरूप उनके और भारत सरकार के समर्थन से 2015 में यह स्मारक बनकर तैयार हो गया । वहाँ "बाबा एंड माई"की प्रतिमा लगाई गयी है । यह एक महिला और पुरुष की प्रतिमा है जो कि उस समय भारत से सूरीनाम गए थे ।

प्रश्न : सूरीनाम में हिन्दी की क्या स्थिति है? वहाँ की जो युवा पीढ़ी है वह हिन्दी को किस प्रकार से देखती है ?

उत्तर : सूरीनाम की युवा पीढ़ी बॉलीवुड फिल्मों के माध्यम से हिन्दी सीखती है । हमारा देश एक छोटा-सा देश है जिसकी जनसंख्या लगभग साढ़े छह लाख है जो कि बहुत कम हैं लेकिन इसके बावजूद भी हर वर्ष लगभग 600 विद्यार्थी हिन्दी में अलग-अलग स्तर पर परीक्षा देते हैं । इससे यह ज्ञात होता है कि हमारे युवा पीढ़ी में हिन्दी के प्रति लगाव है । सबसे जरूरी बात यह है कि सूरीनाम में अलग-अलग देशों और संस्कृतियों के लोग हैं, बावजूद इसके सभी को हिन्दी के प्रति बहुत रुचि है । ना सिर्फ भारतीय मूल के लोग बल्कि अन्य लोगों को भी हिन्दी के प्रति रुचि है । इसके अलावा, सूरीनाम में हिन्दी के विकास और प्रचलन में भोजपुरी भाषा का बहुत बड़ा योगदान है । भोजपुरी के कारण ही हम लोग हिन्दी से जुड़ते हैं और हिन्दी हमें शास्त्रों से जोड़ती है । सूरीनाम में शास्त्रों का बहुत महत्व है । इस प्रकार सूरीनाम में हिन्दी बहुत लोकप्रिय है और हिन्दी के प्रति लोगों की रुचि है ।

प्रश्न : भारत और सूरीनाम के बीच जो आपसी संबंध हैं उसे सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर और भी प्रगाढ़ बनाने के लिए अन्य क्या प्रयास किए जा सकते हैं ? इसके बारे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगी ?

उत्तर : वर्तमान संदर्भ में कहें तो भारत और सूरीनाम के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध हैं लेकिन मुझे लगता है कि सांस्कृतिक स्तर पर इन पर और भी कार्य किया जाना चाहिए । भारत एक विशाल देश है और यहाँ की जो वैविध्यपूर्ण संस्कृति है उसका विस्तार होना चाहिए । इसके साथ-साथ दोनों देशों की सरकारों को एक-दूसरे की भाषा, साहित्य और लोक कलाओं पर भी कार्य करना चाहिए । इस संबंध में हम एक कार्य कर सकते हैं कि हम भाषाओं को किसी तरह अन्य चीजों के साथ जोड़कर उसका प्रचार-प्रसार करें । विभिन्न गीत-संगीत, वाद्यवादन, नाटक, खेल आदि के माध्यमों से हम भाषा का आदान-प्रदान करें । अनुवाद साहित्य को बढ़ावा देकर इसे और भी प्रभावी और गुणस्तरीय रूप से इसका प्रचार-प्रसार किया जा सकता है । साहित्य समाज को प्रतिबिम्बित करता है और साहित्य

समाज से ही प्रभावित होता है । यदि हमें एक-दूसरे देश के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक स्तर को जानना और समझना है तो साहित्य ही वह सेतु है जो इन दूरियों को आपस में जोड़ सकता है। भारत का प्राचीन ग्रंथ रामायण और प्राचीन खेल कबड्डी हमारे यहाँ प्रख्यात और प्रचलित है । हमारे मंदिरों में रामायण का पाठ किया जाता है और युवाओं द्वारा लगातार अभ्यास किया जाता है । विभिन्न संस्थाओं द्वारा रामलीला आयोजित की जाती है । इसी तरह कबड्डी के जो नियम हैं वह सभी हिन्दी में हैं और उसका प्रसारण भी हिन्दी में ही होता है । इस तरह हम नाटक एवं खेल के माध्यम से हिन्दी सीखते हैं । मुझे लगता है कि इसी तरह भाषा को अन्य माध्यमों से जोड़कर उसका प्रचार किया जाना चाहिए जिससे भाषा का जल्द फैलाव और विकास होगा ।

प्रश्न : आप हिन्दुस्तानी भाषा भारती पत्रिका के पाठकों और संस्था के सदस्यों को क्या संदेश देना चाहेंगी ?

उत्तर : हिन्दुस्तानी भाषा भारती पत्रिका के पाठकों, अकादमी के सदस्यों और सभी भारतवासियों को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आप लोग भी "संतोषम् परम सुखम्" मंत्र को आत्मसात करें क्योंकि इसी से आपको संतोष की प्राप्ति होगी । जब संतोष प्राप्त होगा तो आप हमेशा सुखी और प्रसन्न रहेंगे, साथ ही अपने सभी कार्य को करने में पूरी तरह सक्षम और योग्य होंगे । भारत एक अतुल्य देश है । यहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय एवं भाषायी विविधता पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती है । इतनी विविधता होने के साथ-साथ यहाँ सभी जाति, धर्म और भाषा के लोगों में आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे की जो भावना और सम्मान है असल में यही राष्ट्रीय एकता है । भारत की भाषा, साहित्य, संस्कृति और लोक कलाएं विकसित और प्रभावशाली हैं। आप लोग अपने देश की गरिमा और संस्कृति को इसी तरह बनाए रखें ।

विनम्र श्रद्धांजलि

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी की केन्द्रीय समिति के सदस्य, सोशल मीडिया प्रभारी एवं वरिष्ठ सलाहकार श्री हामिद खान जी के आकस्मिक निधन से अकादमी परिवार को अपूर्णीय क्षति एवं असहनीय पीड़ा पहुंची है । श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु राजघाट स्थित 'गाँधी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा', राजघाट में 8 सितम्बर, 2019 रविवार दोपहर 1 बजे हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा श्रद्धांजलि सभा रखी गई जिसमें अकादमी के सदस्यों एवं अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी । स्व. हामिद खान जी अकादमी के संस्थापक सदस्य थे जिन्होंने सदैव अपनी सक्रिय भागेदारी एवं जिम्मेदारियों का वहन किया । वे अकादमी के उद्देश्यों एवं कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित एक सहज, सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी इंसान थे । वे अकादमी के सभी आयोजनों की गतिविधियों को सोशल मीडिया पर प्रसारित करते रहते थे तथा अकादमी के सभी आयोजनों में लगातार खुले हृदय से सहयोग भी करते थे ।

अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक जी ने अत्यंत भावुकता से कहा कि श्रद्धेय हामिद खान के आकस्मिक निधन से अकादमी को अपूर्णीय क्षति एवं असहनीय पीड़ा पहुंची है । अकादमी में उनका एक सम्माननीय स्थान था । वे अकादमी के स्थापना काल से ही जुड़े हुए थे और अकादमी के उद्देश्यों एवं कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। अकादमी के शुरूआती दिनों में जब भी कोई कठिन पड़ाव आता था तो उनका दार्शनिक और सकारात्मक सुझाव औषधि का काम करता था । वे अकादमी के प्रेरणा स्रोत थे और उनकी कार्य करने की क्षमता से अकादमी को ऊर्जा प्राप्त होती थी 21 जुलाई 2019 को अमीर खुसरो सभागार, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली में अकादमी द्वारा भारतीय भाषाओं के लिए उनके अतुलनीय योगदान के महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्हें **'भाषा संवाहक सम्मान'** से सम्मानित किया गया था । उनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल था और वह पूरी ईमानदारी के साथ अकादमी की गतिविधियों में सहभागी होते थे। अकादमी की इस ऊँचाई तक पहुंचाने में और इतना सक्रिय बनाने में उनके अथक परिश्रम और योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।

श्रद्धांजलि सभा में कई शुभचिंतकों ने स्व. हामिद खान जी के साथ बिताए हुए अविस्मरणीय क्षणों एवं अपने वैयक्तिक अनुभवों को साझा किया ।

साक्षात्कार : हिन्दी ने तो कभी नहीं कहा कि वह बाकी देशज भाषाओं को साथ लेकर नहीं चलेगी, बल्कि हिन्दी ने तो सभी को स्वीकार किया है लेकिन यह बात तमिल और दक्षिण के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। -चित्रा मुद्गल

सुश्री चित्रा मुद्गल

सुश्री चित्रा मुद्गल का नाम हिन्दी के विरल, विलक्षण और अप्रतिम कथाकारों में लिया जाता है जिन्होंने अपने लेखन द्वारा एक व्यापक, बहुआयामी, मानवीय समाज की अभिव्यक्ति अपने साहित्य में की है और एक ऐसा संसार अपने साहित्य द्वारा रचा है जिसमें सदियों से उपेक्षित समाज अपनी आवाज को शब्द देना चाहता है । चित्रा मुद्गल जी आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य की बहुचर्चित, सम्मानित लेखिका के साथ-साथ एक समाज सेवी और हिन्दी भाषा की प्रबल समर्थक भी हैं। चित्रा जी ने हिन्दी साहित्य को आवां, गिलिगडु और पोस्ट बॉक्स 203 नालासोपारा जैसे कई महत्वपूर्ण उपन्यास दिए हैं। चित्रा जी की विभिन्न विषयों पर अब तक दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान, हिन्दी अकादमी, दिल्ली का साहित्यकार सम्मान, यू.के. कथा सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार समेत कई पुरस्कार मिल चुके हैं। दिल्ली स्थित उनके आवास पर हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के प्रतिनिधिमंडल श्री पुलकित खन्ना, अनुज प्रताप यादव और राकेश ठाकुर ने आप से भेंट की और अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका हिंदुस्तानी भाषा भारती के लिए आपका साक्षात्कार लिया। इस साक्षात्कार में चित्रा जी ने भाषा, साहित्य और संस्कृति के संबंध में, हिन्दी की वर्तमान स्थिति, त्रिभाषा प्रणाली और राष्ट्रीय भाषा जैसे कई गंभीर विषयों पर चर्चा की। आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है पुलकित खन्ना एवं अनुज प्रताप यादव द्वारा लिया गया चित्रा मुद्गल जी का साक्षात्कार :-

प्रश्न : आप अपनी लंबी साहित्यिक यात्रा के साथ-साथ हिन्दी भाषा के सम्मान के लिए पूरी गंभीरता से कार्य कर रही हैं आप अपने पाठकों को अपनी अब तक की इस यात्रा के विषय में बताएं।

उत्तर : वैसे तो मैंने अपने विद्यालय समय से ही लिखना शुरू कर दिया था, मैं कई कहानियां, कविताएं लिखा करती थी जो कि विद्यालय पत्रिका और समाचार-पत्रों में बच्चों के कॉलम में छपा करती थीं, लेकिन अधिकारिक तौर से मेरी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत 25 अक्टूबर 1964 को नवभारत टाइम्स की कथा प्रतियोगिता में छपी और पुरस्कृत हुई कहानी 'सफेद सेनारा' से हुई। इसी तरह मैंने लिखना आरंभ किया और धीरे-धीरे लेखन मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। इसी तरह में लगातार लिखती चली गई और आज मेरी इस लेखकीय यात्रा को लगभग 54-55 वर्ष हो गए हैं।

प्रश्न : वर्तमान में हिन्दी के परिदृश्य को आप किस प्रकार देखती हैं,आप वर्तमान में हिन्दी की स्थिति से संतुष्ट हैं?

उत्तर : आज लोगों के मन में अंग्रेजी अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। आज हर जगह अंग्रेजी को माध्यम बनाया जा रहा है, घर से लेकर रोजगार के क्षेत्रों तक हम लोग अंग्रेजी का वर्चस्व साफ देख सकते हैं और इसी वातावरण ने अभिभावकों के मन में यह रुझान उत्पन्न किया है कि बिना अंग्रेजी के हमारे बच्चो का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता। आज निजी और पब्लिक स्कूलों में बच्चों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह केवल अंग्रेजी का ही प्रयोग करें और वही वे बच्चे जब घर पर आते हैं तो मां-बाप भी उन पर अंग्रेजी में वार्तालाप करने का दबाव बनाते हैं जिस कारण अंग्रेजी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है और बच्चों के अंदर भी इसका दबाव बढ़ा है। नौकरियों के क्षेत्रों में भी यह देखा जा रहा है कि पब्लिक स्कूल से पढ़े बच्चे बोर्ड और सीबीएसई की परीक्षाओं में पीछे रह जाते हैं और साधारण स्कूलों से पढ़े बच्चे इन परीक्षाओं में टॉप करते हैं । इसके बावजूद नौकरी देने वाली कंपनियां और संस्थान उन्हीं पब्लिक स्कूलों के बच्चों को अपने यहां नौकरी देते हैं और यह केवल इसीलिए क्योंकि उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होता है और सामान्य स्कूलों के टॉप करने वाले बच्चों को नकार दिया जाता है क्योंकि उन्होंने टॉप अपनी मातृभाषा और हिन्दी के माध्यम से किया होता है। तो सामान्यता यह स्थितियां भी हैं लेकिन इधर मैं देख रही हूँ कि जब बच्चे अपने घर

और विद्यालयों से बाहर होते हैं,एक दूसरे से बाहर मिलते- जुलते है, एक दूसरे से बातें करते हैं, मजे करते हैं तो वह जो मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और जो भाव व्यक्त हो रहे हैं वह सब हिन्दी में होते है और साथ में मिश्रित हिन्दी का भी बीच में प्रयोग होता है। यह ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं यह बच्चे भी कलप में है कि उन्हें अपनी भाषा, मातृभाषा, हिन्दी को बोलने नहीं दिया जा रहा है और जहां वह ऐसे विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, घरों और राजनीतिक दबावों के माहौल से बाहर निकलते हैं वह स्वयं ही बेहद प्रसन्नता के साथ अपनी मातृभाषा और हिन्दी का प्रयोग करते हैं। ये सब दोस्त जब मिलते हैं तो पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं के शब्दों के साथ हिन्दी बोलते हैं और यह दृश्य बेहद ही आनंददायक होता है।

प्रश्न : आजकल विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से दी जा रही है और आठवीं कक्षा से हिन्दी को वैकल्पिक विषय बनाकर विदेशी भाषाओं को पढ़ाया जा रहा है ऐसी स्थिति में हिन्दी के प्रति इस रवैये पर आप क्या कहना चाहेंगी?

उत्तर : सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि यह रवैया बेहद निराशाजनक और नुकसानदेह है । इस तरीके की व्यवस्था ने ही हिन्दी को काफी नुकसान पहुंचाया है और लगातार नुकसान पहुंचा भी रही है लेकिन इसी के साथ हमें एक और पहलू पर भी गौर करना होगा कि आज के समय में हम हिन्दी में बच्चों को कितने रोजगार दे पा रहे हैं। आज बच्चा अपनी रोजी-रोटी को देखते हुए पढ़ाई करता है ऐसे में अन्य विदेशी भाषाएं उनको नौकरियों के कुछ अवसर प्रदान करती हैं इन भाषाओं के माध्यम से वे विदेशी दूतावासों में नौकरी पा जाते हैं लेकिन वही हिन्दी में रोजगार कम होते जा रहे हैं।आज हमें हिन्दी के क्षेत्र में रोजगार पर भी ध्यान देना होगा जिससे कि जो बच्चे रोजी-रोटी के कारण हिन्दी को छोड़कर दूसरी भाषाओं को पढ़ने के लिए मजबूर हैं वह हिन्दी की तरफ लौटे।आज विद्यालयों, विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभागों में नियुक्तियां बहुत कम हो रही है और जो हो भी रही है वह अस्थाई तौर पर हो रही हैं। पहले के समय अनुसार आज बेशक हिन्दी में संसाधन बड़े हैं, अवसर बढ़े हैं, क्षेत्र बड़े है, लेकिन जनसंख्या के विस्फोट ने इन अवसरों को विलुप्त कर दिया है और अब जब इन सब के बाद अपनी संस्कृति और संस्कारों की ओर लौटने की बात हो रही है, मौजूदा राजनीति अपने मूल्यों और नैतिकताओं को महत्व दे रही है तो उनको लग रहा है कि यह हिन्दी का वर्चस्व बढ़ रहा है।

प्रश्न : भारत जैसे बहुभाषी देश में जहां भाषा रोजी-रोटी ही नहीं बल्कि राज्य और राजनीति का भविष्य भी तय करती है, ऐसे में भाषा के प्रति इस उपेक्षित रवैए का क्या कारण है?

उत्तर : हम लोगों को पहले यह समझना होगा कि यह रवैया बेहद ही खतरनाक है। एक झंडा ही हम सभी को एक सूत्र में बांधता है। बहुप्रदेशी, बहुसंस्कृति, बहुविविधता जैसी अनेकताओं को एकता में परिवर्तित करने वाला एक झंडा ही हमारी पहचान है, इसी तरह से बहुभाषी, बहुसंस्कृति और इंद्रधनुषी संस्कृति में खान-पान, पोशाक,नृत्य, गीत, लोक नियम, धर्म, रीति-रिवाज जैसे भारतीय संघ के लिए एक भाषा की भी जरूरत है, आप अपने राज्यों में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें और यह सरकारी नियम भी है कि हर राज्य में वहां की भाषा में ही सरकारी कार्य होगा, वहां के विद्यालयों में वहा की ही भाषा पढ़ाई जाएगी। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती लेकिन वहां पर भी ये पब्लिक स्कूल धंधा बना कर अंग्रेजी को प्रसारित कर रहे हैं और वहां के लोग यह भूल रहे हैं कि यदि इसी तरह चलता रहा तो कल वहां की मातृभाषा भी नहीं रहेगी। इन प्रदेशों में भी अब बड़े-बड़े प्ले स्कूल खुलने लगे हैं, आने वाले समय में ये अंग्रेजी स्कूल वहा की मातृभाषा को भी नष्ट कर देंगे और तब पंजाबी, बंगाली, मराठी जैसी भाषाएं केवल इतिहास और फिल्मों में ही नजर आएंगी। हमारी मातृभाषा का जो आनंद और वात्सल्य है वह हमेशा बरकरार रहा है आप आज भी देखिए जब भी ढोलक-मंजीरे या फिर पंजाबी ढोल बजता है तो कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाता, उसके पैर अपने आप ही थिरकने लगते हैं यह ताकत है हमारी मातृ-भाषाओं और लोक संस्कृति की,इसमें जो उल्लास है, अह्लाद है, आनंद है, जो खिंचाव है वे हमारे अपने लोकजीवन और उसकी भाषा में है, हिन्दी तो केवल हम सबको जोड़ती है, बांधती है वह यह नहीं कह रही कि पंजाब में पंजाबी ना हो लेकिन अंग्रेजी यही बोल रही है और कर रही है। हिन्दी ने तो कभी नहीं कहा कि वह बाकी देशज भाषाओं को साथ लेकर नहीं चलेगी, बल्कि हिन्दी ने तो सभी को स्वीकार किया है लेकिन यह बात तमिलनाडु और दक्षिण के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वे वहां की राजनीति में फंस कर यह भूल रहे हैं कि हम लोग एक ऐसे भारत देश के वासी हैं जिसका एक तिरंगा है । उनके सामने सबसे बड़ा उदाहरण चीन है। चीन ने इतनी उन्नति की है। वहाँ कितनी मुख्य भाषाएं थी। हांगकांग का जब हस्तांतरण हुआ तो तीसरे ही दिन घोषणा कर दी गई की अब जो भी काम होगा वो हमारी भाषा में होगा। उनको हम तानाशाह कहते हैं और भारत को प्रजातांत्रिक कहते हैं। यह प्रजातंत्र है? प्रजातंत्र के भी तो कुछ उसूल और नैतिकता होती है। प्रजातंत्र यह नहीं होता कि आपने अपने घर में तो झाड़ू लगा ली और सारा कूड़ा पड़ोसी के घर के आगे डाल दिया। यह प्रजातंत्र का उद्दंड तंत्र है मैं खुलकर कहना चाहती हूँ कि यह आपका उदंड तंत्र है कि आपको अपने यहां अंग्रेजी तो स्वीकार है, आप दिन रात एक कर

के अपने बच्चों को अंग्रेजी तो पढ़ाते हैं, आपको अंग्रेजी तो मंजूर है लेकिन आपको हिन्दी मंजूर नहीं है। आप जर्मनी पढ़ेंगे, रशियन पढ़ेंगे लेकिन हिन्दी नहीं पढ़ेंगे। आपको पता है यदि हमारे विद्यार्थी रशिया जाते है तो पहले उन्हें वहां पर 6 महीने तक रशियन भाषा का कोर्स करना पड़ता है। बेशक आपको रशियन भाषा आती हो, आपने सीखी हो लेकिन उसके बावजूद भी आपको वहां जाकर यह कोर्स करना पड़ता है।हमारे यहां तो असली प्रजातंत्र है उस प्रजातंत्र को लोगों ने धमकी बना लिया, ब्लैक मेलिंग का जरिया बना लिया है और हमारे बच्चों के, हमारी नई पीढ़ी के मन में जहर भर दिया है कि हिन्दी तुम्हारी दुश्मन है।

प्रश्न : किसी देश की भाषा नीति की शिक्षा और सामाजिक विकास में बड़ी भूमिका होती है, लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही है कि प्राथमिक शिक्षा की भाषा मातृभाषा होनी चाहिए लेकिन इसे लेकर कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है इसका क्या कारण है?

उत्तर : ठोस नीति बनी है सरकारी स्कूलों में भाषा नीति लागू है। महाराष्ट्र में मराठी है पंजाब में पंजाबी है। मैंने खुद तीन भाषा फार्मूला में पढ़ा है। इसी फार्मूले के तहत मैंने गुजराती पड़ी थी। पहले हर राज्य के विद्यालयों में उस राज्य की भाषा सिखाई और पढ़ाई जाती थी लेकिन अब इन राज्यों में अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ रहा है। राज्य सरकारें अंग्रेजी को स्वयं अपने ऊपर हावी करती जा रही हैं उनको ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजी से ही हम लोगों का विकास और उन्नति हो पाएगी लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हिन्दी प्रदेश में हिन्दी माध्यम ना होकर अंग्रेजी माध्यम हो गया है इसी तरह दक्षिण के प्रांतों ने भी अपनी शिक्षा नीति बदल ली है ऐसी स्थिति में त्रिभाषा सूत्र बाकी ही कहां रह गया है? तो कहने का अर्थ यह है कि यह सारी चीजें सरकारी नीतियों में सुदृढ़ता और इच्छाशक्ति की कमी के चलते हो रहा है। 1997 में चीन जो अपनी इच्छा शक्ति दिखाता है उसी के आधार पर वह आज इतनी तरक्की कर पाया है। वह भी निर्यात कर रहा है लेकिन अपने देश के लिए उसके नियम हैं और वह उन नियमों पर दृढ़ है। हम दृढ़ नहीं हैं इसलिए अब मुझे लगता है कि हम लोगों को हिन्दी को पहले राजभाषा के तौर पर बचाना होगा।

प्रश्न : भारत की भाषिक विविधता एक समस्या के रूप में देखी जाती है। कुछ लोग हिन्दी पर वर्चस्व वादी होने का आरोप भी लगाते हैं यह कहां तक सही है?

उत्तर : यह आधारहीन आरोप है। मुझे तो यह समझ ही नहीं आता कि ये लोग हिन्दी पर वर्चस्ववादीता का आरोप क्यों लगा रहे हैं। हिन्दी तो हिन्दी प्रदेशों की ही भाषा नहीं है। हिन्दी तो बाद में प्रदेशों में लिखी जाने वाली भाषा बनी, भारतेंदु ने जब शुरुआत की उसमें भी आप को संस्कृत, अवधी, ब्रज आदि के शब्द मिलेंगे। हिन्दी प्रदेशों में कही अवधी बोली जा रही है, कहीं बैसवाडी बोली जा रही है, कहीं भोजपुरी का प्रभाव है और आगे बढ़ेंगे तो हमें मैथिली मिलेगी। हिन्दी को तो इन लोक भाषाओं ने पुष्ट किया है तो यहाँ वर्चस्व की बात है ही नहीं। बात तो केवल इतनी है कि यदि हम संपूर्ण भारत की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा हिन्दी है, तो यहां तो वर्चस्व की कोई बात ही नहीं है। यह तो बेवजह हीन भावना को अपने आप ही उत्पन्न किया गया है कि हिन्दी हम पर राज करेगी लेकिन यह हिन्दी राज या उसके वर्चस्व का भय नहीं है। भय तो इस बात का है कि हमारी राजनीति कहीं नीचे ना चली जाए। हम अपनी राजनीति को जो वर्चस्व में देखना चाहते हैं उस वर्चस्वी स्वरूप को बढ़ाने के लिए यह सब खेल खेले जा रहे हैं। तो इस तरह यह राजनीति के खेल हैं, जनता के खेल नहीं हैं। इस राजनीति ने हव्वा खड़ा किया है भाषा को लेकर। लेकिन अब इनसे कोई यह बताए कि जिन भाषाओं को इन लोगों ने आठवीं अनुसूची में ला दिया है अभी तक उनमें से कई भाषाओं के स्कूल तक नहीं खुले हैं। यह सारे खेल राजनीति के खेले हुए हैं। यह हम सब को पास लाने के बजाय और दूर कर रहे हैं। जिस तरीके से हम कहते हैं कि नेहरू जी ने बहुत बड़े प्रदेशवाद और जो भाषा और प्रांत की संरचना की उन्होंने वह मातृभाषा के ही उत्थान के लिए की थी। उन्होंने सोच समझ कर ही स्वीकार किया था इस फार्मूले को लेकिन उनको क्या पता था कि आगे जाकर राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी और इस फार्मूले को इस तरीके से परिवर्तित किया जाएगा तो प्रजातंत्र को जो अनुशासन शुरू में ही देना चाहिए था वह नहीं दिया गया। अब हमें जरूरत है कि हम उदंडतंत्र में परिवर्तित होते उसके स्वरूप को पहचान कर उनसे सतर्क और सावधान होकर ही चले।

प्रश्न : आज जब भी देश में चुनाव आते हैं, आठवीं अनुसूची का मुद्दा गरमा जाता है। आठवीं अनुसूची में सम्मिलित होने की पंक्ति में लगी हिन्दी पट्टी की अन्य उप भाषाओं और बोलियों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?

उत्तर : आठवीं अनुसूची राजनीतिक तुष्टिकरण का माध्यम बन चुकी है, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। राजनीति ने वोट बैंक के लिए इसे तुष्टीकरण का खेल बना दिया है।आप इन भाषा और बोलियों के साहित्य को, गौरव को और लोक संस्कृति को अपने यहां संरक्षित और पल्लवित करिए, लेकिन आप पुरस्कारों के लालच में आकर इन्हें आठवीं अनुसूची में शामिल करना चाहते हैं। हम लोगों को यह बात समझनी होगी कि केवल आठवीं अनुसूची में इन भाषा-बोलियों को लाकर हम उनको संरक्षित नहीं कर सकते हैं।

शेष पृष्ठ संख्या 23 पर

साक्षात्कार : श्री निशान्त जैन, प्रशासनिक सेवा अधिकारी (आई.ए.एस.)

'भाषाओं की लिपियों को बचाना भी जरूरी'

वास्तविकता यह है कि अपनी भाषा को इंग्लिश की लिपि में लिखने के चलन ने अफ्रीका में अनेक स्थानीय भाषाओं को समाप्त कर दिया है। पहले हम लिपि छोड़ते हैं और फिर भाषा। यदि लिपि खत्म हुई, तो हिन्दी का अस्तित्व समाप्त होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसलिए हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को बचाना है तो भारतीय भाषाओं की लिपियों को बचाइए।

निशान्त जैन

हिन्दी को मजबूरी नहीं, मजबूती मानने वाले युवा आई..ए.एस. अधिकारी अपनी सफलता का श्रेय भी हिन्दी को ही देते हैं । वे यह कहने में भी संकोच नहीं करते कि वह आज जो कुछ भी हैं, हिन्दी के कारण ही हैं । निशान्त जैन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग से एम.फिल. करने के बाद लोक सभा सचिवालय में करीब दो साल बतौर 'अनुवादक' काम किया । इसी दौरान उन्होंने हिन्दी माध्यम में यह कीर्तिमान रचा और संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 13वीं रैंक हासिल कर हिन्दी का मान बढ़ाया । उनका वैकल्पिक विषय भी हिन्दी साहित्य ही था । कविताएँ और ब्लॉग लिखने व युवाओं से संवाद रखने में रुचि रखने वाले श्री निशान्त जैन की शोधपरक पुस्तक 'राजभाषा के रूप में हिन्दी' राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से प्रकाशित हुई है । सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी पर केन्द्रित उनकी पुस्तक 'मुझे बनना है यू.पी.एस.सी. टॉपर' आज बेस्टसेलर है । उनकी बाल-कविताओं का संकलन 'शादी बंदर मामा की' प्रभात प्रकाशन से आया है । हिन्दी में उनकी प्रेरक पुस्तक 'रुक जाना नहीं' हिन्द युग्म से आने वाली है ।

प्रश्न : हिंदुस्तानी भाषा अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका 'हिंदुस्तानी भाषा भारती' की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। आप आई.ए.एस अधिकारी के रूप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं । निश्चित रूप से यहाँ तक की यात्रा, वह भी हिन्दी माध्यम से आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करना, सचमुच एक एक कठिन दौर रहा होगा । यहाँ तक की अब तक की अपनी यात्रा के विषय में हमारे पाठकों को कुछ बताएं ।

उत्तर : नमस्कार ! मैं अपने बारे में सोचूँ तो पाता हूँ कि मेरी पूरी यात्रा हिन्दी के साथ कदम-दर-कदम आगे बढ़ते जाने की यात्रा है। हिन्दी के एक विद्यार्थी से आई.ए.एस. अधिकारी बनने तक की यात्रा में हिन्दी भाषा और साहित्य एक सतत साथी के रूप में मेरे साथ रहा है।मैंने अपने गृह नगर मेरठ के पुराने कॉलेज, मेरठ कॉलेज से स्नातक किया। दिलचस्प बात यह रही कि बी.ए. के मेरे तीन विषयों में हिन्दी नहीं थी। मेरे विषय थे: अंग्रेजी साहित्य, इतिहास और राजनीति विज्ञान। बी.ए. में विश्वविद्यालय मेरिट लिस्ट में स्थान भी मिला पर मन के किसी कोने में हिन्दी के प्रति प्यार उमड़ रहा था। आखिर एम.ए. हिन्दी में करने का निर्णय लिया। एम.ए. हिन्दी में विश्वविद्यालय टॉप किया और तुरंत बाद प्रथम प्रयास में यूजीसी नेट-जे-आर-एफ उत्तीर्ण हो गया। दिल्ली विश्वविद्यालय की एम.फिल. प्रवेश परीक्षा डरते-डरते दी थी। लग रहा था कि दिल्ली, इलाहाबाद, बनारस आदि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों से मैं कहाँ प्रतिस्पर्धा कर पाऊँगा। पर परिणाम देखा तो मालूम हुआ कि प्रवेश परीक्षा में मेरा प्रथम स्थान था। इस तरह एम.फिल. में प्रवेश लिया और अंत में प्रोफेसर पूरनचंद टंडन के मार्गदर्शन में अपना लघु शोध-प्रबंध जमा किया। मेरा शोध राजभाषा के रूप में हिन्दी की स्थिति पर केंद्रित था। बाद में मेरे इस शोध से प्रेरित मेरी संक्षिप्त पुस्तक 'राजभाषा के रूप में हिन्दी' राष्ट्रीय पुस्तक न्यास' (एनबीटी) से प्रकाशित भी हुई। एम.फिल. के तुरंत बाद मेरी नौकरी बतौर अनुवादक लोक सभा सचिवालय की सम्पादन और अनुवाद सेवा में लग गई। वहाँ भी मैं काफी सक्रिय रहा और 'संसदीय मंजूषा' पत्रिका की सम्पादन टीम में भी रहा। लोक सभा सचिवालय में रहते हुए ही मुझे भारत की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में 13वीं रैंक और हिन्दी माध्यम लेकर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। परीक्षा में मेरा वैकल्पिक विषय भी हिन्दी साहित्य ही था। उसमें भी मुझे सर्वाधिक अंक मिले। इस तरह मुझे मिला यह 13वाँ रैंक नए पैटर्न के बाद हिन्दी माध्यम का अब तक का सर्वोच्च रैंक है। इस उपलब्धि पर तत्कालीन माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा मुझे संसद के बालयोगी

सिविल सेवा परीक्षा में हिन्दी माध्यम से प्रथम स्थान प्राप्त करने पर संसद के बालयोगी सभागार में श्री निशान्त जैन को सम्मानित करती तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन और तत्कालीन संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी।

सभागार में एक गरिमामयी समारोह का आयोजन कर सम्मानित किया गया। यह क्षण मेरे साथ-साथ हिन्दी और भारतीय भाषा-भाषी विद्यार्थियों के सम्मान का क्षण था। फिर पहुँचा अपने सपनों की मंजिल, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी। वहाँ भी हिन्दी का साथ नहीं छोड़ा। सांस्कृतिक संध्या और साहित्यिक कार्यक्रमों का हिन्दी में संचालन किया करता था। हमने एक नया प्रयोग भी किया। अकादमी के भीतर हमने प्रशिक्षु अधिकारियों की कविताओं का संकलन 'अभिव्यक्ति' और यात्रा वृत्तांतों का संकलन 'भारत दर्शन' प्रकाशित किया। ये दोनों संकलन बहु-भाषी थे। इस प्रयोग को अकादमी द्वारा सराहा भी गया।अब बारी आती है कार्यक्षेत्र की। प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच वक्त निकालकर कोशिश करता हूँ कि भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने का जो अवसर मिले, उससे चूक न जाऊँ। उदाहरण के तौर पर एनबीटी और जिला प्रशासन द्वारा 2017 में अलवर और 2019 में अजमेर में पुस्तक मेलों का आयोजन। उधर मेरे मन में एक टीस भी थी कि आई.ए.एस./पी. सी.एस. आदि सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोई एक मार्गदर्शक पुस्तक उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं ट्रेनिंग के साथ-साथ मोबाइल पर ही किताब लिखता गया और एक साल तक लिखते रहने के बाद 2017 में मेरी किताब 'मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर'प्रभात प्रकाशन, दिल्ली से प्रकाशित हुई तब से अब तक यह किताब लगातार बेस्टसेलर बनी हुई है और इसके अंग्रेजी व मराठी अनुवाद भी छप चुके हैं।बचपन में बाल कविताएँ भी लिखा करता था। 2002 से 2015 तक विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में ये कविताएँ छपती रहीं। बाद में चुनिंदा 31 कविताओं का संकलन 'शादी बंदर मामा की' प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हुआ और ये डायरी में बंद कविताएँ प्रकाश में आ सकीं।कुल मिलाकर आप देखेंगे कि मेरी पूरी यात्रा में मेरी मातृभाषा हिन्दी एक अभिन्न हिस्सा रही है और मेरे लिए भी हिन्दी के बगैर अपने अस्तित्व की कल्पना करना नामुमकिन सा है।

प्रश्न : आई.ए.एस. जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारियाँ, हिन्दी के प्रचार संबंधी कार्य, लेखन, प्रेरक वक्ता आदि इन सब के बीच में सामंजस्य कैसे बिठा पाते हैं ?

उत्तर : जैसा कि मैंने कहा, हिन्दी से मैंने स्वयं को कभी अलग नहीं करके देखा। एक और बात यह भी है कि हर व्यक्ति की अपनी-अपनी रुचियाँ होती हैं। मेरी रुचि भाषा-साहित्य और पढ़ने-लिखने में रही है और ऐसा करना मुझे सुख देता है। हिन्दी के प्रचार के लिए मैं अलग से कुछ नहीं करता। उदाहरण के तौर पर मेरा भाषा में रुझान देखकर अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारी स्वत: हिन्दी को लेकर प्रेरित हो जाते हैं। मैं यह भी ध्यान रखता हूँ कि अजमेर विकास प्राधिकरण जो भी साइन बोर्ड या द्वार लगाए वह या तो हिन्दी में हो, या फिर द्विभाषी हो।रही बात लेखन या प्रेरक वक्ता का काम करने की, तो इन दोनों के लिए भी मैं अलग से कोई उद्यम नहीं करता। मैं ज्यादातर नॉन-फिक्शन लिखता हूँ और ब्लॉग भी। हाल ही में मैंने एक प्रेरक किताब 'रुक जाना नहीं' लिखी है, जो हिंद युग्म, दिल्ली से प्रकाशनाधीन है। आज-कल बाजार में ज्यादातर मोटिवेशन किताबें अंग्रेजी से हिन्दी में अनूदित हैं। मेरी किताब मूल रूप से हिन्दी में लिखी गई एक देसी मिजाज की किताब होगी। प्रेरक वक्ता के रूप में तो मैं सिर्फ इतना करता हूँ कि यदि दिल्ली विश्वविद्यालय या किसी शिक्षण संस्था से बुलावा मिलता है तो मैं वहाँ जाने और युवाओं से संवाद करने की हरसम्भव कोशिश करता हूँ।

प्रश्न : वर्तमान में हिन्दी की स्थिति को आप किस प्रकार देखते हैं ? आप वर्तमान में हिन्दी की स्थिति से संतुष्ट हैं ?

उत्तर : मैं वर्तमान में हिन्दी की स्थिति का दो क्षेत्रों में आँकना चाहूँगा।

1. मीडिया-बाजार-सिनेमा-विज्ञापन की भाषा के रूप में हिन्दी की स्थिति,

2. ज्ञान-विज्ञान और प्रशासन/काम-काज की भाषा के रूप में हिन्दी की स्थिति।

अगर मीडिया, सिनेमा, बाजार और विज्ञापन की भाषा के रूप में हिन्दी की स्थिति को देखें तो यह स्थिति निश्चित रूप से उत्साहजनक है। हिन्दी के अखबारों, न्यूज चैनलों, टी.वी. और वेबसाइटों ने जबरदस्त सफलता पाई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी हिन्दी धूम मचा रही है। ट्विटर, फेसबुक से लेकर यू ट्यूब तक हिन्दी की सोशल मीडिया पर व्यापक उपस्थिति है। यूनीकोड की सहायता से मोबाइल पर हिन्दी लिखने वालों की संख्या कम नहीं है। इस बीच एक चिंता की बात भी है, जिसकी ओर अक्सर वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। यह मुद्दा है हिन्दी की लिपि को बचाने का। आजकल मेसेंजर ऐप, जैसे- व्हाट्सएप, स्नैपचैट पर चैट का जमाना है। इस चैटिंग के दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोग हिन्दी को इसकी लिपि यानी देवनागरी में न लिखकर अंग्रेजी की लिपि रोमन में लिख रहे हैं। जैसे 'आज शाम को बात करते हैं' को हिन्दी की लिपि में न लिखकर 'aaj sham ko bat karte hai' लिखना या 'हर एक फ्रेंड जरूरी होता है' को 'har ek friend zaruri hota hai' लिखना।

अभी यह चलन हमें इतना खतरनाक प्रतीत नहीं होता। पर वास्तविकता यह है कि अपनी भाषा को इंग्लिश की लिपि में लिखने के चलन ने अफ्रीका में अनेक स्थानीय भाषाओं को समाप्त कर दिया है। पहले हम लिपि छोड़ते हैं और फिर भाषा। यदि लिपि खत्म हुई, तो हिन्दी का अस्तित्व खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को बचाना है तो

भारतीय भाषाओं की लिपियों को बचाइए। इसके बाद बात करते हैं ज्ञान-विज्ञान की भाषा के रूप में हिन्दी की स्थिति की। यहाँ स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। विश्वविद्यालयों से हिन्दी माध्यम तेजी से गायब हो रहा है। विज्ञान-प्रौद्योगिकी, वाणिज्य और प्रबंधन विषयों को तो हिन्दी में पढ़ने का विकल्प ही उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि मानविकी के विषयों: इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, दर्शन आदि में भी शिक्षण-शोध के स्तर पर अंग्रेजी का बोलबाला है। प्रशासन और कार्यालयों की बात करें तो वहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं है। राजनीति और संसद में हिन्दी का प्रयोग निश्चित तौर पर बढ़ा है पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग की माँग अभी भी जस-की-तस है। केंद्र सरकार की राजभाषा हिन्दी है, पर ज्यादातर आदेश/पत्र मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, जिनका हिन्दी अनुवाद बाद में जारी किया जाता है। सरकारी कार्यालयों में फिर भी हिन्दी की रस्म अदायगी तो होती है, पर निजी संस्थाओं/कम्पनियों में तो शत-प्रतिशत इंग्लिश का ही प्रयोग होता है। आप उत्तर भारत के किसी भी महानगर के बाजार में घूम लीजिए, ज्यादातर दुकानों और शो-रूमों के साइन बोर्ड इंग्लिश में लिखे मिलेंगे और तो और, हम लोगों में हीनता का आलम यह है कि हम हस्ताक्षर भी इंग्लिश में करना पसंद करते हैं।लिहाजा मेरा यह मत है कि हिन्दी भाषा के भविष्य को लेकर सतर्क होने की जरूरत है, विशेषकर देवनागरी लिपि के संरक्षण को लेकर सावधान होना होगा।

प्रश्न : आज विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से दी जा रही है और एक विषय के रूप में भी आठवीं कक्षा से हिन्दी को वैकल्पिक बनाकर विदेशी भाषाओं को पढ़ाया जा रहा है । इस शिक्षा के आप क्या दूरगामी परिणाम देखते हैं ? क्या हमसे त्रिभाषा सूत्र को सही ढंग से लागू करने में चूक हो गई है ? क्या इस समय इस सूत्र का कोई औचित्य बचा है ?

उत्तर : यह एक बेहद खतरनाक स्थिति है। भले ही माध्यम कोई भी हो, पर हिन्दी दसवीं कक्षा तक हर हाल में अनिवार्य होनी चाहिए। मेरी राय यह भी है कि स्कूलों में विदेशी भाषा को पढ़ाए जाने के स्थान पर दक्षिण या पूर्वी भारत की किसी भाषा को पढ़ाया जाए। त्रिभाषा सूत्र को सही अर्थों में लागू किया जाना अब वक्त की जरूरत है। कल्पना कीजिए कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में तेलुगू और मध्य प्रदेश में बांग्ला की पढ़ाई हो रही है।कुल मिलाकर बात यह है कि हिन्दी भाषी राज्य हिन्दी और अंग्रेजी के साथ तीसरी भाषा के रूप में कोई भारतीय भाषा पढ़ाएँ और गैर-हिन्दी भाषा राज्य अपनी भाषा और अंग्रेजी के साथ अनिवार्य रूप से हिन्दी पढ़ाएँ। इससे न केवल हिन्दी समेत सभी भारतीय भाषाओं का विकास होगा, बल्कि शिक्षा एवं व्यापार में रोजगार के अवसरों में भी जबरदस्त वृद्धि होगी।

प्रश्न : भारत की भाषिक विविधता कई बार एक समस्या के रूप में भी देखी जाती है । कुछ लोग हिन्दी पर वर्चस्ववादी होने का आरोप भी लगाते हैं, आपके अनुसार यह आरोप कहाँ तक सही है ?

उत्तर : भारत की भाषिक विविधता कोई समस्या नहीं है। रूस, चीन, फ्रांस आदि देशों में भी कई भाषाएँ और बोलियाँ हैं। पर उन्होंने उन भाषाओं में से एक भाषा को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं ने भी यही कहा था कि हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा होने की अधिकारी है और देश भर की सम्पर्क भाषा तो है ही। हिन्दी पर वर्चस्ववादी होने का आरोप सर्वथा मिथ्या है। हिन्दी के वर्चस्व से गैर-हिन्दी भाषियों को डराने वाले अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व पर क्या कहेंगे।

प्रश्न : भोजपुरी, राजस्थानी आदि बोलियाँ सहित आठवीं अनुसूची में सम्मिलित होने की पंक्ति में लगी हिन्दी पट्टी की अन्य भाषाओं और बोलियों के मुद्दे पर आपकी क्या राय है?

उत्तर : हिन्दी का इतिहास लगभग एक हजार साल पुराना है। हिन्दी भाषा का परिवार बहुत बड़ा है। भाषा विज्ञानियों के अनुसार, मोटे तौर पर हिन्दी की 5 उपभाषाएँ और 18 बोलियाँ हैं।मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर हमने हिन्दी की उपभाषाओं और बोलियों को आठवीं अनुसूची में शामिल कर स्वतंत्र भाषा का दर्जा देना शुरू कर दिया तो 'हिन्दी' नाम की कोई भाषा बचेगी ही नहीं।ब्रज, अवधी, गढ़वाली, बुंदेली, बघेली, भोजपुरी, हरियाणवी, मेवाती, छत्तीसगढ़ी आदि सब हिन्दी की बोलियाँ हैं, जो मिलकर हम सबकी हिन्दी का व्यापक परिवार बनाती हैं।

प्रश्न : आपको क्या लगता है कि हिन्दी के राष्ट्रभाषा बनने का मुद्दा अभी जीवित है ?

उत्तर : राष्ट्रभाषा का अर्थ है वह भाषा जिसे राष्ट्र व्यवहार में लाए। हिन्दी सैंकड़ों सालों से भारत के आम आदमी की सम्पर्क भाषा रही है और आगे भी रहेगी। अफसर भले ही अंग्रेजी बोलें पर सेना का जवान हिन्दी ही बोलता है, चाहे वह तमिलनाडु से हो या नागालैंड से।हिन्दी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की सर्वमान्य भाषा रही है।हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले या न मिले, हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय और सम्पर्क से विकसित होती और आगे बढ़ती है।मेरे विचार में अब भारत को अति शीघ्र संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यताप्राप्त भाषा बनाने के लिए पुरजोर प्रयास करने चाहिएँ। इससे भारत में भी हिन्दी की स्वीकार्यता पहले से अधिक बढ़ जाएगी।

प्रश्न : आपकी बातों का समाज और देश में एक अलग ही संदेश जाता है। आज जिस तरह से नई युवा पीढ़ी हिन्दी भाषा से विमुख हो रही हैं और उनमें हिन्दी भाषा को लेकर वितृष्णा है तो इस नजरिये को बदलने के लिए आप युवाओं और हिंदुस्तानी भाषा भारती पत्रिका के पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?

उत्तर : पढ़ाई के दिनों में मैंने केदारनाथ सिंह की कविता मातृभाषा पढ़ी थी:-

जैसे चींटियाँ लौटती हैं
बिलों में
कठफोड़वा लौटता है
काठ के पास
वायुयान लौटते हैं एक के बाद एक
लाल आसमान में डैने पसारे हुए
हवाई-अड्डे की ओर

ओ मेरी भाषा
मैं लौटता हूँ तुम में
जब चुप रहते-रहते
अकड़ जाती है मेरी जीभ
दुखने लगती है
मेरी आत्मा

इसलिए मातृभाषा के प्रति प्रेम बनाए रखें। मोबाइल और इंटरनेट पर हिन्दी में लिखें, अच्छा लगता है।मेरा युवाओं के लिए भी यह संदेश है कि अपनी लकीर बड़ी करते हुए आगे बढ़ें। लोगों की बातों से निराश होने की जरूरत बिलकुल नहीं है। अपनी उम्मीदों को पंख लगाएँ और हीन भावना से निजात पाते हुए आगे बढ़ते जाएँ। हिन्दी गजल के महानायक दुष्यंत कुमार की ये चार पंक्तियाँ कभी न भूलें:-

'इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है,
नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है,
एक चिंगारी कहीं से ढूँढ लाओ ए दोस्तों,
इस दिये में तेल से भीगी हुई बाती तो है।'

'साक्षात्कार में व्यक्त विचार श्री निशांत जैन के निजी विचार हैं, जिनका सरकार के विचारों से कोई सम्बंध नहीं है ।'

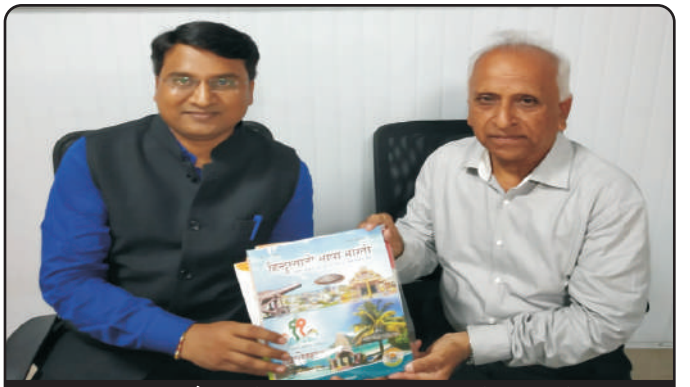

श्री निशान्त जैन को पत्रिका का अंक भेंट करते हुए सह सम्पादक श्री विजय शर्मा

पृष्ठ संख्या 19 का शेष

प्रश्न : आपको क्या लगता है कि हिन्दी के राष्ट्रभाषा बनने का मुद्दा अभी जीवित है? 11वें विश्व हिन्दी सम्मेलन के मंच से हमारी विदेश मंत्री हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए गंभीर प्रयासों की बात कह चुकी है क्या हिन्दी प्रेमी यह आशा रखें कि हिन्दी को जल्दी राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाएगा?

उत्तर : यह मुद्दा अभी जीवित है। अगर इस फैसले को पहले ही थोड़ी मजबूती के साथ लाया जाता तो आज शायद यह सब कुछ ना होता। हमारे सिनेमा ने विदेशों में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाया, विश्व भाषा बनाएं।आज हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में कोई कठिन प्रक्रिया की बात नहीं है,यह राजनीतिक तुष्टीकरण का खेल है उसके पीछे भय है और हम लोगों ने रोक-रोक के इस भय को और भी बढ़ा दिया है। एक राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा तो होनी ही चाहिए क्योंकि उसके बिना हम लोग उन्नति नहीं कर सकते हैं। लोग अंग्रेजी को तो सीख सकते हैं लेकिन हिन्दी नहीं सीख सकते इसके पीछे कोई तर्क नहीं है।अब हमें वर्तमान सरकार जो चुनकर आई है उसको देखना होगा कि वह कितनी तुष्टीकरण में बहती है और जहाँ सख्त अनुशासनिक की बात है तो वह कितनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ इसको लाती है। अगर वह यह हद पार कर गई तो वह सारी बाधाएं पार कर जाएगी और सुषमा जी का सपना साकार होगा और हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा बनेगी।

प्रश्न : आप हिंदुस्तानी भाषा भारती के पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगी?

उत्तर : मैं संदेश नहीं बल्कि यह बात कहना चाहती हूँ कि देश की सुदृढ़ राजनीति, सुदृढ़ इच्छाशक्ति के साथ अगर परिवर्तन की भूमिका में संलग्न होती है तो भविष्य खुला है आपके सामने, एक उज्ज्वल भविष्य है आपके सामने। आप जात-बिरादरी से ऊपर उठकर के समझदार बनिए, चिंतनशील बनिए जिससे कि कोई भी आपको भाषा, जाति,राज्य के नाम पर बहका ना पाए । और सभी लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि भारत जैसे बहु-संस्कृति, बहुरीति-रिवाज, बहु-विविधता वाले देश के लिए जिस प्रकार एक झंडा जरूरी है उसी प्रकार एक भाषा भी जरूरी है जो कि भारत की अनेकता को एकता में परिवर्तित करे।

साक्षात्कार : भारतीय भाषाओं की उन्नति के लिए मिशन बनाकर कार्य करना होगा

हंसराज महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राचार्या डॉ. रमा शर्मा एक में अनेक का समुच्चय हैं । वे कुशल प्रशासक, लोकप्रिय शिक्षक, प्रखर पत्रकार, ओजस्वी वक्ता, प्रेरक नेतृत्वकर्ता होने के साथ-साथ अत्यंत मिलनसार, सरल, संवेदनशील व्यक्तित्व की धनी भी हैं । अनेक पुस्तकों का लेखन-संपादन करने के अतिरिक्त आपने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में अपने तार्किक वक्तव्यों एवं वाक् कौशल से सभी को चमत्कृत किया है । प्रस्तुत हैं, देश-विदेश में अनेक सम्मानों एवं पुरस्कारों से अलंकृत डॉ. रमा शर्मा से श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के हिन्दी विभागाध्यक्ष एवं चर्चित भाषाविद् डॉ. रवि शर्मा 'मधुप' एवं हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक की लंबी बातचीत के प्रमुख अंश - प्रस्तुति : पुलकित खन्ना

डॉ. रमा शर्मा

प्रश्न : आज हिन्दी को राजभाषा बने हुए लगभग सात दशक हो गए हैं । क्या आपको लगता है कि हिन्दी वास्तव में संघ की राजभाषा बन पाई है? जैसी अपेक्षा हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी ।

उत्तर : सच तो यह है कि अभी तक हिन्दी ठीक से राजभाषा नहीं बन पाई है। इसके पीछे कारण यह है कि हम लोगों में हिन्दी के प्रति संकल्प शक्ति की कहीं-न-कहीं कमी है। यदि हिन्दी वास्तव में राजभाषा बनी होती, तो मैं समझती हूँ कि आज हमें हिन्दी दिवस नहीं मनाना पड़ता। आज हमें अंग्रेजी के प्रचार-प्रसार की जरूरत नहीं पड़तीद्यअंग्रेजी हमारी अपनी भाषा भी नहीं है, फिर भी अंग्रेजी देखते-देखते काफी बढ़ गई है क्योंकि हमें हिन्दी के लिए जो कार्य करने चाहिए थे,वे हम लोगों ने नहीं किए। चाहे वह सरकार की दृष्टि से हों, जनता की दृष्टि से हों या कहीं भी हों। हिन्दी की जो स्थिति आज होनी चाहिए थी, उतनी अच्छी और सुदृढ़ स्थिति मुझे नहीं दिखती।

प्रश्न : हम लोगों को पंद्रह सालों का समय दिया गया था कि अंग्रेजी को सहायक भाषा के तौर पर चलाएँ और इसी बीच हिन्दी को मजबूत करने की सारी तैयारियाँ हम लोग कर लें, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं । आज हमारे विद्यालयों में आठवीं कक्षा के बाद हिन्दी को ही वैकल्पिक कर दिया है और अंग्रेजी को अनिवार्य, तो इसके पीछे क्या कारण है?

उत्तर : कारण है - हमारी मानसिक गुलामी है। कहने को तो हमने 1947 में अंग्रेजों की सत्ता से मुक्ति पा ली, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी हमारा सारा का सारा तंत्र अंग्रेजी चाल ही चल रहा है। हम लोग तो कई बार यह भी सोचते हैं कि अंग्रेजों का फिर भी मकसद था कि चलो इस देश में क्लर्क पैदा किए जाएँ, लेकिन आज के समय में हमारे बच्चे तो सही में क्लर्क भी पैदा नहीं हो रहे हैं। पिछले पाँच वर्षों की स्थिति का आकलन छोड़ दे (क्योंकि पिछले पाँच वर्षों में फिर भी हिन्दी भाषा की स्थिति कुछ सुधरी है), तो हम पाएँगे कि हिन्दी की स्थिति आजादी के बाद काफी बिगड़ी है । बात फिर वही है कि हम लोगों ने पंद्रह साल का समय रखा ही क्यों । क्या अपनी भाषा के प्रयोग के लिए पंद्रह वर्ष का समय देना चाहिए था? क्या एक या दो वर्ष पर्याप्त नहीं थे? जरूर कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता रही होगी उस समय, और मुझे लगता है कि हमें अंग्रेजी मानसिकता का गुलाम बनाए रखना भी एक राजनीतिक प्रतिबद्धता का ही परिणाम है। आज जितने भी हमारे बड़े-बड़े राजनेता हैं, शिक्षाविद हैं या और भी जो उच्च वर्ग के लोग हैं, हमें उनका एक सर्वेक्षण करवाना चाहिए कि ये जितने भी बड़े लोग हैं, उनके अपने बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम यकीनन यह पाएँगे कि ये सारे-के-सारे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं । अंग्रेजी स्कूलों की सोच, अंग्रेजी स्कूलों की मानसिकता उन पर हावी है, जिससे हिन्दी पर बुरा असर पड़ रहा है । हमारे देश की नौकरशाही ने भी कभी इस बात की कोशिश नहीं की कि वह हिन्दी का प्रचार-प्रसार करें। नौकरशाह जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम करते हैं,परंतु उन्होंने एक सेतु का काम किया ही नहीं। उनकी यह मंशा रही कि अंग्रेजी जितनी बढ़ेगी, जनता उतनी ही अपनी जड़ों से कटी रहेगी। साथ ही

उन पंद्रह वर्षों के पश्चात हमें सच्ची राजनीतिक प्रतिबद्धता और अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए हिन्दी को अनिवार्य करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने वैसा कुछ भी नहीं किया । इसके परिणामस्वरूप आज हिन्दी की यह हालत है। हम लोगों ने आठवीं कक्षा से हिन्दी को वैकल्पिक बनाकर बच्चे को अपनी मातृभाषा से काट दिया है, राष्ट्रभाषा से काट दिया है। यह एक सोची-समझी साजिश है- देश की नई पीढ़ी को देश से काटने की और इसके भयंकर परिणाम धीरे-धीरे हमारे सामने आने भी लगे हैं।

प्रश्न : हंसराज कॉलेज दिल्ली का एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय है । यह महाविद्यालय एक छोटे भारत की अनुभूति कराता है । यहाँ अलग-अलग पृष्ठभूमि के तमाम तरह के बच्चे पढ़ने आते हैं । आपके महाविद्यालय में हिन्दी पट्टी, गैर-हिन्दी पट्टी और साथ ही कान्वेंट स्कूलों के बच्चे भी आते हैं । आप यहाँ की प्राचार्या हैं; साथ ही आपका अध्यापन क्षेत्र में भी एक लंबा अनुभव रहा है । मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि भाषा को लेकर यहाँ आने के बाद उनका क्या बर्ताव होता है?

उत्तर : आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रवि जी कि हंसराज महाविद्यालय अपने आप में एक लघु भारत है। यहाँ हर तरह के, हर वर्ग के विद्यार्थी हमारे पास आते हैं । यह सही है कि हमारे पास जो हिन्दी पट्टी के विद्यार्थी आते हैं, खासतौर से जो विज्ञान में बच्चे आते हैं, उन्हें भाषा की यह राजनीति काफी परेशान करती है। उनसे जब मैं बात करती हूँ, तो मुझे लगता है उनके अंदर भारत की भाषा नीति को लेकर काफी असंतोष है। पिछले साल हमारा बॉटनी का एक विद्यार्थी था । उसकी हिन्दी बेहद अच्छी थी, लेकिन जब उसका परीक्षा परिणाम आया, तो उसने काफी कम अंक प्राप्त किए थे । मैंने उसे बुलाया और पूछा,"बेटा! तुम तो काफी होशियार हो, तो ऐसा परिणाम क्यों आया?" तो उसने कहा,"मैडम, क्योंकि मुझे अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देनी पड़ी।" हमारे बच्चों की जो प्रतिभा है, वह अंग्रेजी भाषा की वजह से दब रही है। हम हिन्दी पट्टी वालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हम हिन्दी में पर्याप्त ज्ञान सृजन करें। हिन्दी में एक और प्रपंच खेला जाता है । कहा जाता है कि दक्षिण भारत के लोग हिन्दी नहीं जानते। यह भ्रम भी यहाँ टूटा है । पिछले दिनों महाविद्यालय में कई दक्षिण भारतीय बच्चों से मेरा संपर्क हुआ और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि उन सभी बच्चों को बहुत ही अच्छी हिन्दी आती है। हिन्दी के साथ यह सब राजनीति खेली गई है। इसी कारण आज हिन्दी की यह दुर्दशा है, लेकिन इसके बावजूद यदि हम हिन्दी पट्टी के लोग एक होकर हिन्दी के लिए कार्य करें तो यह स्थिति जल्दी ही और जरूर बदलेगी।

प्रश्न : आज देश में कुल मिलाकर हिन्दी के प्रति निराशाजनक वातावरण बना हुआ है । लोग अपने बच्चों को हिन्दी पढ़ाना नहीं चाहते, हिन्दी बोलना नहीं चाहते । आपके अनुसार इन सबके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हमारी शिक्षा नीति और भाषा नीति इसके लिए जिम्मेदार है?

उत्तर : मैं तो यह कह ही रही हूँ कि शिक्षा नीति और भाषा नीति ही कारण हैं। आप कई बार सुनते होंगे कि पहले का पाँचवी पास आज के दसवीं पास बच्चों के मुकाबले ज्यादा होशियार होता था । इसका कारण यह था कि उसको शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाती थी। जब हमें अंग्रेजों के राज से मुक्ति मिली, तो हमें अपने देश की व्यवस्था के अनुरूप, अपने देश के तंत्र के अनुरूप, अपने समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षा नीति बनानी चाहिए थी, जो कि हमने नहीं बनाई। उस समय हमने इसको गंभीरता से नहीं लिया । 15 साल के बाद भी नहीं, और आज स्वतंत्रता के 72 साल बाद भी नहीं। अब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी पीढ़ी ने समाज को, माता-पिता को, घर-परिवार को, रिश्ते-नातों को बेकार बताना शुरू कर दिया है। आज हमारे सामने जो बच्चे हैं, जब हम उन्हें देखते हैं, तो हम पाते हैं कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो रहा है । मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि वे अविकसित बच्चे हैं, जिनकी न अपनी भाषा है, न अपना खानपान, पहनावा और चिंतन हैं। ऐसे बच्चे फिर अपने देश के रहे कहाँ? ऐसे बच्चों से भारत, भारतीयता और भारतीय संस्कृति के संरक्षण, उत्थान या प्रचार-प्रसार की आशा रखना क्या आकाश से तारे तोड़ने जैसा नहीं है? इन बच्चों के पास बहुत-सी सुविधाएँ हैं, हमारे पास एक भी गाड़ी नहीं होती थी; इन बच्चों के पास कई गाड़ियाँ हैं, लेकिन गाड़ियाँ लेने के चक्कर में ये सब मानवीयता, राष्ट्रीयता के स्तर पर बेकार बन गए हैं।उनको अपनी भाषा और संस्कृति से कोई लगाव नहीं है । वे मात्र अंग्रेजी के पीछे मूर्खता से दौड़ रहे हैं, इसके लिए ये बच्चे बिलकुल भी जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि इसके लिए तो हमारी शिक्षा नीति ही जिम्मेदार है ।

प्रश्न : आजादी के सात दशक बीतने के बाद भी हम लोग आज तक अपनी समृद्ध मातृभाषाओं को शिक्षा के साथ नहीं जोड़ पाए हैं, उलटे हमने मातृभाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी और अंग्रेजी माध्यम को शिक्षा में अनिवार्य कर दिया है । आपकी दृष्टि में इसके क्या कारण हैं?

उत्तर : देखिए यह तो स्वयं सिद्ध सत्य है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में ही सब काम अच्छे से कर सकता है। सबसे पहले वह सीखता भी मातृभाषा ही है। आज तक मेरी नजर में कभी कोई ऐसा बच्चा नहीं आया, जिसने पहला शब्द पिता बोला हो, बच्चा हमेशा माँ पहले बोलता है। बेशक वह तुतलाए, लेकिन वह बोलेगा पहला शब्द 'माँ' ही। हमारी वैदिक संस्कृति में तो यह माना जाता है कि बच्चा जब

गर्भ में होता है, तभी वह बच्चा माँ की भाषा सीख लेता है । इसलिए जब वह बोलना शुरू करता है, तो सबसे पहले वह माँ ही बोलता है। अब यह हमारा कर्तव्य है कि जब बच्चा बोलना सीख ले, तो उसकी सारी शिक्षा हम मातृभाषा में प्रदान करें,लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। आज के जो पढ़े-लिखे माँ-बाप हैं,वे बच्चे को केवल अंग्रेजी सिखाते हैं । हिन्दी तो छोड़ दीजिए, आज के माँ-बाप तो मातृभाषा में भी रुचि नहीं रखते। इसका प्रमुख कारण है- हमारी मानसिक दासता की प्रवृत्ति और सरकारी नीतियाँ ।

प्रश्न : आज कॉलेज के बच्चों की जो भाषा-शैली है, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगी?

उत्तर : मातृभाषा के प्रति हमने बच्चों को समर्पित नहीं किया। उनकी मातृभाषा उनको अच्छे से आई नहीं । उनको जब मातृभाषा में सारा काम करना सिखाना चाहिए था, उस पर अधिकार करना चाहिए था, हमने उनको विदेशी भाषा सिखाई। बच्चे का जो अपना मौलिक चिंतन था, उसकी जो अपनी बौद्धिक और मानसिक उन्नति होनी थी, उसको हमने वहीँ पर ही रोक दिया और जब बच्चा वहाँ से बढ़कर महाविद्यालयों में आता है, तब तक उसकी भाषाएँ बिगड़ चुकी होती हैं। हमारे पास जब बच्चा आता है, तो वह परिपक्व होकर आता है । इस उम्र के बच्चों की जब मैं भाषा देखती हूँ, व्यवहार देखती हूँ, तो मैं महसूस करती हूँ कि इन बच्चों की तो किसी भी भाषा पर पकड़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिन्दी उन्हें नहीं आती, तो उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है । आज के बच्चों को न तो मातृभाषा आती है, न राज्य भाषा आती है और न ही विदेशी भाषाएँ आती हैं। अब देश को कहीं-न-कहीं आगे आकर इस दिशा में काम करना चाहिए। भाषा वह अच्छी होती है, जो विचार-विनिमय का माध्यम होती है, जो दूसरों का ध्यान आकर्षित करती है । आज की युवा पीढ़ी की जो भाषा है,वह उल-जलूल भाषा है। पहले हम भाई-बहन कहते थे, फिर हम ब्रदर-सिस्टर पर आ गए और आज स्थिति यह है कि हम लोग 'ब्रो'-'सिस' बोलते हैं। हमारी भाषा किधर जा रही है, हमें इस पर चिंतन करना पड़ेगा। आज हम भारत में अनेक प्रकार की समस्याओं की बात करते हैं, संबंधों की, मूल्यों की समस्या आदि, मुझे लगता है कि उन सारी समस्याओं की जड़ में यदि हम एक समस्या ढूँढ़ना चाहें, तो वह भाषा की समस्या होगी। आज हमारी भाषा अच्छी नहीं है क्योंकि यह हमारी अपनी भाषा नहीं है । इसलिए हम कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अब हमें इस पर चिंतन करना होगा और इन विद्यार्थियों के लिए हम सबको मिलकर भाषा सुधार की तरफ बढ़ना होगा क्योंकि जिस तरह की भाषा हम लोग इस्तेमाल करेंगे, आने वाली पीढ़ी भी उसी तरीके की भाषा सीखेगी और बोलेगी।

प्रश्न : आपका पत्रकारिता में काफी लंबा अनुभव है । आपकी पत्रकारिता पर कई किताबें प्रकाशित हैं । मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि वर्तमान में हिन्दी मीडिया की भाषा जिस प्रकार से दूषित होती जा रही है, उस पर आप क्या राय रखती हैं?

उत्तर : मैंने दो तरह के दौर देखे हैं। एक वह दौर था जब हमें बेहद अच्छी पत्र-पत्रिकाएँ मिली। हमने जनसत्ता को बड़ी गंभीरता से पढ़ा। जनसत्ता ने हमें शब्द गढ़ना सिखाया । मैं जिन दिनों प्रभाष जोशी जी के साथ जनसत्ता में काम करती थी, तो मैंने देखा कि वे एक-एक शब्द के लिए मेहनत करते थे । वे कहते थे कि यह जो शब्द समाचार-पत्र के माध्यम से जा रहा है, यह रिक्शा वाले से लेकर उच्च बौद्धिक वर्ग तक के पास जाएगा । इसलिए हमें बहुत सोच-समझकर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने 'साप्ताहिक हिंदुस्तान', 'धर्मयुग' और 'दिनमान' जैसी पत्र-पत्रिकाओं से अपनी भाषाओं पर पकड़ बनाई है। 'राष्ट्रीय सहारा' जब प्रकाशित होने वाला था, तो राष्ट्रीय सहारा की जो पहली बैठक हुई थी, उस समय उस टीम को कहा गया था कि भाषा की शुद्धता पर आपने ध्यान देना है । भाषा की शुद्धता से मतलब भाषा की क्लिष्टता से नहीं था। वहाँ मतलब यह था कि हम उल-जलूल भाषा का प्रयोग न करें। हमारे देखते-देखते ही नवभारत टाइम्स की भाषा क्या से क्या हो गई और यही स्थिति अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी है। मीडिया पर भाषा को बनाने, बचाने और फैलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन आज के मीडिया ने अपनी इस जिम्मेदारी को कतई नहीं निभाया है।

प्रश्न : क्या आपको लगता है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का मुद्दा अभी भी जीवित है?

उत्तर : बिल्कुल यह मुद्दा अभी भी जीवित है । आप और हम मिलकर इस बात को आगे तक लेकर जाएँगे और हिन्दी की उन्नति के लिए कार्य करेंगे । मुझे यह आशा है कि हम लोग जल्दी ही हिन्दी को राष्ट्रभाषा के तौर पर देखेंगे।

प्रश्न : संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित होने की पंक्ति में लगी हिन्दी की बोलियों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगी?

उत्तर : यह एक सोची-समझी साजिश है, एक षड्यंत्र है। कुछ लोग बोलियों के नाम पर जनता को आपस में ही लड़ा देते हैं। हमें हिन्दी का दायरा समेटना नहीं है और यही हिन्दी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हमें किसी भी प्रकार से वर्गों को बढ़ाना नहीं है कि हम एक-एक करके हिन्दी की सारी बोलियों को आठवीं अनुसूची में लाते चले जाएँ और हिन्दी से उनको काट दे। याद रखिए कि हिन्दी पाँच उपभाषाओं और सत्रह बोलियों का समूह है । इनमें से हिन्दी की एक बोली- मैथिली को काटकर आठवीं अनुसूची में डाल दिया

शेष पृष्ठ संख्या 29 पर

चमत्कार लोक भाषाओं का

अवधी भाषा और उसका साहित्य

केशव मोहन पाण्डेय

भाषा को एक संस्कृति कहा गया है। किसी भी भाषा में भावनाएँ, विचार और सदियों की जीवन-पद्धति समाहित होती है। भाषा परंपराओं और संस्कृति से व्यक्ति को जोड़े रखती है। भाषा से व्यक्ति के समाज, राष्ट्र और संस्कृति की पहचान होती है। एक भाषा के नष्ट होने का अर्थ एक संस्कृति, विचार और जीवन-पद्धति का मर जाना होता है। भाषा कोई भी हो, अपने आप में उसकी अहम पहचान होती है। वैज्ञानिक इस बात को स्पष्टत: मानते हैं कि व्यक्ति के संप्रेषण की भाषा वही होनी चाहिए जिसमें वह सोचता है। हमें कई बार सुनने-पढ़ने को मिलता है कि भाषा-संस्कृति का अधिष्ठान है। संस्कृति भाषा पर टिकी हुई है। मानवीय अध्ययनों में संस्कृति का स्थान अत्यंत महत्तपूर्ण होता है। इस विषय का विकास बड़ी तीव्र गति से हुआ है और अब तो यह अनेक उपभागों में विभाजित होता जा रहा है। मानव और संस्कृति में विद्वान लेखकों ने सांस्कृतिक नेतृत्व के सर्वमान्य तथ्यों को अनेक ग्रंथों में अनेक पृष्ठभूमियों में प्रस्तुत करने का यत्न किया है। भाषा से परे किसी को नहीं माना जाता है। हम कह सकते हैं कि भाषा से परे रहने वाला या तो मृत है या गूंगा। वह कभी संस्कारित और सहृदय नहीं कहा जा सकता।

विकास प्रक्रिया के आधार पर भाषा मनुष्य के भाव, विचार व अनुभव को अभिव्यक्त करने का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथा व्यापक साधन है। भाषा मूलत: ध्वनि-संकेतों की एक व्यवस्था है, यह मानव-मुख से निकली अभिव्यक्ति है, यह विचारों के आदान-प्रदान का एक सामाजिक साधन है और इसके शब्दों के अर्थ प्राय: रूढ़ होते हैं। भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार जान सकता है। अत: हम कह सकते हैं कि भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि-संकेतों की व्यवस्था ही भाषा है । व्याकरणिक रूप से भाषा का अर्थ 'कही हुई चीज' होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा दूसरों तक विचारों को पहुँचाने की योग्यता हैं। इसमें विचार-भाव के प्रत्येक साधन सम्मिलित किये जाते हैं। मातृभाषा के साथ व्यक्ति का वही लगाव होता है जो जन्मदात्री के साथ होता है। शायद यही भाव रहा होगा कि तुलसीदास जी ने रामचरित मानस को अवधी में, अपनी मातृभाषा में लिखा। वैसे तो किंवदंति है कि महापंडित गोस्वामी जी रामचरित मानस को संस्कृत में लिख रहे थे। अपनी मातृभाषा में लिखने के लिए रात में स्वप्न देखे और अवधी में लिखे, मगर रामचरित मानस की लोकप्रियता भी मातृभाषा के कारण ही है। जिस प्रकार गोस्वामी जी ने अवधी में रामचरित मानस की सर्जना कर जनमानस में राम को स्थापित किया, उस प्रकार शायद अन्य भाषा के द्वारा संभव न था। यह इसलिए कि अवधी का परिक्षेत्र अनेक बोलियों/भाषाओं को छूता है। वर्तमान समय में अपनी-अपनी भाषा के लिए संघर्ष करने वाले मानस को अपनी-अपनी भाषा के निकट बताते हैं या अपनी-अपनी भाषा का बताते हैं। 'रामचरितमानस' की भाषा के बारे में विद्वान एकमत नहीं हैं। कोई इसे अवधी मानता है तो कोई भोजपुरी। कुछ लोक मानस की भाषा अवधी और भोजपुरी की मिलीजुली भाषा मानते हैं। मानस की भाषा बुंदेली मानने वालों की संख्या भी कम नहीं है। मानस में संस्कृत, फारसी और उर्दू के शब्दों की भरमार है। प्रकाशन विभाग द्वारा सन 1978 में प्रकाशित पुस्तक 'रामायाण, महाभारत एंड भागवत राइटर्स' के पृष्ठ 110 पर मदन गोपाल ने रामचरितमानस की भाषा में के बारे में लिखते हुए कहा कि तुलसीदास अवधी और ब्रज भाषा में बराबर निष्णात थे। उन्होंने लगभग 90,000 संस्कृत शब्दों को गाँवों में प्रचलित किया, जबकि 40,000 देसी शब्दों को पढ़े-लिखे लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। तुलसीदास ने अवधी और ब्रज भाषा के मिले-जुले स्वरूप को प्रचलित किया। इसके साथ ही उन्होंने फारसी और अन्य भाषाओं के हजारों शब्दों का प्रयोग किया। तुलसीदास ने संज्ञाओं का प्रयोग क्रिया के रूप में किया तथा क्रियाओं का प्रयोग संज्ञा के रूप में। इस प्रकार के प्रयोगों के उदाहरण बिरले ही मिलते हैं। तुलसीदास ने भाषा को नया स्वरूप दिया।'

भारत के अवध क्षेत्र की भाषा अवधी कहलाती है, जो राष्ट्रभाषा हिन्दी की एक उपभाषा है। अवधी का प्राचीन साहित्य बड़ा संपन्न है। इसमें भक्ति काव्य और प्रेमाख्यान काव्य दोनों का विकास हुआ। अवधी की पड़ोसी भाषाएँ/बोलियाँ भोजपुरी, नेपाली, ब्रज, बुंदेलखंडी आदि हैं। तुलसीदास जी विद्वान थे ही, संस्कृत के ज्ञाता थे। तत्कालीन समाज मुगलों द्वारा शासित था। उनकी भाषा (अरबी-फारसी) का प्रभाव होना सहज है। इस आधार पर अवधी के स्वतंत्र अस्तित्व को अस्वीकार करना क्षेत्रीय कुंठा या आत्ममुग्धता है। अवधी लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ के साथ ही इलाहाबाद, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती तथा फतेहपुर में भी बोली जाती है। इसके अतिरिक्त इसकी एक शाखा बघेलखंड में बघेली नाम से प्रचलित है। 'अवध' शब्द की व्युत्पत्ति 'अयोध्या' से है। इस नाम का एक सूबा राज्यकाल में था। तुलसीदास ने अपने 'मानस' में अयोध्या को 'अवधपुरी' कहा

है। इसी क्षेत्र का पुराना नाम 'कोसल' भी था जिसकी महत्ता प्राचीन काल से चली आ रही है। भाषा शास्त्री डॉ. सर 'जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन' के भाषा सर्वेक्षण के अनुसार अवधी बोलने वालों की कुल आबादी 1615458 थी जो सन् 1971 की जनगणना में 28399552 हो गई। मौजूदा समय में शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 6 करोड़ से ज्यादा लोग अवधी बोलते हैं। इसे उपरोक्त जिलों के अतिरिक्त बिहार के 2 जिलों के साथ पड़ोसी देश नेपाल के 8 जिलों में यह प्रचलित है। इसी प्रकार दुनिया के अन्य देशों- मॉरिशस, त्रिनिदाद एवं टुबैगो, फिजी, गयाना, सूरीनाम सहित आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व हॉलैंड में भी लाखों की संख्या में अवधी बोलने वाले लोग हैं।

स्वामी रामभद्राचार्य इस बात से तो सहमत हैं कि तुलसीदास 'ग्राम्य गिरा' के पक्षधर थे। परन्तु वे जायसी की गँवारू अवधी के पक्षधर नहीं थे। स्वामी रामभद्रचार्य ने 'न्ह' के प्रयोग को भी अनुचित और अनावश्यक बताया है। उनके अनुसार नकार के साथ हकार जोड़ना ब्रज भाषा का प्रयोग है अवधी का नहीं। स्वामीजी के अनुसार मानस की उपलब्ध प्रतियों में तुम के स्थान पर 'तुम्ह' और 'तुम्हहि' शब्दों के जो प्रयोग मिलते हैं वे अनुचित हैं। उन्होंने लिखा है कि बाँदा तथा बुंदेलखंड में तुम शब्द का ही प्रयोग होता है। 'श' के प्रयोग के बारे में स्वामी रामभद्राचार्य का मानना है कि गोस्वामी तुलसीदास ने 'श' के स्थान 'स' का प्रयोग केवल वहीं किया है, जहाँ इसके प्रयोग से कोई आपत्तिजनक अर्थ न पैदा हो जाए। 'रामचरित मानस की भाषा और वर्तनी' लेख की माने तो अवधी भाषा के संबंध में सबसे प्रामाणिक ग्रंथ डॉ. बाबूराम सक्सेना द्वारा लिखित 'अवधी का विकास' माना जाता है। डॉ. बाबूराम सक्सेना विश्वविख्यात भाषाविद थे, वे इलाहाबाद विवि में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रह चुके थे। प्रस्तुत ग्रन्थ उनके डीलिट का शोध प्रबंध है, जो उन्होंने डॉ. ज्यूल ब्लाख और डॉ. टर्नर के निर्देशन और मार्गदर्शन में लिखा था। इस पुस्तक में प्राचीन अवधी और वर्तमान अवधी की ध्वनियों का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। संस्कृत की 'श' ध्वनि बाद में विकसित लोक भाषाओं में स, छ या अन्य ध्वनियों के रूप में बदल गई। पाणिनीय व्याकरण में भी एक सूत्र आता है 'शश्छोटि'। अर्थात सूत्र में वर्णित परिस्थितियों में 'श' का 'छ' हो जाता है। लेख में आगे वर्णन है कि ऐसी मान्यता है कि यह गोस्वामी तुलसीदास के हाथ लिखी हुई प्रति है। जो भी हो यह एक प्राचीन प्रति है। इस प्रति में प्रयोग की गई लिपि का विवरण बड़ा दिलचस्प है। तुलसी जन्म भूमि शोध समीक्षा के लेखक राम गणेश पांडेय ने अपनी पुस्तक पृष्ठ 91 तथा 'रामचरितमानस में महाकाव्य, भक्ति और दर्शन' के लेखक डॉ. विद्गवम्बर दयाल अवस्थी ने अपनी पुस्तक में मानस में प्रयुक्त लिपियों का सचित्र वर्णन किया है। इसे देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस समय राजापुर प्रति लिखी गई होगी उस समय 'र' ध्वनि का स्वरूप आज के 'न' की तरह था। अर्थात अगर गोस्वामी जी ने रारी लिखा होगा तो वर्षों बाद उनके हाथ की लिखी हुई प्रति को लोगों ने नानी पढ़ा होगा और चूँकि नानी शब्द अटपटा लगता है इसलिए इसे नारी लिख दिया गया होगा। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित 'ढोल गँवार छुद्र पसू रारी', 'ढोल गँवार शूद्र पशू नारी' हो गया। डॉ. बाबूराम सक्सेना ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अवधी भाषा कैथी लिपि में भी लिखी जाती थी। व्यापारी लोग मुडिया लिपि का प्रयोग करते थे। पढ़े-लिखे लोग अवधी को देवनागरी और फारसी लिपि में लिखते थे। इस तरह इतने प्रकार की लिपियों में लिखी जाने वाली अवधी में अगर बाद में तुलसीदास की महानता और विद्वता को देखते हुए उनमें संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी गई तो कोई आश्चर्य नहीं। हो सकता है कि इसके पीछे विद्वानों का अपनी भाषा के प्रति स्वार्थ हो या हिन्दी को समृद्धतम भाषा सिद्ध करने की ललक, परन्तु अवधी प्राचीन काल में भी साहित्य की दृष्टि से समृद्ध भाषा रही है। पूर्व साहित्य में भी एक से बढ़कर एक अतुलनीय साहित्यकारों ने अवधी में रचनाएँ की हैं। तुलसीदास, त्रिलोचन शास्त्री, द्वारका प्रसाद मिश्र, नरोत्तमदास, निर्झर प्रतापगढ़ी, प्रतापनारायण मिश्र, मलिक मोहम्मद जायसी, मलूकदास, रमई काका, सूरजदास, जुमई खां आजाद, अमीर खुसरो आदि का नाम कौन ससम्मान नहीं लेता।

अवधी साहित्य हमेशा से समृद्ध रहा है। वर्तमान समय में ही अवधी की अनेक संतानें हैं जो उसके साहित्य को अपने-अपने तरीके से समृद्ध कर रही हैं और विश्व पटल पर पुनर्स्थापना में लगी हैं। जगदीश प्रसाद पाण्डेय अपनी अवधी ग्रंथावली में लिखते हैं कि अवधी में प्रबंध काव्यों की शृंखलावद्धता ही उसे अन्य विभाषाओं की तुलना में उच्चासन पर आसनस्थ करने के लिए पर्याप्त है। पद्मावत तथा रामचरितमानस जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के महाकाव्य जहाँ भक्तिकाल की गौरवपूर्ण निधि हैं, वहीं जानकीप्रसाद कृत 'रामनिवास रामायण' तथा रसिक बिहारी कृत 'राम रसायन' रीतिकाल के प्रबंध काव्य हैं। लालच दास का भागवत दशम स्कंध, मंचित का कृष्णायन तथा कवि सिंह का 'बहुला व्याघ्र संवाद' आदि अवधी के प्रमुख प्रबंध काव्य हैं। आधुनिक युग में तो प्रबंध-काव्यों की एक लंबी शृंखला है। पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र का कृष्णायन, विद्यापति महाजन का गांधी चरितमानस, गुरुप्रसाद मृगेश का पारिजात, शीतल सिंह गहवार का श्री सीताराम चरितमानस आदि अवधी की मणिमाला के रत्न हैं।

'अवधी भाषा एवं अवध संस्कृति' नामक पुस्तक में योगेन्द्र प्रताप सिंह व सूर्यप्रसाद दीक्षित लिखतें हैं कि मुल्ला दाऊद से प्रारंभ हुई सूफी काव्य परम्परा अवधी में लंबे समय तक विद्यमान रही। यह परम्परा प्रबंध काव्यों की है। इसके प्श्चात् भी अवधी काव्यधारा

रुकी नहीं है। वह आज भी निरंतर प्रवाहित है और महत्त्वपूर्ण साहित्य का सर्जन हो रहा है। बलभद्र दीक्षित 'पढ़ीस', वंशीधर शुक्ल और चंद्रभूषण त्रिवेदी 'रमई काका' ने आधुनिक अवधी काव्य को नयी ऊँचाइयाँ प्रदान की हैं।

प्राची पत्रिका के अप्रैल 2016 के अंक में सूर्यप्रसाद दीक्षित का लेख 'अवधी भाषा का इतिहास' देखा जा सकता है। वे लिखते हैं कि अवधी भाषा के प्राचीनतम चिह्न हमें सातवीं शताब्दी से ही मिलने लगते हैं। कोई भी भाषा या बोली अचानक नहीं आ जाती है। पहले उसका प्रयोग समाज में होता है, तब कहीं वर्षों बाद वह साहित्य के रूप में सामने आती है। प्राकृत पैंगलम, राउलबेल तथा कीर्तिलता आदि में अवधी के प्राचीन रूप देखे जा सकते हैं।

उपरोक्त तथ्यों से सिद्ध हो जाता है कि अवधी एक प्राचीन भाषा है और उसका विपुल साहित्य विश्व-पटल पर भारतीय साहित्य व संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला है। भले ही भोजपुरी, मगही, बज्जिका आदि अनेक भाषाओं की भाँति अवधी को भी राजाश्रय न मिला हो, संवैधानिक मान्यता से दूर हो, भले ही प्राचीन साहित्यकारों की पीढ़ी-परम्परा न दिखती हो, मगर आज भी सरस्वती के अनेक सेवक अपनी मातृभाषा अवधी में साहित्य-सृजन कर रहे हैं और अपनी मातृभाषा को समृद्ध कर रहे हैं। आचार्य श्यामसुन्दर मिश्र 'मधुप', अमरेंद्र त्रिपाठी, सरोज यादव 'सरु', अशोक 'अग्यानी', बजरंग बिहारी 'बजरु', जगदीश पीयूष' आदि- जैसे रचनाकार हर अवधि में अवधी साहित्य को उच्चासन पर स्थापित करते रहेंगे और इन सभी मातृभाषाओं की संजीवनी से हिन्दी भी विश्व-शिखर पर आसन्न होती रहेगी।

संदर्भ -

1. हिन्दी वेबदुनिया डॉट कॉम-रामचरितमानस की भाषा और वर्तनी ।

2. यूनियनपेडिया डॉट ऑर्ग-अवधी साहित्य और विक्रम मणि त्रिपाठी ।

3. जगदीश प्रसाद पाण्डेय-अवधी ग्रंथावलीखंड-1, (पृष्ठ-15)

4. योगेन्द्र प्रताप सिंह, सूर्यप्रसाद दीक्षित - अवधी भाषा एवं अवध संस्कृति (पृष्ठ-15) ।

5. प्राची-अप्रैल 2016

6. कविता कोश

-केशव मोहन पाण्डेय
समन्वयक, सर्व भाषा ट्रस्ट, दिल्ली

पृष्ठ संख्या 26 का शेष

गया, यानी हिन्दी का संख्या बल कम कर दिया गया । अब इसी प्रकार भोजपुरी, राजस्थानी को काटने की कोशिश की जा रही है । यदि हम आज नहीं जागे, तो कल हो सकता है कि अवधी, ब्रज, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली आदि को हिन्दी से काटने में भी ये षड्यंत्रकारी सफल हो जाएँ । सोचिए कि तुलसी, सूर, मीरा, केशव, बिहारीलाल आदि के बिना हिन्दी में क्या बचेगा? हमारी जो केंद्रीयता है, वह हिन्दी पर ही रहनी चाहिए। यह जो आठवीं अनुसूची में सम्मिलित होने के लिए बोलियों को हिन्दी से काटा जा रहा है, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इस तरीके की राजनीति को समाप्त करना चाहिए।

प्रश्न : आप 'हिंदुस्तानी भाषा भारती' पत्रिका के पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगी?

उत्तर : 'हिंदुस्तानी भाषा भारती' काफी अच्छा कार्य कर रही है। जिस काम में हिंदुस्तानी भाषा अकादमी का परिवार लगा हुआ है- हिन्दी के लिए और साथ ही साथ सारी भारतीय भाषाओं के उन्नयन के लिए; मुझे लगता है यह बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम है। इस पत्रिका के माध्यम से मैं यही संदेश पाठकों को देना चाहूँगी कि जिस पाठक के हाथ में भी 'हिंदुस्तानी भाषा भारती' जाए, वह अपने पाँच मित्रों को इस पत्रिका से जोड़े, इस मुहिम को आगे बढ़ाए और हिन्दी के लिए,भारतीय भाषाओं के लिए अपना पूरा समर्पण दिखाए; चाहे वह अपने द्वारा काम करके दिखाए, चाहे इस मुहिम में शामिल होकर दिखाए। हमें अपनी भाषाओं के लिए पहले से भी कई गुना बढ़कर काम करना होगा। पूरी प्रतिबद्धता के साथ भारतीय भाषाओं के लिए हम सब काम करें । 'हिंदुस्तानी भाषा अकादमी' के परिवार को ईश्वर और ज्यादा शक्ति दे, ईश्वर इस लगन को बनाए रखे। आपका अपना एक बहुत बड़ा दायरा है, जिसे मैंने देखा है और मैंने इस दायरे को बढ़ता हुआ भी देखा है। जहाँ से आपने शुरू किया था और आज जहाँ पर आप खड़े हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई भी देती हूँ। पाठकों को भी हम बधाई देते हैं। लेकिन अभी भी हमको काफी कार्य करने हैं। संस्था को और पाठकों को दोनों को मिलकर भारतीय भाषाओं की उन्नति के लिए कार्य करने होंगे। हमें हिन्दी को एक मिशन बनाकर कार्य करना होगा ।

**भाषा और संस्कृति से खिलवाड़ करने वाले राजनीतिज्ञ आते हैं, चले जाते हैं।
ये राजनीतिज्ञ आज हैं और कल नहीं रहेंगे,
किन्तु भारतीय संस्कृति की प्रतीक
हिन्दी सदा अमर रहेगी।**
-राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन

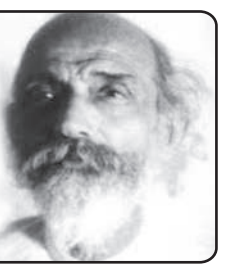

विशेष रिपोर्ट

भाषा गौरव शिक्षक सम्मान समारोह एवं काव्योत्सव

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी प्रत्येक वर्ष 10 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में हिन्दी विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों एवं उनके भाषा शिक्षकों को सम्मानित करती है । हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार और हिन्दी के प्रति छात्रों का प्रोत्साहन बढ़ाने के उद्देश्य से यह सम्मान समारोह दिल्ली सहित गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी आयोजित किया जाता रहा है । 3 फरवरी, 2019 को दिल्ली प्रदेश के लगभग 150 विद्यालयों के 1725 छात्रों सहित उनके हिन्दी शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया । अकादमी का यह मानना है कि किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली में भाषा और संस्कार की नींव भाषा शिक्षक ही रखता है और वह विद्यालय और छात्रों के बीच सेतु की भूमिका निर्वाह करता है । एक सभ्य और शिष्ट समाज के निर्माण के साथ-साथ भाषा के संरक्षण और संवर्द्धन में भी भाषा शिक्षकों का महत्पूर्ण योगदान होता है । भाषा शिक्षकों के योगदान को मद्देनजर करते हुए अकादमी ने रविवार, 21 जुलाई 2019 को अमीर खुसरो सभागार, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली में भाषा गौरव शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया ।

इस समारोह में विशिष्ट अतिथियों के रूप में आकाशवाणी के पूर्व निदेशक एवं साहित्यकार डॉ. लक्ष्मी शंकर बाजपेयी, वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार डॉ. बी.एल. गौड़, विख्यात व्यंग्यकार एवं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के संपादक डॉ. लालित्य ललित, कवयित्री सुश्री कमला सिंह जीनत, शिक्षाविद् एवं साहित्यकार डॉ. हरीश अरोड़ा, शिक्षाविद् एवं साहित्यकार डॉ. रवि शर्मा 'मधुप', राजभाषा, गृह मंत्रालय के उप संपादक, डॉ. धनेश द्विवेदी तथा शिक्षाविद् एवं साहित्यकार डॉ. रमेश तिवारी उपस्थित थे । दिल्ली प्रदेश के 150 विद्यालयों के हिन्दी भाषा के शिक्षकों सहित गुरुग्राम, गाजियाबाद तथा नोएडा से भी कई विद्वत जनों की उपस्थिति रही ।

दीप प्रज्जवलन के साथ कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत की गई । इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दिल्ली के लगभग 200 हिन्दी भाषा शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया । इस अवसर पर हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के वरिष्ठ सदस्य एवं मीडिया प्रभारी श्री हामिद खान को 'भाषा संवाहक सम्मान' से सम्मानित किया गया तथा अकादमी की सलाहकार एवं साहित्यकार श्रीमती सुरेखा शर्मा को 'साहित्य सेवी सम्मान'से सम्मानित किया गया । कार्यक्रम के काव्योत्सव सत्र में विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों ने अपनी-अपनी प्रतिनिधि रचनाओं का काव्यपाठ किया । विशिष्ट अतिथियों ने भी अपनी कविताओं और गजलों से सभागार को गुंजायमान बनाए रखा । काव्योत्सव सत्र में नन्हें बाल कवि जश्न महाला आकर्षण का केंद्र रहा । बाल कवि जश्न ने अपनी कविता एवं प्रस्तुति से उपस्थित श्रोताओं का मन मोह लिया।

राजकुमार श्रेष्ठ
उप सम्पादक

चमत्कार लोक भाषाओं का

अवधी भाषा-कुछ महत्वपूर्ण आयाम व विशेषताएँ

प्रो. शरद नारायण खरे

तुलसीदास कृत रामचरितमानस एवं मलिक मुहम्मद जायसी कृत पद्मावत सहित कई प्रमुख ग्रंथ इसी बोली की देन है।इसका केन्द्र अयोध्या है। अयोध्या लखनऊ से 120 किमी की दूरी पर पूर्व में है। सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, राममनोहर लोहिया, कुंवर नारायण की यह जन्मभूमि है। उमराव जान, आचार्य नरेन्द्र देव और राम प्रकाश द्विवेदी की कर्मभूमि भी यही है। रमई काका की लोकवाणी भी इसी भाषा में गुंजरित हुई। हिन्दी के रीतिकालीन कवि द्विजदेव के वंशज अयोध्या का राजपरिवार है। हिन्दी के वरिष्ठ आलोचक विश्ववनाथ त्रिपाठी ने अवधी भाषा और व्याकरण पर महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। फाह्यान ने भी अपने विवरण में अयोध्या का जिक्र किया है। आज की अवधी प्रवास और संस्कृतिकरण के चलते खड़ी बोली और अंग्रेजी के प्रभाव में आ रही है। अवधी के पश्चिम में पश्चिमी वर्ग की बुंदेली और ब्रज का, दक्षिण में छत्तीसगढ़ी और पूर्व में भोजपुरी बोली का क्षेत्र है। इसके उत्तर में नेपाल की तराई है जिसमें आदिवासियों की बस्तियाँ हैं जिनकी भाषा अवधी से बिलकुल अलग है।

व्याकरण-

हिन्दी खड़ी बोली से अवधी की विभिन्नता मुख्य रूप से व्याकरणात्मक है। इसमें कर्ता कारक के परसर्ग (विभक्ति) 'ने' का नितांत अभाव है। अन्य परसर्गों के प्रायः दो रूप मिलते हैं- ह्रस्व और दीर्घ। (कर्म-संप्रदान-संबंध : क, का; करण-अपादान : स-त, से-ते; अधिकरण : म, मा)।संज्ञाओं की खड़ी बोली की तरह दो विभक्तियाँ होती हैं- विकारी और अविकारी। अविकारी विभक्ति में संज्ञा का मूल रूप (राम, लरिका, बिटिया, मेहरारू) रहता है और विकारी में बहुवचन के लिए 'न' प्रत्यय जोड़ दिया जाता है (यथा रामन, लरिकन, बिटियन, मेहरारुन)। कर्ता और कर्म के अविकारी रूप में व्यंजनान्त संज्ञाओं के अंत में कुछ बोलियों में एक ह्रस्व 'उ' की श्रुति होती है (यथा रामु, पूतु, चोरु)। किंतु निश्चय ही यह पूर्ण स्वर नहीं है और भाषा विज्ञानी इसे फुसफुसाहट के स्वर-ह्रस्व 'इ' और ह्रस्व 'ए' (यथा सांझि, खानि, ठेलुआ, पेहंटा) मिलते हैं।संज्ञाओं के बहुधा दो रूप, ह्रस्व और दीर्घ (यथा नद्दी नदिया, घोड़ा घोड़वा, नाऊ नउआ, कुत्ता कुतवा) मिलते हैं। इनके अतिरिक्त अवधी क्षेत्र के पूर्वी भाग में एक और रूप-दीर्घतर मिलता है (यथा कुतउना)। अवधी में कहीं-कहीं खड़ी बोली का ह्रस्व रूप बिलकुल लुप्त हो गया है; यथा बिल्ली, डिब्बी आदि रूप नहीं मिलते बेलइया, डेबिया आदि ही प्रचलित हैं।सर्वनाम में खड़ी बोली और ब्रज के 'मेरा तेरा' और 'मेरो तेरो' रूप के लिए अवधी में 'मोर तोर' रूप हैं। इनके अतिरिक्त, पूर्वी अवधी में पश्चिमी अवधी के 'सो' 'जो' 'को' के समानांतर 'से' 'जे' 'के' रूप प्राप्त हैं। क्रिया में भविष्यकाल रूपों की प्रक्रिया खड़ी बोली से बिलकुल भिन्न है। खड़ी बोली में प्रायः प्राचीन वर्तमान (लट्) के तद्भव रूपों में- गा-गी-गे जोड़कर (यथा होगा, होगी, होंगे आदि) रूप बनाए जाते हैं। ब्रज में भविष्यत् के रूप प्राचीन भविष्यत्काल (लट्) के रूपों पर आधारित हैं। (यथा होइहैंउ भविष्यति, होइहोंउ भविष्यामि)। अवधी में प्रायः भविष्यत् के रूप तव्यत् प्रत्ययांत प्राचीन रूपों पर आश्रित हैं (होइबाउ भवितव्यम)। अवधी की पश्चिमी बोलियों में केवल उत्तम पुरुष बहुवचन के रूप तव्यतांत रूपों पर निर्भर हैं। शेष ब्रज की तरह प्राचीन भविष्यत् पर। किंतु मध्यवर्ती और पूर्वी बोलियों में क्रमशः तव्यतांत रूपों की प्रचुरता बढ़ती गई है। क्रियार्थक संज्ञा के लिए खड़ी बोली में 'ना' प्रत्यय है (यथा होना, करना, चलना) और ब्रज में 'नो' (यथा होनो, करनो, चलनो)। परंतु अवधी में इसके लिए 'ब' प्रत्यय है (यथा होब, करब, चलब)। अवधी में निष्ठा एकवचन के रूप का 'वा' में अंत होता है (यथा भवा, गवा, खावा)। भोजपुरी में इसके स्थान पर 'ल' में अंत होने वाले रूप मिलते हैं (यथा भइल, गइल)। अवधी का एक मुख्य भेदक लक्षण है अन्य पुरुष एकवचन की सकर्मक क्रिया के भूतकाल का रूप (यथा करिसि, खाइसि, मारिसि)। य-'सि' में अंत होने वाले रूप अवधी को छोड़कर अन्यत्र नहीं मिलते। अवधी की सहायक क्रिया में रूप 'ह' (यथा हइ, हइं), 'अह' (अहइ, अइई) और 'बाटइ' (यथा बाटइ, बाटइं) पर आधारित हैं। ऊपर लिखे लक्षणों के अनुसार अवधी की बोलियों के तीन वर्ग माने गए हैं : पश्चिमी, मध्यवर्ती और पूर्वी। पश्चिमी बोली पर निकटता के कारण ब्रज का और पूर्वी पर भोजपुरी का प्रभाव है। इनके अतिरिक्त बघेली बोली का अपना अलग अस्तित्व है।विकास की दृष्टि से अवधी का स्थान ब्रज, कन्नौजी और भोजपुरी के बीच में पड़ता है। ब्रज की व्युत्पत्ति निश्चय ही शौरसेनी से तथा भोजपुरी की मागधी प्राकृत से हुई है। अवधी की स्थिति इन दोनों के बीच में होने के कारण इसका अर्धमागधी से निकलना मानना उचित होगा। खेद है कि अर्ध-मागधी का हमें जो प्राचीनतम रूप मिलता है वह पाँचवीं शताब्दी ईसवी का है और उससे अवधी के रूप निकालने में कठिनाई होती है। पालि भाषा में बहुधा ऐसे रूप मिलते हैं जिनसे अवधी के रूपों का विकास सिद्ध किया जा सकता है। संभवतः ये रूप प्राचीन अर्ध-मागधी के रहे होंगे।

अवधी साहित्य-

प्राचीन अवधी साहित्य की दो शाखाएँ हैं : एक भक्तिकाव्य और दूसरी प्रेमाख्यान काव्य। भक्तिकाव्य में गोस्वामी तुलसीदास का 'रामचरितमानस' (सं. 1631) अवधी साहित्य की प्रमुख कृति है। इसकी भाषा संस्कृत शब्दावली से भरी है। 'रामचरितमानस' के अतिरिक्त तुलसीदास ने अन्य कई ग्रंथ अवधी में लिखे हैं। इसी भक्ति साहित्य के अंतर्गत लालदास का 'अवधबिलास' आता है। इसकी रचना संवत् 1700 में हुई। इनके अतिरिक्त कई और भक्त कवियों ने रामभक्ति विषयक ग्रंथ लिखे। संत कवियों में बाबा मलूकदास भी अवधी क्षेत्र के थे। इनकी बानी का अधिकांश अवधी में है। इनके शिष्य बाबा मथुरादास की बानी भी अधिकतर अवधी में है। बाबा धरनीदास यद्यपि छपरा जिले के थे तथापि उनकी बानी अवधी में प्रकाशित हुई। कई अन्य संत कवियों ने भी अपने उपदेश के लिए अवधी को अपनाया है। प्रेमाख्यान काव्य में सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ मलिक मुहम्मद जायसी रचित 'पद्मावत' है जिसकी रचना 'रामचरितमानस' से 34 वर्ष पूर्व हुई। दोहे चौपाई का जो क्रम 'पद्मावत' में है प्रायः वही 'मानस' में मिलता है। प्रेमाख्यान काव्य में मुसलमान लेखकों ने सूफी मत का रहस्य प्रकट किया है। इस काव्य की परम्परा कई सौ वर्षों तक चलती रही। मंझन की 'मधुमालती', उसमान की 'चित्रावली', आलम की 'माधवानल कामकंदला', नूरमुहम्मद की 'इंद्रावती' और शेख निसार की 'यूसुफ जुलेखा' इसी परंपरा की रचनाएँ हैं। शब्दावली की दृष्टि से ये रचनाएँ हिंदू कवियों के ग्रंथों से इस बात में भिन्न हैं कि इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की उतनी प्रचुरता नहीं है।प्राचीन अवधी साहित्य में अधिकतर रचनाएँ देशप्रेम, समाज सुधार आदि विषयों पर और मुख्य रूप से व्यंग्यात्मक हैं। कवियों में प्रतापनारायण मिश्र, बलभद्र दीक्षित 'पढ़ीस', वंशीधर शुक्ल, चंद्रभूषण द्विवेदी 'रमई काका', गुरु प्रसाद सिंह 'मृगेश' और शारदाप्रसाद 'भुशुंडि' विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रबंध की परंपरा में 'रामचरितमानस' के ढंग का एक महत्वपूर्ण आधुनिक ग्रंथ द्वारिकाप्रसाद मिश्र का 'कृष्णायन' है। इसकी भाषा और शैली 'मानस' के ही समान है और ग्रंथकार ने कृष्णचरित प्रायः उसी तन्मयता और विस्तार से लिखा है जिस तन्मयता और विस्तार से तुलसीदास ने रामचरित अंकित किया है। मिश्र जी ने इस ग्रंथ की रचना द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि प्रबंध के लिए अवधी की प्रकृति आज भी वैसी ही उपादेय है जैसी तुलसीदास के समय में थी।

अवधी लोक साहित्य-

अवधी लोक साहित्य की एक समृद्ध परम्परा है। अवधी लोक साहित्य पर कई शोध हुए हैं। इनमें कुछ प्रमुख हैं- अवधी लोक साहित्य -डॉ. सरोजनी रोहतगी (1971)

अवधी लोक गायन-

प्राचीन काल में अवधी साहित्य केवल पद के रूप में फला फूला है। अतः अवधी लोक गायकी भी प्राचीन काल से ही चली आ रही है। अवधी कलाकारों को बिरहा, नौटंकी नाच, अहिरवा नृत्य, कहंरवा नृत्य, चमरवा नृत्य, कजरी आदि नाट्य विधाओं का आविष्कारक माना जाता है तथा इसमें इन्हें अभी भी महारत हासिल है। अवधी की गारी तो पूरे पूर्वांचल में प्रसिद्ध है, इसे शादी-ब्याह में महिलाओं द्वारा गाया जाता है।

अवधी भाषा का संघर्ष-

विश्व भर में 6 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा अवधी को अभी तक भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में जगह नहीं मिल सकी है। इसी प्रकार फिजी में अवधी भाषा को फिजी हिन्दी के रूप में प्रस्तुत करके भारत सरकार ने फिजी में भी अवधी के अस्तित्व को मानने से इंकार कर दिया है। किन्तु इन्हीं सब के बीच नेपाल ने प्रांत संख्या 5 में अवधी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान करके अवधी साहित्यकारों की कलम में जान फूंकने का कार्य किया है। इससे भारत के अवधी भाषी भी काफी उत्साहित हैं।यह अवधी के लिए सकारात्मक स्थिति है ।

-प्रो. शरद नारायण खरे
(विभागाध्यक्ष इतिहास),
शासकीय जे.एम.सी. महिला महाविद्यालय
मंडला (म.प्र.)-481661

प्रतिकल्पा सांस्कृतिक संस्था, उज्जैन के 'संजा लोकोत्सव' के समापन समारोह में मंचासीन अतिथिगणों के बीच श्री सुधाकर पाठक और श्री विजय शर्मा

नई शिक्षा नीति एवं त्रिभाषा सूत्र

मेजर सरस त्रिपाठी

हमारा देश एक बहु-भाषी राष्ट्र होने के कारण कुछ ऐसी समस्याओं का सामना कर रहा है जो संसार में संभवत: अन्य कोई देश नहीं करता। भाषा से सम्बन्धित ऐसी समस्या, न तो भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़े देश रूस में है न ही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश चीन में। रूस और चीन दोनों की अपनी राष्ट्रभाषा है और इन देशों का सारा कार्य इनकी राष्ट्रभाषा में ही होता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। आज तक न तो हम भारत की किसी एक भाषा को राष्ट्र-भाषा और न ही पूर्णत: राजभाषा बना पाये हैं। हम अपने विद्यालयों-विश्वविद्यालयों में अभी तक एक भी ऐसी भारतीय भाषा नहीं पढ़ाते जो संपूर्ण भारत में सर्वसम्मत स्वीकार्य हो।

इसी विषय को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे के प्रस्ताव में 'त्रिभाषा सूत्र' लागू करने का प्रस्ताव है। संक्षेप में एन.ई.पी.-2019 (न्यू एज्यूकेशन पोलिसी-2019) कहे जाने वाले इस प्रपत्र को केंद्रीय मंत्रिमंडल को 06 मई को प्रस्तुत किया गया। मसौदा पूरे ढांचे को परिवर्तित कर वर्तमान प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन का प्रस्ताव रखता है। नई शिक्षा नीति 2019 के मुख्य बिंदु इस लेख के अन्त में दिये गये हैं। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने जो मसौदा प्रस्तुत किया, उसमें शैक्षिक सुधार, नवगठित सरकार के 100 दिन के एजेंडे का एक प्रमुख घटक बन गया है। मसौदा प्रस्ताव केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' और राज्यमंत्री संजय शामराव धोत्रे को सौंपा गया था। कई सिफारिशों के बीच, रिपोर्ट में शिक्षा संरचना को पुनर्गठित करने और कक्षा 12 तक शिक्षा के अधिकार (आर.टी.ई.) का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

नई शिक्षा नीति 2019 देश की शिक्षा प्रणाली की पहुंच, शिक्षा-समानता, गुणवत्ता, उपलब्धता और उत्तरदायित्व पर केंद्रित है। एन.ई.पी. 3 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को समाहित करने के लिए आर.आई.एच.-टू एजुकेशन या आर.टी.ई.के विस्तार का सुझाव देता है। वर्तमान में यह 14 वर्ष की आयु तक छात्रों को शामिल करता है। इसमें 5+3+3+4 पाठयक्रम और शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो बच्चों की उम्र के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास के चरणों पर आधारित है। ड्राफ्ट में स्कूल परिसरों में स्कूलों के पुनर्गठन का प्रस्ताव है। विशेष रूप से इस दिशा में एक कदम सी.बी.एस.ई. द्वारा इस वर्ष से शुरू किया गया है। पाठयक्रम, सह-पाठयक्रम या पाठ्येतर क्षेत्रों के संदर्भ में सीखने के क्षेत्रों का कोई कठिन पृथक्करण नहीं। शिक्षक शिक्षा पर व्यापक ध्यान और शिक्षकों की शिक्षण-पद्धति (पेडागोजी) में सुधार पर अधिक जोर दिया गया है। समिति ने शिक्षकों के लिए कई बहु-विषयक कार्यक्रम बनाए हैं जो बड़े विश्व विद्यालयों में शामिल होंगे। चार साल के एकीकृत चरण-विशिष्ट बी.एड. कार्यक्रम का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पहले ही प्रस्तावित किया जा चुका है। देश में तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा का पुनर्गठन भी चिकित्सा पेशेवरों के लिए निकास परीक्षा के साथ मसौदे में प्रस्तावित है।

तीन भाषाओं के फार्मूले को जारी रखने के प्रस्ताव को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सुदृढ़ किया गया है। एन.ई.पी.-2019 ने प्रारंभिक वर्षों से भारतीय भाषाओं पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि आज जब यह सरकार त्रिभाषा फार्मूला लागू करने की सोच रही है, फिर से तमिलनाडु में हिन्दी विरोध की लौ जलना शुरू हो गई है। हिन्दी विरोध को किसी कारण से नहीं सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण उकसाया जाता है। पूर्व में तमिलनाडु के घोर विरोध के कारण 'त्रिभाषा सूत्र' लागू नहीं हो पाया था।

इसको इस तरह समझा जा सकता है सन् 1937 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत की अंतरिम सरकार के मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री थे। सबसे पहले उन्होंने ही हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में हिन्दी के अध्ययन को लागू किया था। वह स्वयं मूलत: तमिल भाषी किन्तु बहुभाषी विद्वान थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी महान विद्वान, भाषाविद, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद् तथा बाद में स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। लेकिन ई.वी. पेरियारस्वामी के नेतृत्व में हिन्दी विरोध का जो आंदोलन शुरू किया गया उसके कारण राजगोपालाचारी की सरकार गिर गई और उस समय के तत्काल अंग्रेज गवर्नर जनरल ने तमिलनाडु में हिन्दी के शिक्षण का कार्यक्रम निरस्त कर दिया। जितनी बार तमिलनाडु में हिन्दी पढ़ाने का प्रयास किया गया उतनी बार वहां पर हिन्दी विरोध के घोर आंदोलन हुए। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रारंभ में तमिलनाडु के लोग हिन्दी सीखना चाहते थे (और आज भी) लेकिन उस समय के राजनीतिज्ञों ने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए हिन्दी का विरोध किया। संविधान के अनुसार 1965 (संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद) के बाद संपूर्ण भारत में भारत की राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा अकेली सिर्फ हिन्दी होनी थी। लेकिन तमिलनाडु के विरोध के कारण न हो सका और 1963 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कानून बनाकर हिन्दी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को मान्यता दे दी। सन् 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने संविधान को जब लागू करने का प्रयास

शेष पृष्ठ संख्या 36 पर

अखबारों की भ्रष्ट भाषा

इसमें दो राय नहीं कि पिछले कई सालों से हिन्दी के अखबारों में भ्रष्ट भाषा का प्रयोग हो रहा है। कई बार हिन्दी की व्याकरणिक संरचना गलत होती है और अब तो उसमें अंग्रेजी शब्दों की भरमार होती है। ऐसा लगता नहीं कि वह हिन्दी है, बल्कि हिंगलिश होती है। वास्तव में हर तबके के लोग अखबार पढ़ते हैं। सामान्य पढ़े-लिखे या अशिक्षित मजदूर, किसान,दुकानदार, ड्राइवर आदि से लेकर उच्च शिक्षित वर्ग सभी इसे पढ़ते और सुनते हैं, इसलिए अखबारों की भाषा पाठकों की बौद्धिक क्षमता के अनुकूल होने की अपेक्षा रहती है। यह अगर सरल, सर्वग्राह्य, सर्वजन सुलभ एवं सुबोध, प्रयोगधर्मी और लचीली होती है तो वह एक विशिष्ट रूप लेती है। इसमें प्रचलित शब्दों का विकास स्वयं होता है अथवा ये शब्द इस प्रकार प्रयुक्त होते हैं जो जन-सामान्य की समझ में आ जाते हैं । अखबारों में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक, व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, सिनेमा, धारावाहिक आदि सभी विषयों पर समाचार और रिपोर्टिंग होती है। इन्हीं विषयों के अनुरूप संवाददाता भाषा के विविध रूपों का प्रयोग करता है। भाषा के ये रूप न तो वैज्ञानिक होते हैं, न मेडिकल या तकनीकी होते हैं, न ही साहित्यिक होते हैं और न ही सामान्यजन की भाषा होती है। यह भाषा इन सभी के बीच की होती है जो सभी वर्गों के पाठकों के लिए संप्रेषणीय होती है। इस भाषा का प्रभाव-क्षेत्र व्यापक है, इसलिए लोक-व्यवहार में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसी का प्रयोग इसमें करने का प्रयास रहता है। इसके वाक्य-विन्यास में व्याकरणिक शुद्धता और मानकता की अपेक्षा रहती है ताकि पाठकों को भी भाषा के सही प्रयोग की जानकारी मिल सके । आजकल अखबारों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनमें भाषा के भ्रष्ट रूप मिलते हैं। व्याकरणिक अशुद्धता के अतिरिक्त अंग्रेजी के शब्दों का अधिक प्रयोग होने लगा है। मैंने स्वयं संगोष्ठियों, सम्मेलनों और अपने व्याख्यानों और लेखों में कई बार इस बारे में चर्चा की है। यहाँ नवभारत टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण, पत्रिका प्लस जैसे अखबारों की भाषा के कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं:

1) लाइफ इंशोरेंस फर्मों की लिस्टिंग चाहता है रेगुलेटर।

2) बिना हाल मार्किंग के नहीं बिकेगी गोल्ड ज्वेलरी।

3) रीडेवेलपमेंट में एन सी आर के 20 रेलवे स्टेशन।

4) फिल्म का बेसिक थॉट यह है कि जिस इंडियन हाई कमिश्नर का किडनैप हो जाता है वह फिजी के रिच आदमी राम कपूर का दोस्त है, इसलिए राम कपूर इन दोनों की वहाँ हेल्प करता है।

5) एक तुर्किस्तान देश के एक शहर में।

(तुर्किस्तान देश के एक शहर में)

6) फिर लगने शुरू हुए तेज भागते पानी के मीटर । (फिर लगने शुरू हुए पानी के तेज भागते मीटर)

7) कश्मीर में तैनात जो जवानों का विवरण मिला। (कश्मीर में तैनात हुए जवानों का जो विवरण मिला)

प्रो. कृष्ण कुमार गोस्वामी

8) श्री डी प्रोजेक्शन के साथ जनवरी 18-19 को होगा खेल प्रशासन में आई.एम.ए. का आयोजन। इंडिया 4.0 रीथिंक रीडिजाइन और रीबिल्ड थीम पर होगी कॉन्क्लेव इंडस्ट्री, एजुकेशन को लेकर आध्यात्मिक स्पीकर्स आएँगे। (पत्रिका प्लस, इंदौर, 2018-12-11)

यह बानगी है जिसमें हिन्दी का भ्रष्ट रूप स्पष्ट दिखाई देता है। कहीं हिन्दी नहीं हिंगलिश दिखाई देती है तो कहीं संरचनात्मक अशुद्धि नजर आती है। मैंने इन वाक्यों के सामने अखबारों के नाम जान-बूझ कर नहीं लिखे, किंतु उनके प्रमाण मेरे पास हैं। मैंने लगभग एक हजार वाक्य इकट्ठे कर रखे हैं जो मेरी पुस्तकों में उल्लिखित हैं। नवभारत टाइम्स जैसे कुछ अखबारों ने तो हिन्दी के स्वरूप को बिगाड़ने का जैसे बीड़ा उठा रखा है। इससे भाषा का विकास नहीं हो पाता, जो देश और भाषा-भाषी समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है और विदेशी भाषाओं को पनपने का मौका मिल जाता है । भाषा के शुद्ध और मानक स्वरूप को बनाए रखने और विकसित करने की जिम्मेदारी मुद्रित और इलेक्ट्रोनिक जनसंचार, विशेषकर अखबारों की भी है । वास्तव में जनसंचार और पत्रकारिता के शिक्षण -प्रशिक्षण में भाषा को महत्व नहीं दिया जाता । मैंने लगभग सभी विश्वविद्यालयों या जनसंचार संस्थानों में चल रहे पाठ्यक्रमों को देखा है जिनमें हिन्दी भाषा की व्याकरणिक संरचना, हिन्दी के विविध प्रयोग, हिन्दी के प्रयोजनमूलक पक्षों, मानक देवनागरी लिपि आदि के शिक्षण के लिए एक भी प्रश्नपत्र नहीं है। ऐसा समझा जाता है कि प्रशिक्षार्थी पहले से ही हिन्दी की शिक्षा लेकर आया है या वह पहले से हिन्दी में पारंगत है। ऐसे कई संवाददाताओं से, विशेषकर नए संवाददाताओं से, मेरा संपर्क है जिन्हें हिन्दी भाषा और उसकी संरचना का कम ज्ञान है। इस संबंध में जनसंचार संस्थानों और विश्वविद्यालयों को गंभीरता से विचार करना होगा। साथ ही डॉ. वेद प्रताप वैदिक, राहुल देव जैसे वरिष्ठ, सुधी और अनुभवी पत्रकारों को एक अभियान चलाना होगा ताकि अखबारों में शुद्ध तथा मानक हिन्दी का प्रयोग हो सके और देवनागरी लिपि का सही एवं मानक रूप में इस्तेमाल किया जा सके।

-प्रो. कृष्ण कुमार गोस्वामी
महासचिव, विश्व नागरी विज्ञान संस्थान, गुरुग्राम

बहुप्रतीक्षित शिक्षा नीति से जगी नई आस

आजादी के पूर्व कम और बाद में सबसे ज्यादा प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किए गए हैं और परिणामस्वरूप भारत की प्राचीन गुरु-शिष्य परंपरा या गुरुकुल जैसी अवधारणाओं का स्थान आधुनिक फाइव स्टार स्कूलों या इनकी नकल करते गली-गली में स्थापित तथाकथित पब्लिक स्कूलों ने ले लिया है । गाँव से लेकर शहर तक हर कोई इन अंगेजी माध्यम के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है । बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरों की ओर अनावश्यक पलायन जब बहुत अधिक बढ़ा तो गाँवों-कस्बों में भी ऐसे अंग्रेजी स्कूल खुल गए । ज्यादातर हिन्दी माध्यम के शिक्षकों द्वारा या कम से कम वेतन पर काम करने वाले दुकाननुमा इन स्कूलों में पढ़ाई का स्तर और औचित्य हमेशा से चर्चा में रहा है । एक बड़े अंग्रेजी अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के एक स्कूल ने सेंट नाम से शुरू होने वाले नाम का अकाल पड़ने पर अपने स्कूल का नाम सेंट रख दिया । दूसरी तरफ हरियाणा में हिन्दी माध्यम के नि:शुल्क सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं मिल रहे हैं । यही हाल अन्य राज्यों का है । मामला सिर्फ हिन्दी के ऊपर अंग्रेजी के वर्चस्व का नहीं है । शिक्षा और मनोविज्ञान से जुड़े विशेषज्ञ बताते हैं कि छोटे बच्चों की शिक्षा मातृभाषा में और आनंददायी माहौल में होनी चाहिए । झारखंड सहित अनेक राज्यों से जनजातीय एवं अन्य समूहों की मांग मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा की रही है । इन सभी बातों को ध्यान में रखकर नयी शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप बनाया गया है, जिसकी अभी चर्चा है ।

नई शिक्षा नीति के मसौदे की प्रमुख सिफारिशें

मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने पाठ्यक्रम में भारतीय शिक्षा प्रणाली को शामिल करने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन और निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है । नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे पर सरकार ने यदि अमल किया, तो देश के तमाम नामी निजी स्कूलों के नाम से 'पब्लिक' शब्द हट जाएगा। नई शिक्षा नीति में सुझाव दिया गया है कि इस शब्द का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल ही कर सकते है। नई शिक्षा नीति बनाने वाली कमेटी ने इसके अलावा निजी और सार्वजनिक स्कूलों (सरकारी स्कूल) के एक जैसे नियम-कायदे बनाने पर भी जोर दिया गया है। इसरो के पूर्व प्रमुख और वरिष्ठ वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति बनाने वाली कमेटी ने यह सुझाव सरकार को दिया है। कमेटी ने 31 मई को मानव संसाधन विकास मंत्री को यह रिपोर्ट सौंपी है। इसके तहत निजी स्कूलों को अपने नाम से पब्लिक शब्द को हटाने के लिए तीन साल का समय दिया है। साथ ही सरकार से स्कूली शिक्षा में ऐसे निजी ऑपरेटरों को रोकने की भी सिफारिश की है, जो शिक्षा के मूल स्वभाव को नष्ट करते हुए स्कूल को एक वाणिज्यिक उद्यम के रुप में चलाने का प्रयास करते है।

सुनील सिंह 'बादल'

कमेटी ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर भी रोक लगाने की सिफारिश की है। जिसमें कहा है कि निजी स्कूल अपने लिए फीस का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र तो होंगे, लेकिन वे मनमाने ढंग से स्कूल फीस (किसी भी मद में) में बढ़ोत्तरी नहीं कर सकते है। सार्वजनिक जांच के दायरे में रहते हुए बढ़ती लागत के कारण ही तार्किक वृद्धि की जा सकती है। सिफारिश में कहा है कि स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथारिटी (एसएसआरए) की ओर से प्रत्येक तीन में मुद्रा स्फीति आदि के कारण फीस में जायज प्रतिशत वृद्धि की दर निश्चित की जाएगी।सरकार ने हाल ही में इसी तरह डीम्ड विश्वविद्यालयों के नाम से विश्वविद्यालय शब्द को हटाने के निर्देश दिए थे। साथ ही ऐसे विश्वविद्यालयों को अपने नाम के साथ डीम्ड टू यूनिवर्सिटी लिखने को कहा था। सरकार का मानना था कि इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है।नई शिक्षा नीति-2019 के प्रारूप की सबसे खास बात है शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के दायरे को व्यापक बनाना। अब तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा को ही शामिल किया जा रहा है जो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे में लाने की बात करती है। नई शिक्षा नीति में बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा वाली उम्र को महत्वपूर्ण मानते हुए इसका दायरा पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई के लिए लागू करने तथा नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई को 5+3+3+4 के फॉर्मूले के तहत चार चरणों में बाँटने की बात कही गई है। सुझाव दिया गया है कि पूर्व-प्राथमिक स्कूल को विद्यालय के कैंपस में ही स्थापित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने का सुझाव भी नई शिक्षा नीति के प्रारूप में रखा गया है ताकि शिक्षा को समग्र रूप में पर्यावरण हितैषी व ज्ञानवान समाज बनाने के उद्देश्यों के साथ बदलाव को सुगमता प्रदान किया जा सके। निजी स्कूलों को सपोर्ट करने की भी बात नई शिक्षा नीति के प्रारूप में कही गई है ताकि निजी स्कूल सरकारी विद्यालयों में होने वाले नवाचारी प्रयासों से सीख सकें, हालांकि यह सरकारी स्कूल के विकास की शर्तों पर न हो इस बात

का ध्यान रखने की बात कही गई है।नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में 2015 तक प्राथमिक व इससे उच्च स्तर की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान से संबंधित दक्षताओं के विकास का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात (पीटीआर) को 30:1 तक रखने का सुझाव भी दिया गया है, और ऐसा न होने पर बच्चों के सीखने पर होने वाले असर को रेखांकित किया गया है। बहुस्तरीय शिक्षण की पद्धतियों को अपनाने व पौष्टिक अल्पाहार और आहार की व्यवस्था का प्रावधान करने की बात भी नई शिक्षा नीति के प्रारूप में है। इसके तहत मध्यान्ह भोजन (एमडीएम) के कार्यक्रम का विस्तार करने की बात कही गई है।पहली व दूसरी कक्षा में भाषा और गणित पर काम करने पर जोर देने की बात नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित है। साथ ही चौथी व पाँचवीं के बच्चों के लेखन कौशल को बढ़ावा देने की बात कही गई है। भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह व भाषा मेला व गणित मेला जैसे आयोजन करने की बात भी इसमें है।

नई शिक्षा नीति-2019 के ड्राफ्ट की पाँचवीं सबसे खास बात है कि इसमें पुस्तकालयों को जीवंत बनाने व गतिविधियों को कराने पर ध्यान देने की बात कही गई है। इसमें कहानी सुनाने, रंगमंच, समूह में पठन, लेखन व बच्चों के बनाये चित्रों व लिखी हुई सामग्री का प्रदर्शन(डिसप्ले) करने की बात कही गई है। स्कूल के साथ-साथ सार्वजनिक पुस्तकालयों को विस्तार देने, पढ़ने और संवाद करने की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जायेगा । इसमें बच्चों को किताब पढ़ने और घर ले जाकर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने,सप्ताह में एक बार विद्यालय में पढ़ी गई किताब के बारे में अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर देने की बात भी कही गई है।आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए नवोदय विद्यालय जैसी व्यवस्था होगी। लड़कियों की शिक्षा जारी रहे इसके लिए उनको भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण देने और कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने की चर्चा है।सबसे बड़ी बात है कि (सुधारात्मक)रेमेडियल शिक्षण को मुख्य धारा में शामिल जायेगा। इसके तहत 10 सालों की परियोजना का प्रस्ताव किया गया है । परीक्षानुसार करेंट अफेयर्स भी आवश्यक होंगे । मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने बताया है कि भारतीय ज्ञान और ऐतिहासिक संदर्भ को जहां भी प्रासंगिक होगा, मौजूदा स्कूली सिलेबस और टेक्स्ट-बुक्स में शामिल किया जाएगा । इस बहुप्रतीक्षित शिक्षा नीति से एक नई आस जगी है पर लक्ष्य भी आसान नहीं है । शिक्षा को उद्योग-व्यवसाय बना चुके लोग इसे आम भारतीय तक पहुंचाने में बाधाएं भी खड़ी कर सकते हैं।

-सुनील सिंह 'बादल'

पृष्ठ संख्या 33 का शेष

किया तो फिर आंदोलन तेज हुआ और 1967 (इसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मृत्यु हो गई और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर आरूढ़ हुईं) में इतना भयंकर रूप ले लिया कि तमिलनाडु की कांग्रेस सरकार गिर गई और चुनाव के बाद डी.एम. के. यानि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की सरकार आ गई। उसके बाद कोई भी राष्ट्रीय पार्टी उसे हटा नहीं पायी और ना ही कांग्रेस भी पुनर्स्थापित हो पाई। हालांकि 1937 से 1967 तक 30 साल तक द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सारे प्रयासों के बाद भी सरकार नहीं बना पाई लेकिन हिन्दी विरोध के कारण उन्होंने अपना वोट बैंक तैयार किया और 1967 में पहली बार उनकी सरकार बनी। उन्हें अंग्रेजी पढ़ने से कोई परहेज नहीं है लेकिन हिन्दी पढ़ने से परहेज है। इसके मूल में भारत, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का विरोध है। आज तमिलनाडु में तमिल दसवीं कक्षा तक पढ़ना आवश्यक है। तमिलनाडु में स्वयं इसका विरोध प्रारंभ हो गया है। लोगों को हिन्दी के ज्ञान की कमी से होने वाली हानियों का पता चलने लगा है।

भाषा का ज्ञान एक वरदान है। हर व्यक्ति को कई भाषाएं आनी चाहिए और त्रिभाषा फार्मूले को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। उत्तर भारत के लोगों को हिन्दी और अंग्रेजी के साथ एक दक्षिण भारतीय भाषा या अन्य कोई भारतीय भाषा सीखनी चाहिए और गैर हिन्दी भाषी लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा अंग्रेजी तथा हिन्दी सीखनी चाहिए। हिन्दी लगभग 60% भारतीयों की मातृभाषा है परंतु यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि चाहे कितनी भी मजबूत सरकार हो सबका आश्वासन यही होता है कि हिन्दी किसी पर थोपी नहीं जाएगी। थोपने का प्रश्न कहां पैदा होता है। लोगों को उत्साहित किया जाना चाहिए कि वह कई भाषाएं सीखें। भाषा का ज्ञान व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाता है और उसके हर प्रकार के ज्ञान में वृद्धि करता है। आशा है वर्तमान सरकार इस दिशा में अवश्य कुछ मजबूत कदम उठाएगी और भाषा विरोधी भावना भड़काने वालों से समझौता नहीं करेगी।

नयी शिक्षा नीति यानि एन.इ.पी-19 देश में शिक्षा के आमूल-चूल बदलाव का प्रपत्र है। इसके प्रस्ताव देश में शिक्षा के मानकीकरण (स्टैंडर्डाइजेशन) के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह राष्ट्र में भाषायी एकीकरण (लिंग्विस्टिक इंटेग्रेशन) के लिए भी आवश्यक है।

-मेजर सरस त्रिपाठी

मेजर सरस त्रिपाठी एक लेखक, पत्रकार एवं रक्षा विशेषज्ञ हैं। समसामयिक विषयों पर आप हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के लिए लिखते हैं। आपकी दो पुस्तकें (हिन्दी और अंग्रेजी में एक-एक) प्रकाशित हो चुकी हैं। आप पत्रकारिता, मानव संसाधन प्रबंधन एवं विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में आप दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रबंधक हैं।

क्यों गिर रहा है भाषा का स्तर ?

प्रो. ऋषभ देव शर्मा

भाषा मनुष्यों के समूह को 'समाज' बनाने वाला आधारभूत उपकरण है। जिस समूह या समुदाय के पास अपनी भाषा नहीं होती वह गूँगा तो होता ही है, गुलाम भी होता है- भाषा के लिए किसी अन्य समाज पर निर्भर रहना गुलामी ही तो है! जब हम कहते हैं कि सदियों से स्त्री के पास अपनी भाषा नहीं है, दलित के पास अपनी भाषा नहीं है, आदिवासी के पास अपनी भाषा नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि ये समूह सदियों से परस्पर संप्रेषण नहीं करते आए हैं; बल्कि निहितार्थ यह है कि ये समूह सदियों से उन समूहों की भाषा बोलते आए हैं जिनके पास शक्ति रही। समाज में दोयम दर्जा होने के कारण इन्हें अपनी भाषा नहीं मिली। अब जब ये अपनी भाषा गढ़ रहे हैं तो पहले के शक्ति संपन्न समूहों के प्रवक्ताओं को यह 'राजनीति' प्रतीत होता है। इन हाशियाकृत समुदायों पर यह आक्षेप किया जाता है कि विभिन्न विमर्शों के बहाने ये राजनीति कर रहे हैं। इस आक्षेप के सहारे अपनी भाषा प्राप्त करने के इन समूहों के प्रयत्नों को खारिज करने वालों से हमारा यह कहना है कि वस्तुत: अपनी भाषा प्राप्त करना समाज में अपने सही स्थान को प्राप्त करने का पहला चरण है। यदि ये समूह उस स्थान, सत्ता या पद को प्राप्त कर रहे हैं जिससे इन्हें वंचित रखा गया था, अपदस्थ किया गया था या दूर कर दिया गया था; तो इसमें बुराई क्या है? शक्ति और सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्षरत ये समूह यदि राजनीति कर रहे हैं तो यह राजनीति ही सही और लोकतांत्रिक राजनीति है। इन्हें अब तक गूँगा और गुलाम बनाए रखने वाली राजनीति तो सही अर्थों में राजनीति नहीं दुर्नीति, षड्यंत्र और तानाशाही ही मानी जाएगी। इस भूमिका के आधार पर हम कहना यह चाहते हैं कि भाषा का संबंध स्वतंत्रता और स्वावलंबन से है तथा 'अभिव्यक्ति' लोकतंत्र का अनिवार्य चतुर्थ आयाम है- जिसे कभी प्रेस तो कभी मीडिया आदि नामों से अभिहित किया जाता है।

अभिव्यक्ति के अनेक रूपों में पत्रकारिता (प्रेस/ मीडिया) जन-जन को प्रभावित करने वाला अर्थात् लोक माध्यम है। भारतीय भाषाओं में अपने उदय काल से ही पत्रकारिता ने अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को समझते हुए ऐसे भाषिक मुहावरे की तलाश की जो प्रभुवर्ग की भाषा अंग्रेजी की तुलना में भारतीय जन-गण-मन का भाषिक मुहावरा था। हमें यह देखकर भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता पर गर्व होता है कि गुलामी के उस दौर में हमारे पत्रकारों ने तमाम तरह के खतरे उठाकर अभिव्यक्ति की आजादी की मशाल जलाई। मुंबई से प्रकाशित मराठी के पहले अखबार 'दर्पण' (1832) के संपादक बालशास्त्री जांभेकर ने जब अपना उद्देश्य वाक्य 'लोक स्थिति, धर्म रीति में उपयोगी परिवर्तन घटित करना' घोषित किया होगा, तब उनके मन में नवजागरण युग के अनुरूप भारत की सामाजिक-राजनैतिक स्थितियों के बदलाव का लक्ष्य रहा होगा। अगर हिन्दी के 'उदंत मार्तंड' से लेकर 'हरिश्चंद्र चंद्रिका', 'प्रदीप' और 'ब्राह्मण' आदि तक तमाम तत्कालीन पत्र भारतीय समाज की मृतप्राय देह में प्राण संचार के लिए संकल्पित थे और परतंत्रता के खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो अन्य भारतीय भाषाओं के पत्रकार भी लोकतंत्र की व्यंजनापूर्ण भाषा तराश रहे थे- भले ही अंग्रेजीदां विद्वानों को उनकी भाषा गँवारू (वर्नाक्यूलर) लगती रही हो। तत्कालीन पत्रकारिता की तड़प को महसूस करने के लिए 'ज्ञान प्रकाश' का 18 अप्रैल, 1878 का अंक देखा जा सकता है जिसमें ब्रिटिश सरकार की तुलना छिनाल स्त्री से करते हुए कहा गया है, "भारत का शासन सुंदर परंतु छिनाल स्त्री की भाँति है। उसका सौंदर्य आकर्षक एवं मोहक है। लेकिन वह अत्यंत धूर्त, धोखा देने वाली और बेरहम है। एक बार वह प्रेम से देखेगी तो दूसरे ही क्षण किसी को घायल करेगी।" पुणे से प्रकाशित 'कष्टविलासिनी' की भाषा का भी नमूना (1880) देख लें, "अंग्रेजी राज्यकर्ता लुच्चे हैं.... लेकिन सब एकजुट हो जाएँ तो इन उचक्कों को हकालना कुछ कठिन नहीं है।" आजादी की आग लगाने के लिए इसी भाषा की जरूरत थी। वह युग संघर्ष का था तो भाषा भी संघर्ष की थी। यह युग स्पर्धा का है तो भाषा भी बाजार की हो गई है। लेकिन पत्रकारिता अपने उस ज्वलंत इतिहास को नहीं भुला सकती जब 1880 से 1920 तक लोकमान्य तिलक ने और 1920 से 1947 तक महात्मा गांधी ने भारतीय पत्रकारिता को 'स्वतंत्रता चाहने वाली भारतीय जनता की निर्भीक भाषा' का संस्कार प्रदान किया था।

आजादी के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में पहला बड़ा परिवर्तन यह आया कि अब उसके सामने समाज की सर्वांगीण उन्नति का महत् और उदात्त उद्देश्य नहीं रह गया। वह व्यापार या व्यवसाय में तब्दील हो गई। मिशन पर प्रोफेशन हावी हो गया। आगे चलकर संपादक और संपादकीय दृष्टि का महत्व भी घटा। संपादक की जनपक्षीयता धीरे-धीरे गुजरे जमाने की बात हो गई। लाभ कमाना मुख्य होते जाने से संपादक नामक संस्था का पतन हो गया। कॉरपोरेट संस्कृति के आने पर तो संपादक का कद और पद दोनों ही मुनाफा कमाऊ मैनेजर में रिड्यूस हो गए। परिणामस्वरूप पत्रकारिता की भाषा भी आमूल-चूल बदल गई- व्यवसाय की भाषा बन गई। व्यापार-वाणिज्य और विज्ञापन ही नहीं पिछले बीस वर्षों में समाचार की भाषा भी बाजार की शक्तियों द्वारा संचालित होती रही है। अनेक

समाचार चैनल आ गए हैं जो चौबीस घंटे चाहे कुछ भी दिखाएँ, समाचार के फॉर्मेट में दिखाते हैं। समाचार को विश्वसनीय समझा जाता है इसलिए विज्ञापन भी समाचार के फॉर्मेट में आने लगे हैं। समाचार के साथ असमाचार के इस घालमेल को 'बाबाओं' के प्रचार कार्यक्रमों के उदाहरण द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है। भाषा पर इस सबके प्रभाव को इस तरह भी समझा जा सकता है कि अधिक से अधिक विज्ञापन आकर्षित करने के लिए विविध चैनलों ने सब कुछ को 'सनसनीखेज' बना दिया है। इस सनसनीखेज मसाले की 'पैकेजिंग' इस तरह की जाती है कि सब की पुतलियाँ बड़ी हों। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए मर्डर स्टोरी में बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया जाता है और स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार तथा बलात्कार का नाट्यरूपांतर करके पुरुष समाज की यौनिक निहार वृत्ति (VOYEURISM) को उकसाया जाता है। इस गला काट प्रतिस्पर्धा के कारण मुद्रित से लेकर नव मीडिया तक की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता दाँव पर लगी हुई है। विभिन्न चैनलों के बीच प्राय: युद्ध जैसा छिड़ा रहता है। इस प्रवृत्ति के कारण उनकी भाषा भी सनसनी पैदा करने वाली बनती चली गई है।

एक बड़ा अच्छा बहाना सदा से मीडिया के पास है कि पाठक-दर्शक को यही चाहिए या यही बिकता है। कई बार तो बड़ा हास्यास्पद लगता है जब किसी संस्था का कोई प्रतिनिधि या पत्रकार चिल्ला-चिल्लाकर अपने आपको 'वी द पीपुल' कहता है या 'सारा देश आप से पूछ रहा है' कहते हुए सामने वाले की छाती पर चढ़ा आता है या अत्यंत आक्रामक शैली में निर्णय और फतवे सुनाता है, भले ही वहाँ 'पीपुल' और 'सारा देश' के नाम पर दर्जन भर लोग भी न हों। इससे नव पत्रकारिता की भाषा में दंभ और अहंकार का समावेश हुआ है जो अपने अलावा सारी जनता को मूर्ख समझती है। मीडिया भाषा की यह आक्रामकता चिंतनीय है; और हास्यास्पद भी। इससे खासतौर से समाचार-विचार के कार्यक्रमों की मर्यादा घटी है। अनेक दर्शक उन्हें और उनकी भाषा को नाटकीय मानते हैं। विज्ञापन ने पत्रकारिता को निगल लिया है। चाहे समाचार पत्र हों, सावधिक पत्रिकाएँ हों या दृश्य-श्रव्य माध्यम हों। यही कारण है कि जो अखबार जितना बड़ा है उसका मुखपृष्ठ उसी अनुपात में संपूर्णत: विज्ञापन को समर्पित है। सारी जीवन शैली के प्रबंधन आधारित हो जाने के कारण विज्ञापन हमारी साँसों का हिस्सा बन गया है। इसी के साथ, भारतीय पत्रकारिता जगत में 'पेड न्यूज' ने एक नया संकट खड़ा कर दिया है। यह जमाना बिकाऊ पत्रकारिता (Journalism For Sale) का है। ऐसी पत्रकारिता प्रचार अभियान के चार तरह के पैकेज उपलब्ध कराती है। (1) अतिशयतापूर्ण न्यूज स्टोरी, (2) अतिशयतापूर्ण न्यूज स्टोरी + ऐड (3) + प्रोफाइल तथा (4) + नेगटिव कैम्पेन। इन सभी में विज्ञापनी भाषा का चमत्कारपूर्ण व्यवहार प्राय: असत्य को सत्य बनाने के लिए किया जाता है। यदि ऐसा न हो सके तो संदेह और विभ्रम उत्पन्न करने वाली प्रचारात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है। 2014 के आम चुनाव और फिर 2015 के दिल्ली चुनाव के विज्ञापनों, पोस्टरों, वक्तव्यों, भाषणों और समाचारों की भाषा पर गौर करें तो पता चल जाएगा कि चुनावी समर में भाषा का प्रयोग आरोप-प्रत्यारोप के लिए ही नहीं, संदेह और भ्रम पैदा करने के लिए भी जोर-शोर से किया गया। यहाँ यह सब कहने का हमारा उद्देश्य यह बताना है कि बाजार से लेकर राजनीति तक आम जन को संबोधित करने के लिए, प्रेरित और लालायित करने के लिए ही हिन्दी भाषा का सफलतापूर्वक उपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि तथ्यों को छिपाने, तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने, जनता को बरगलाने और प्रतिद्वंद्वी की छवि मटियामेट करने जैसे तमाम नकारात्मक प्रयोजनों के लिए भी इन चुनावों में हिन्दी एक मारक और चुटीली भाषा के रूप में उभरी है। इसमें संदेह नहीं कि हिन्दी एक बाजार-दोस्त भाषा है लेकिन खरीदने-बेचने वाली ताकतें उसका खुलम-खुल्ला दुरुपयोग भी कर रही हैं। बाजार-युद्ध, व्यवसाय-युद्ध, राजनीति-युद्ध और पत्रकारिता-युद्ध या मीडिया-युद्ध के कारण भाषा प्रयोग के स्तर में जो गिरावट नहीं आई है वह इन विविध क्षेत्रों में विद्यमान गिरावट और नैतिक पतन का ही प्रतिबिंब है।

प्रो. ऋषभदेव शर्मा
पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, उच्च शिक्षा और शोध संस्थान,
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी, केन्द्रीय कार्यसमिति की बैठक 'दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन', दिल्ली के कार्यालय में सम्पन्न हुई।

मातृभाषा के भूलते जाने पर कोई शोकगीत क्यों नहीं ?

सवाल बोलियों का ही नहीं, उस पर खड़ी संस्कृति का भी है...

मनीष वैद्य

राष्ट्र के जो बालक अपनी मातृभाषा में नहीं, बल्कि किसी अन्य भाषा में शिक्षा पाते हैं, वे आत्महत्या करते हैं। इससे उनका जन्मसिद्ध अधिकार छीन जाता है। यह बात हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कही थी लेकिन उनके आदर्शों पर चलने वाले हमारे देश में बीते तीस-चालीस सालों में (तीन पीढ़ियों के बीच) एक बड़ी आबादी की मातृभाषा गुम हो चुकी है, तो कई अब आखिरी साँसे गिन रही हैं। सवाल किसी एक भाषा का नहीं है, करीब 500 भाषा-बोलियों का है, जिनमें से 300 से ज्यादा खत्म हो चुकी हैं और 196 अब वेंटिलेटर पर आखरी साँसे गिन रही हैं। यह हालत तब है, जबकि महात्मा गाँधी मातृभाषाओं के सबसे बड़े हिमायती रहे हैं। इससे भी बड़ी हैरत यह कि भाषा का इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी कहीं कोई हलचल नहीं है। न किसी ने मातम मनाया और न किसी ने मिजाजपुर्सी की। कोई शोकगीत नहीं पढ़ा गया। शायद इसलिए कि इनमें ज्यादातर जनजातियों की मातृभाषाएँ थी। दुनिया में 199 भाषा-बोलियों को तो महज अब दस-दस लोग ही और 178 को 10 से 50 लोग ही बोलते समझते हैं। इनके साथ ही ये भाषाएँ खत्म हो जाएगीं।

राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और गुजरात जैसे प्रदेश जहाँ अपनी सांस्कृतिक विविधता और लोकसंपदा की समृद्धता के कारण पहचाने जाते रहे हैं। इनका अपना भरा-पूरा लोक संसार रहा है, लेकिन अब यह खत्म होने की कगार पर है। कारण है कि जिसमें यह लोक संसार रचा-बसा है, वही बोली खत्म होने जा रही है तो उसके साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसी भी समाज की भाषा दरअसल उस अंचल की रीढ़ होती है। बोली खत्म होने का सवाल सिर्फ भाषाई नहीं है, वह सिर्फ अभिव्यक्ति का साधन ही नहीं होती बल्कि इनमें इतिहास और मानव विकास क्रम के कई रहस्य छुपे हैं। बोली के साथ ही जनजातीय संस्कृति, तकनीक और उसमें अर्जित अब तक का बेशकीमती परम्परागत ज्ञान भी तहस-नहस हो जाएगा। बाजार, रोजगार और शिक्षा जैसी वजहों से जनजातियों में बाहर के शब्द तो प्रचलित हो चले हैं लेकिन उनकी अपनी मातृभाषा के स्थानिक शब्द प्रचलन से बाहर हो रहे हैं। दुखद है कि हजारों सालों से बनी एक भाषा, एक विरासत, उसके शब्द, उसकी अभिव्यक्ति, खेती, जंगल, इलाज और उनसे जुड़ी तकनीकों का समृद्ध ज्ञान, उनके मुहावरे, लोकगीत, लोक कथाएँ किसी भी एक झटके में खत्म हो जाएगी।

बीते सालों में हम अपनी करीब 300 बोलियों को भूल चुके हैं यानी ये बोलियाँ खत्म हो चुकी है और अब भी 196 बोलियों पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है । 2010 में यूनेस्को की इंटरेक्टिव एटलस की रिपोर्ट बताती है कि अपनी भाषाओं को भूलने में भारत पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर अमेरिका (192 भाषाएँ) और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया (147 भाषाएँ) है। दुनिया की कुल 6000 भाषाओँ में से 2500 पर विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है।यूनेस्को के एटलस ऑफ द वल्ड्र्स लैंग्वेजेस इन डेंजर के मुताबिक अकेले उत्तराखंड में ही देहरादून गढ़वाली, कुमाऊंनी और रोंगपो सहित दस बोलियाँ खतरे में है। पिथौरागढ़ की दो बोलियाँ तोल्चा व रंग्कस तो विलुप्त भी हो चुकी हैं। वहीं उत्तरकाशी के बंगाण क्षेत्र की बंगाणी बोली को अब मात्र बारह हजार लोग ही बोलते हैं जबकि पिथौरागढ़ की ही दारमा और ब्यांसी, उत्तरकाशी की जाड और देहरादून की जौनसारी बोलियाँ खत्म होने की कगार पर है। अब दारमा को 1761 लोग, ब्यांसी को1734, जाड को 2000 और जौनसारी को 114733 लोग ही बोलते-समझते हैं। एटलस के मुताबिक गढ़वाली कुमाऊंनी और रोंगपो बोलियाँ पर भी खतरा मंडरा रहा है। 279500 लोग गढ़वाली, 2003783 लोग कुमाऊंनी और 8000 लोग रोंगपो बोली के क्षेत्र में रहते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ रहने वाले सभी लोग ये बोलियाँ जानते ही हों।

मध्यप्रदेश में ही करीब दर्जनभर बोलियाँ विलुप्ति के मुहाने पर पंहुच चुकी है। प्रदेश की कुल आबादी का 35.94 फीसदी अब भी आंचलिक बोलियों पर ही निर्भर है लेकिन यहाँ आदिवासी बोलियों पर बड़ा संकट है। भीली, भिलाली, बारेली, पटेलिया, कोरकू, मवासी निहाली, बैगानी, भटियारी, सहरिया, कोलिहारी, गौंडी और ओझियानी जनजातीय बोलियाँ सदियों से बोली जाती रही है, लेकिन अब ये बीते दिनों की कहानी बनने की कगार पर है। प्रदेश के एक बड़े हिस्से करीब 12 जिलों में बोली जाने वाली मालवी भी अब दम तोडती जा रही है। मध्यप्रदेश के 8.58 फीसदी (51, 75, 793) लोगों की मातृभाषा मालवी है। उज्जैन में मुंशी प्रेमचंद के नाम पर बनी सर्जन पीठ के निदेशक साहित्यकार जीवन सिंह ठाकुर मानते हैं कि मालवी सहित आदिवासियों की अपनी बोलियों के उजड़ने की बात किसी बड़े हादसे से कम नहीं है पर इसे लेकर कहीं कोई पछतावा नजर नहीं आता है। यह हमारी सांस्कृतिक पहचान के खत्म होने की तरह है। म. प्र. आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान की सहायक अनुसंधान अधिकारी माधुरी यादव बताती हैं कि मध्यप्रदेश की 12 आदिवासी बोलियों पर

विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। दुखद है कि विश्वग्राम की कल्पना में हमने अपनी संस्कृति व बोलियों को ही बिसरा दिया, जबकि इन्हें साथ लेकर आगे बढने की बात होनी चाहिए. हम बोलियों को बचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने खत्म होती हुई बोलियों गौंडी, भीली और कोरकू के शब्दकोश और व्याकरण बनाई हैं। अब बैगानी, भिलाली, बारेली और मवासी पर काम चल रहा है।इनमें ज्यादातर आदिवासी बोलियाँ हैं। चिंता यह भी है कि अब आदिवासियों के बच्चे भी अपनी बोली सीखने से कतराने लगे हैं। हमारी हालत ठीक ऐसी है जैसे किसी बेटे को विरासत में समृद्ध खजाना मिले और वह अपनी नासमझी से उसे खत्म करता रहे तो उसे क्या कहेंगे, हम सब जानते हैं।

छत्तीसगढ़ में तो लोगों ने अपनी बोलियों और भाषा को बचाने के लिए आन्दोलन भी किया। रायपुर में विधानसभा के सामने हाथों में तख्ती लेकर और मुंह पर सफेद पट्टी बांधे लोगों ने प्रदर्शन किया। यहाँ सरकारी कामकाज में छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा छत्तीसगढी किए जाने को लेकर लंबे समय से आन्दोलन चल रहा है। 28 नवंबर 2007 में विधान सभा में इसे प्रदेश की राजभाषा का दर्जा मिला और प्रस्ताव था कि विधान सभा में विधायक और मंत्री भी छत्तीसगढ़ी का ही उपयोग करेंगे पर यह दो दिनों में ही बेअसर हो गया। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने साहित्यकारों और आम लोगों के साथ मौन रैली निकाली। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल बताते हैं कि हम अपनी बात लगातार शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं लेकिनं सरकार पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। हमें लगता है कि सरकार हमारी भाषा और संस्कृति को नष्ट करने की दिशा में है। वह यहाँ के लोगों की आदिम भाषा को अशिक्षितों की भाषा मानती है।

छत्तीसगढ़ राजभाषा मंच के संयोजक नन्दकिशोर शुक्ल बताते हैं कि राजभाषा आयोग का गठन तो किया गया पर अब तक इसके क्रियान्वयन के लिए न कोई समिति बनी और न ही कोई दफ्तर न कोई राजभाषा अधिकारी। राज्य में कोई बैनर तक नहीं लगया गया है। वे सवाल उठाते हैं कि न्यू टेस्टामेंट और लाइट ऑफ भागवत का अनुवाद तो छत्तीसगढ़ी में करवाया जाता है, एमए की पढाई छतीसगढ़ी में हो सकती है लेकिन पहली से पांचवी तक की बुनियादी पढाई-लिखाई को लेकर सरकार गंभीर नहीं है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष विनय पाठक भी दोहराते हैं कि वे पत्र भेज चुके हैं पर अब तक कुछ नहीं हुआ। उधर कुछ विधायकों ने बताया कि आदिवासी अंचल के कुछ प्रतिनिधि इस वजह से अपनी बात रखने में हिचकते हैं। छतीसगढ़ के विधायक और संसदीय सचिव राजू सिंह भी मानते हैं कि अन्य प्रदेशों की तरह ही छ.ग. विधानसभा में छत्तीसगढ़ी में ही बात होनी चाहिए. मैंने खुद अपनी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी में ही शपथ ली और आगे भी यही बोलता रहूँगा। हम अन्य भाषाओँ को भी पढ़ें-लिखें पर जरूरी है कि अपनी मातृभाषा को नहीं भूलें।

राजस्थान में आधा दर्जन बोलियाँ यूनेस्को की लुप्तप्राय बोलियों की सूची में शामिल है। राजस्थान के पश्चिम में मारवाड़ी के साथ मेवाड़ी, बांगडी, ढारकी, बीकानेरी, शेखावटी, खेराड़ी, मोहवाडी और देवडावाटी, उत्तर-पूर्व में अहीरवाटी और मेवाती, मध्य-पूर्व में ढूंढाड़ी और उसकी उप-बोलियाँ तोरावटी, जैपुरी, काटेड़ा, राजावाटी, अजमेरी, किसनगढ़ी, नागर चौल और हाडौती दक्षिण-पूर्व में रांगडी व सौंधवाड़ी (मालवी) तो दक्षिण में निमाड़ी बोली जाती है। घुमंतू जातियों की अपनी बोलियाँ हैं जैसे गरोडिया लुहारों की बोली-गाडी. इनमें ज्यादातर देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। मायण लिपि को मान्यता नहीं मिली है। राजस्थानी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अगस्त 2003 में राजस्थान विधानसभा ने संकल्प पारित किया है। भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर के पूर्व उप निदेशक प्रो. जे.सी. शर्मा बताते हैं कि बोलियाँ लगातार खत्म होने की कगार पर है। हमें आदिवासियों के बीच काम करते हुए इन्हें सहेजने की दिशा में महती काम करने की जरूरत है। अपने तई हमने कुछ प्रयास शुरू किए हैं। इनका अच्छा प्रतिसाद मिला है। बोली के साथ उसके परम्परागत ज्ञान को सहेजने की कोशिश कर रहे हैं।

आजादी के बाद जनजातियोंके विकास की दिशा में सोचने वाले कोशिश करते रहे हैं कि उनकी बोलियों के अस्तित्व को बनाए रखा जा सके। पश्चिम भारत की जनजातीय बोलियों को लेकर भाषा संशोधन प्रकाशन केंद्र बडौदा भी काम कर रहा है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाली आदिवासी जनजातियों की अर्थव्यवस्था, वन अधिकार, विस्थापन, परंपरा, खेती व सेहत से जुड़े ज्ञान आदि और इनके मौखिक साहित्य, गीत, कथाएँ आदि मुद्दों पर काम कर रही है। इसके लिए शोध और प्रकाशन भी किए जा रहे हैं।कहावत है कोस-कोस पर बदले पानी, सात कोस पर बानी... इसका अर्थ है कि हर सात कोस पर अंचलों में रहने-सहने के ढंग से लगाकर खानपान, रीति-रिवाज तक बदल जाते हैं और ये भिन्न भौगोलिक परिवेश और परिस्थितियों की वजह से होते है। इसलिए हमारे लोक का दायरा बहुत समृद्ध रहा है। इनका अपना पूरा तंत्र है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। लेकिन बीते सौ सालों में भाषा विज्ञानी ग्रियर्सन के बाद अब तक कभी बोलियों या भाषाओं का सर्वेक्षण तक नहीं हुआ।

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सवा अरब लोग 1652 मातृभाषाओं में बात करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा 42, 20, 48, 642 लोग (41.03फीसदी) हिन्दीभाषी हैं, राजस्थानी

शेष पृष्ठ संख्या 42 पर

शिशु की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो

बच्चा परिवार में रहकर माता – पिता, भाई – बहिन, मित्रों और पड़ोसियों से सुनकर सतत अनुकरण प्रक्रिया द्वारा जिस भाषा को अर्जित करता है, वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। वह अपने स्वभाव, आचरण, संस्कार और व्यवहार में अपनी माँ से ही भाषा को अर्जित करके आत्मसात करता है।आज शिशु विद्यालय जाते ही दो भाषाओं के चंगुल में फँस जाता है। पहली अपनी मातृभाषा तथा दूसरी एक अन्य भाषा जिससे वह पूर्णत: अपरिचित है। वह दूसरी भाषा मातृभाषा से बिल्कुल अलग होती है किन्तु बच्चे के समक्ष संकट यही है कि यह दूसरी भाषा ही उसकी शिक्षा का माध्यम बन जाती है। यह दूसरी भाषा प्राय: अँग्रेजी होती है जो अपने देश की भाषा नहीं है। बच्चा मातृभाषा के माध्यम से उस क्षेत्र के लोगों से मौखिक और लिखित रूप से विचार – विनिमय करता है। मातृभाषा या स्वभाषा ही बच्चे को सामाजिक स्वरूप प्रदान करती है और वस्तुत: यही उसकी शिक्षा का आधार होना चाहिए किन्तु विडम्बना यह है कि ऐसा नहीं हो रहा है और शिशुओं पर अँग्रेजी थोप दी जाती है और वे बेचारे यह अन्याय झेलने के लिए विवश हैं। मातृभाषा शिक्षा के समग्र उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सक्षम है और बच्चे के मानसिक, नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए सर्वथा उपयुक्त है तथा अन्य विषयों को सीखने एवं बोधगम्य करने में सहायक है, फिर भी अँग्रेजी के वर्चस्व के आगे नतमस्तक होने को विवश है।दु:खद स्थिति यह है कि बच्चों को अँग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ाने की होड़ लगी है। इससे बच्चों की दशा अत्यंत दयनीय हो गयी है। शिशु सुबह विद्यालय जाता है, दोपहर को ट्यूशन जाता है और शाम को गृहकार्य पूरा करता है। वह दिन रात पढ़ाई में लगा रहता है। उसका बचपन छीन लिया गया है, वह खेलकूद भूल गया है, बस एक कमरे में बंद होकर अँग्रेजी भाषा की रटाई करता रहता है। फिर भी अभिभावक-शिक्षक मीटिंग (पी टी एम) में जब अभिभावक जाते हैं तो प्रधानाचार्य और शिक्षक से यही सुनने को मिलता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है। इससे बच्चे का विकास रुक जाता है, उसकी चंचलता, कुशलता, आत्मविश्वास और उत्साह सब ठण्डे पड़ जाते हैं और उसकी शारीरिक एवं मानसिक विकास की गति मंद हो जाती है। वह प्रत्येक विषय में पीछे रह जाता है, उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियां तथा शक्तियां दब जाती हैं। ऐसे बच्चे पूरक शिक्षा (ट्यूशन) के विना आगे नहीं बढ़ पाते। अँग्रेजी स्कूलों के बच्चे अँग्रेजी में निपुणता नहीं प्राप्त कर पाते और अपनी भाषा – संस्कृति से कट जाते हैं । इस प्रकार बच्चों का धन, समय, श्रम तथा शक्ति अपव्यय हो जाती है, इससे राष्ट्र की अपार क्षति हो रही है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विचारणीय मुद्दा है।

मिसाइलमैन भारत रत्न डॉ. अब्दुल कलाम ने स्वयं स्वीकार किया है कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। अपनी मातृभाषा में बच्चे को पढ़ाना गौरव का विषय होना चाहिए। अन्य कोई भाषा मातृभाषा के ज्ञान के आधार पर सीखी जा सकती है। अत: होना यह चाहिए कि शिशु को मातृभाषा और मातृभूमि से प्यार करना सिखाएं, उसका आत्मगौरव जगाएं और पाश्चात्य संस्कृति से मुक्त करके भारतीय संस्कृति में ढालें। महान साहित्यकार बाबू भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इसी चेतना को जगाते हुए संदेश दिया था –

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को सूल
अँग्रेजी पढ़िके जदपि, सब गुन होत प्रवीन
पै निज भाषा ज्ञान बिनु, रहत दीन के हीन

प्रारम्भिक शिक्षा किसी विदेशी भाषा (अँग्रेजी) में ग्रहण करने पर व्यक्ति अपने परिवेश, परम्परा, संस्कृति तथा जीवन-मूल्यों से दूर हो जाता है और अपने पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान, शास्त्र, साहित्य आदि से अपरिचित होकर अपनी पहचान खो देता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए स्वभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए।

प्राथमिक शिक्षा का माध्यम अँग्रेजी जैसी क्लिष्ट अरुचिकर विदेशी भाषा होने के कारण बच्चा अपरिचित वातावरण में फँस जाता है। वहाँ उसे अपनी मातृभाषा बोलने पर अपमानित, दण्डित और लांछित किया जाता है। उसे 'ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार' रटना पड़ता है जिसका वह न तो अर्थ समझता है और न भाव। यदि बच्चा 'मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है' कविता गाता है तो उसको मछली और पानी समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। माँ उसे रात में स्वभाषा में लोरी सुनाती है, दादी मातृभाषा में बोधकथाएं सुनाती हैं, घर-परिवार के लोगों तथा मित्रों से अपनी भाषा में ही वार्तालाप करता है तब उसे आसानी भी होती है और अच्छा भी लगता है। मातृभाषा त्याग कर बच्चा बिना पंख का पक्षी हो जाता है। यदि उसके सभी विषय मातृभाषा में हों तो उनके अभिभावक जिनको मात्र मातृभाषा का ज्ञान है, वे उसका गृहकार्य पूरा करवाने में सहायता कर सकते हैं।हम अँग्रेजी के महत्व को स्वीकार करते हैं किन्तु बच्चों को शैशवावस्था से ही अँग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के पक्ष में नहीं हैं। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में अँग्रेजी भाषा की आवश्यकता है परन्तु इसके लिए दो-ढाई साल के शिशु पर मानसिक अत्याचार क्यों किया जाए। जब वह तरुण होगा तब अँग्रेजी भाषा आसानी से सीख लेगा। उस

स्थिति में उसे चिकित्सा, अभियांत्रिकी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन आदि पाठ्यक्रम पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी, इसके साथ वह पुस्तकालय और पुस्तकों के द्वारा भी ज्ञान अर्जित करने में सक्षम होगा। अत: पाँचवीं कक्षा से ही अँग्रेजी को एक विषय के रूप में पढ़ाना उचित होगा।

स्पष्ट है कि शिशु की प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा न होकर अन्य भाषा होने पर उसे दोगुना बोझ ढोना पड़ता है जिसके लिए वह मन-मस्तिष्क से तैयार नहीं होता। बच्चे का भाषिक चिन्तन समाप्त हो जाता है, उसे दूसरी भाषा सीखने के लिए रटना पड़ता है और दिन-रात तनाव में रहता है। इस प्रकार बौद्धिक विकास का प्रारंभिक वर्ष दूसरी भाषा को सीखने में व्यतीत हो जाता है । विचारों की उड़ान सपनों में ही होती है और सपने मातृभाषा में ही देखे जाते हैं। हमें शिशु - शिक्षा के माध्यम से अँग्रेजी को तुरंत हटा देना चाहिए जिससे अबोध शिशु भाषा की दोहरी मार से बच सके और वह अपनी भाषा को आत्मसात कर सके। मेरा महान शिक्षाविदों, सक्षम प्रशासन तथा सुधी अभिभावकगण से सादर आग्रह है कि वे शिशु की कोमल भावनाओं पर भाषायी आघात शीघ्र बन्द करें तथा उसे कुछ दिन मातृभाषा में हँसने - खेलने दें ।

शिशु का मन कोमल होता है, उस पर अधिक न बोझ बढ़ाओ
अपनी नाव स्वयं खेने दो, दो नावों पर नहीं चढ़ाओ
अँग्रेजी माध्यम होने से, बचपन छीन रही है शिक्षा
निज भाषा में पढ़ - लिख लेगा, रट्टू तोता नहीं बनाओ

-गौरी शंकर वैश्य 'विनम्र'

पृष्ठ संख्या 40 का शेष

बोलने वाले 1, 83, 55, 613 (1.78फीसदी) लोग हैं, जबकि म.प्र, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के 28, 672 वर्ग मील के बड़े क्षेत्र में भील रहते हैं पर भीली बोलने वाले 95, 82, 957लोग (0.93 फीसदी) और संथाली बोलने वाले तो मात्र 64, 69, 600 (0.63 फीसदी) लोग हैं। देश में 550 जनजातियाँ निवास करती है और इनकी बोलियाँ भी भिन्न है। कुछ जनजाति बोलियों को बोलने वालों की तादात तो घटकर अब हजारों में ही सिमटने लगी है। जनजातीय बोलियों को लिपिबद्ध किए जाने की अब तक कहीं कोई गंभीर कोशिश नहीं हुई है। इन्होने अपने वाचिक स्वरूप में ही हजारों सालों का सफर तय किया है।

भाषा और बोलियों को लेकर सरकारों का उदासीन रवैया भी एक बड़ा कारण है। कई जगह इसे लेकर अस्पष्ट नीतियाँ हैं। कुछ भाषाओँ को अनुसूची में शामिल किया गया है तो किसी को छोड़ दिया गया है। पढ़ाई-लिखाई में जब तक स्थानीय भाषाओं को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक भाषा को आगे बढ़ाने की बात बेमानी ही साबित होगी। खासतौर पर प्राथमिक शिक्षा में यह बहुत जरूरी है। बड़ा बदलाव यह भी आया है कि अब आदिवासी इलाकों और अंचलों में बच्चे स्कूलों में हिन्दी और अंग्रेजी तो सीख जाते हैं लेकिन अपनी स्थानीय बोलियों से वे लगातार कटते जा रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है सरकारी प्राथमिक शिक्षा और आँगनवाड़ियों में न तो कोई प्रयास हुआ और न ही सामुदायिक तौर पर इन समाजों ने इसकी चिंता की। एक वजह इनकी अपनी लिपि भी नहीं होना है, न ही कभी इसे सहेजने की कोशिश की गई. अब नई पीढ़ी में इन बोलियों को लेकर हीन भावना भी आती जा रही है।

बोलियाँ उन पर हिन्दी-अंग्रेजी के वर्चस्व, असंतुलित विकास, पलायन, शहरीकरण, बाजार, शिक्षा आदि की मार झेल रही हैं। खतरे में पड़ी इन भाषा-बोलियों का संरक्षण बहुत जरूरी है अन्यथा मानव समाज अपनी बहुमूल्य विरासत को खो देगा। हालाँकि अब सरकारी और स्वैच्छिक तौर पर इन बोलियों को सहेजने का जतन किया जाने लगा है। कुछ संस्थाएँ इनमें बेहतर योगदान कर रही हैं।

-मनीष वैद्य

भारत में प्रतियोगी परीक्षाएँ : आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता

आशीष अग्निहोत्री

भारत में लोकतंत्र को 'जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन' जैसी सामान्य परिभाषा से समझा जाता है। लेकिन देश में असंगत और भेदभावपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रणाली के कारण लोकतंत्र की परिभाषा के ठीक उलट वर्ग विशेष, भाषा विशेष के चयन की इबारत लिखी जा रही है। देश में समूह 'क' से लेकर समूह 'घ' तक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग जैसे आयोगों द्वारा परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। इन परीक्षाओं का एक उद्देश्य है कि कार्य की पूर्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन करना। देश में शिक्षा में सुधार हेतु आजादी के बाद से आज तक लगातार प्रयत्न चल रहे हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में समग्रता से सुधार हेतु कभी नहीं सोचा गया, जबकि अच्छी प्रणाली से चयनित उम्मीदवार ही किसी भी सुधार के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय राजस्व सेवा आदि के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है। ये परीक्षाएं समय-समय पर विभिन्न बदलावों से गुजरी हैं, वर्ष 2011 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा में सीसैट नाम का एक प्रश्न-पत्र जोड़ा गया और इस प्रश्न-पत्र के मूल में ही भेदभाव और दोष था, जिसके परिणामस्वरूप हिन्दी सहित अन्य भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व 5 प्रतिशत से भी कम हो गया। वर्ष 2014 में सरकार परिवर्तन के साथ दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों में युवाओं ने इस प्रश्न-पत्र के विरुद्ध आंदोलन किया, जिसमें एक वर्ष के सतत प्रयास द्वारा इस प्रश्न-पत्र को क्वालीफाइंग बनाया गया। अंग्रेजी विचार में जकड़ा संघ लोकसेवा आयोग अपने प्रश्न-पत्रों को एक समाचार-पत्र के इर्द-गिर्द ही रखकर अपनी योग्यता का परिचय देता है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में मूल प्रश्न-पत्र अंग्रेजी में बनता है और उसका हिन्दी में यांत्रिक अनुवाद दिया जाता है उदाहरण के लिए-स्टील प्लांट को लोहे का पौधा, टैबलेट को कम्प्यूटर गोली। ऐसे गलत अनुवाद के साथ हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के उम्मीदवारों से सफलता की उम्मीद पालना बेईमानी होगी।

कर्मचारी चयन आयोग की स्थिति तो आई.सी.यू. में पड़े मरीज जैसी है, जो दवा के साथ-साथ एक उम्मीद पर जिंदा रहता है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा 'संयुक्त स्नातक स्तरीय' होती है, इस परीक्षा से चयनित उम्मीदवार देश के विभिन्न-विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। प्रश्न-पत्रों का लीक होना आयोग के लिए एक सहज घटना बन चुकी है। वर्ष 2017 में आयोजित 'संयुक्त स्नातक स्तरीय' परीक्षा का परिणाम आज तक भी नहीं आ सका है। प्रधानमंत्री जी के 'न्यू इंडिया' के सपनों को वास्तविकता के पंख लगाने में कार्यपालिका की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है इसलिए कार्यपालिका हेतु कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के चयन प्रणाली में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इन्हीं सुधारों के लिए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास वर्ष 2011 से लगातार प्रयास कर रहा है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के प्रयासों से केंद्र सहित कई राज्यों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। इसी क्रम में 18 अगस्त को शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और इंदिरा गांधी केन्द्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मिलकर प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधारों हेतु राष्ट्रीय विमर्श आयोजित कर रहे हैं। इसमें सम्पूर्ण देश से शिक्षाविद्, प्रशासनिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघचालक मोहन राव भागवत , शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी एवं भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह जी भी उपस्थित रहेंगे। आशा है इस मंथन से उपजा अमृत आने वाले समय में भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की दशा और दिशा में एक महत्वपूर्ण अवयव साबित होगा।

-आशीष अग्निहोत्री,
सहायक संपादक, चाणक्य सिविल सर्विसेस टुडे पत्रिका

हिन्दी अकादमी, दिल्ली द्वारा प्राप्त 'विशिष्ट योगदान सम्मान पत्र' के साथ पत्रिका के सह सम्पादक, सागर समीप, उप सम्पादक राजकुमार श्रेष्ठ एवं अकादमी के अध्यक्ष, सुधाकर पाठक

नई शिक्षा नीति लागू करने की चुनौती

अरविन्द जयतिलक

गत सप्ताह पहले मशहूर अंतरिक्ष विज्ञानी के. कस्तुरी रंगन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञों की कमेटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप सरकार को सौंप दिया है। विशेषज्ञों की कमेटी ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जिन पर गौर फरमाना आवश्यक है। कमेटी ने सुझाव दिया है कि सेमेस्टर सिस्टम की तर्ज पर बोर्ड परीक्षाएं भी साल में दो बार करायी जाएं तथा छात्रों को बोर्ड परीक्षा में विषयों को दोहराने की अनुमति देने के लिए एक नीति गढ़ी जाए । छात्रों को इस बात की सुविधा मिलनी चाहिए कि उसे जिस सेमेस्टर में लगता है कि परीक्षा देने के लिए तैयार है, उस समय उसकी परीक्षा ली जानी चाहिए यानी उसे लगता है कि वह बाद में और बेहतर कर सकता है तो उसे परीक्षा देने का एक और विकल्प देना चाहिए। कमेटी ने इस बात की भी सिफारिश की है कि चूंकि आज का युग कंप्यूटर एवं तकनीक का है, लिहाजा कंप्यूटर आधारित परीक्षा और पाठ्यक्रम कौशल विकास पर आधारित होना चाहिए। कमेटी ने नर्सरी से पांचवीं तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाई कराने और एक से अठारह वर्ष आयु तक के बच्चों को मुफ्त गुणवत्तायुक्त शिक्षा दिए जाने की वकालत की है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के अधिकार को पहली कक्षा की अपेक्षा नर्सरी, वहीं आठवीं के बजाए 12वीं तक का विस्तार करने का सुझाव शामिल है। मौजूदा स्कूल पाठ्यक्रम और पुस्तकों में गणित, राजनीति, समाज, मनोविज्ञान, चिकित्सा, खगोलशास्त्र, दर्शनशास्त्र एवं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की बोध कराने वाली भारतीय भाषाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, विशेषज्ञों की कमेटी ने और अन्य महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जैसे- विश्व का शीर्ष दो सौ संस्थाओं के कैंपस भारत में खोले जाएं और नालंदा, तक्षशिला की तर्ज पर भारतीय प्राचीन विश्वविद्यालयों को आगे बढ़ाया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भंग कर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग अधिनियम-2018 बनाया जाए। बड़े पैमाने पर मल्टी डिस्पलिनेरी विश्वविद्यालय और कॉलेज खोले जाएं जिसमें एक साथ कई विषयों का अध्ययन हो सके। पाठ्यक्रमों में साहित्य, भाषा, इतिहास, खेल, योग, आयुर्वेद और संगीत का समावेशन हो ताकि छात्रों का समावेशी विकास हो सके।

कमेटी ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कोष बनाने का सुझाव दिया है ताकि छात्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।कमेटी ने गरीब छात्रों को शुल्क मुक्त शिक्षा देने की व्यवस्था पर जोर देने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी गठित करने की सिफारिश की है। इसके अलावा, स्नातक प्रोग्राम में तीन व चार वर्षीय डिग्री का सुझाव भी शामिल है। सुझाव में यह भी कहा गया है कि चार वर्षीय डिग्री प्रोग्राम में पढ़ाई करने के बाद छात्र को एक साल में ही परास्नातक की डिग्री मिलने की सुविधा होनी चाहिए। एम.फिल प्रोग्राम खत्म करने के साथ लिबरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तहत बैचलर ऑफ लिबरल आर्ट्स, बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन डिग्री विद् रिसर्च शुरु करने का सुझाव दिया गया है। कमेटी ने देश में सकारात्मक शिक्षा को विकसित, क्रियान्वित और मूल्यांकित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन पर बल दिया है। इस बात पर भी जोर दिया है कि शिक्षा और सिखाने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने को मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति के सुझावों में निजी स्कूलों को अपनी फीस-ढांचा तय करने की आजादी के साथ इस बात पर भी जोर दिया गया है कि निजी संस्थानों द्वारा फीस का ढांचा तय करते वक्त मनमानीपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। उसका नजरिया मानवीय होना चाहिए। अकसर देखा जाता है कि निजी शैक्षणिक संस्थान हर वर्ष डवलपमेंट और इंन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर फीस में वृद्धि कर देते हैं। कमेटी ने इस पर नियंत्रण लगाने की बात कही है। कमेटी की मानें तो निजी शैक्षणिक संस्थानों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि महंगाई दर एवं उसके दूसरे अन्य कारणों को ध्यान में रखकर ही शुल्क में वृद्धि करें। साथ ही कमेटी ने राज्य सरकार को जिम्मेदारी सौंपी है कि वह हर तीन साल बाद निजी शैक्षणिक संस्थानों की फीस-ढांचे का परीक्षण करे। दो राय नहीं कि कमेटी का सुझाव शिक्षा को गुणवत्तापरक और विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में अहम है लेकिन बात तब बनेगी जब इसे मूर्तरूप दिया जाएगा। लेकिन नई शिक्षा नीति लागू करने से पहले जमीनी सच्चाई भी समझनी होगी। यह किसी से छिपा नहीं है कि केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा में सुधार की प्रतिबद्धता के बावजूद शिक्षण संस्थान संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं और अध्यापकों की भारी कमी से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है।

आज देश के तकरीबन सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भारी कमी है। मानव संसाधन मंत्रालय के आंकड़ों पर ही गौर करें तो देशभर के एक हजार से ज्यादा केंद्रीय स्कूलों में तकरीबन 12 लाख से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं लेकिन छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की भारी कमी है। कमोवेश यहीं हालात देश के सभी राज्यों के शिक्षण संस्थानों का भी है। तकनीकी शिक्षण संस्थान भी शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। अभी गत वर्ष ही मानव संसाधन मंत्रालय की एक रिपोर्ट से उद्घाटित हुआ कि देश में एक लाख से अधिक सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो मात्र अकेले शिक्षक के

भरोसे चल रहे हैं। गत वर्ष जी.के. चड्ढा पे रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट से भी उद्घाटित हुआ कि देशभर में 44.6 फीसदी प्रोफेसरों के पद और 51फीसदी रीडरों के पद रिक्त हैं। इसी तरह 52 फीसदी पद लेक्चरर के रिक्त हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 48 से 68 फीसदी शिक्षकों के सहारे पठन-पाठन का काम चलाया जा रहा है। इस तरह देश तकरीबन 14 लाख शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। गौरतलब है कि देश में सरकारी, स्थानीय निकाय और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों के 45 लाख पद हैं। लेकिन स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत आठ राज्यों में ही शिक्षकों के 9 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 3 लाख से अधिक शिक्षकों की कमी है। दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह भी कि उपलब्ध शिक्षकों में भी तकरीबन 20 फीसद शिक्षक योग्यता मानकों के अनुरुप नहीं हैं। एक आंकड़े के मुताबिक सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त शिक्षकों में 6 लाख अप्रशिक्षित हैं।अकेले बिहार में 1.90 लाख और उत्तर प्रदेश में 1.24 लाख शिक्षक जरुरी योग्यता नहीं रखते। छत्तीसगढ़ में 45 हजार और मध्यप्रदेश में 35 हजार अप्रशिक्षित शिक्षकों के भरोसे काम चलाया जा रहा है। इसी तरह की समस्या से झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम समेत अन्य राज्य भी जूझ रहे हैं, जबकि शिक्षा अधिकार कानून में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और हर स्कूली छात्र को प्रशिक्षित शिक्षकों से पढ़ाने का प्रावधान है। पिछले दिनों एक मामले में देश की शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों को कहा कि छात्रों को प्रशिक्षित शिक्षकों से पढ़ाया जाए। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध शिक्षक भी अपने उत्तरदायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अकसर शिक्षकों के शिक्षण संस्थानों से गायब रहने की खबरें सुर्खियां बनती हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो 2006-07 में केंद्र सरकार द्वारा कराए गए एक सर्वे में प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ 81.07 फीसद और 2012-13 में 84.3 फीसद ही शिक्षक उपस्थित मिले यानी 15 से 20 फीसद शिक्षक शिक्षा परिसर से गायब रहे। उसी का कुपरिणाम है कि बच्चों को समुचित शिक्षण लाभ नहीं मिल पा रहा है और वे पढ़ाई में बेहद कमजोर हैं। अन्य कई रिपोर्टों से भी उद्घाटित हो चुका है कि देश के 53 फीसद से अधिक बच्चे दो अंकों वाले घटाने के सवाल हल करने में सक्षम नहीं हैं। आधे से अधिक बच्चे गणित विषय में बेहद कमजोर हैं। भाषा पर भी उनकी पकड़ को कमजोर बताया गया है। कहा गया कि चार में से एक युवा एक वाक्य तक नहीं पढ़ सकता। भारत में शिक्षा किस तरह से बदहाल है इसी से समझा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र की एजुकेशनल फॉर ऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग 2013-14 की एक रिपार्ट में कहा गया है कि भारत में निरक्षर युवाओं की संख्या तकरीबन 28 करोड़ 70 लाख है। गौर करें तो यह आंकड़ा दुनियाभर के निरक्षर युवाओं की कुल संख्या का तकरीबन 37 फीसद है। हालांकि रिपोर्ट में शिक्षा की बदहाली के कई कारण गिनाए गए हैं लेकिन शिक्षा पर होने वाले खर्च में भारी असमानता को सर्वाधिक रुप से जिम्मेदार माना गया है। उदाहरण के तौर पर केरल में प्रति व्यक्ति शिक्षा पर खर्च लगभग 685 डॉलर यानी 42000 रुपए है वहीं बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में 6000 या इससे भी कम है। रिपोर्ट में कहा गया कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में गरीबी के कारण 70 फीसद और मध्य प्रदेश में 85 फीसद गरीब बच्चे पांचवी तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। चिंताजनक तथ्य यह भी कि देश में शिक्षा का अधिकार कानून तथा सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं के बावजूद लाखों बच्चे स्कूली शिक्षा की परिधि से बाहर हैं।

वर्ष 2014 में कराए गए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण के अनुसार 6 से 14 साल की आयु समूह में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 60.64 लाख थी। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट से भी उद्घाटित हुआ कि भारत 2030 तक सबको शिक्षा देने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक हालात इसी तरह बने रहे तो सबको प्राथमिक शिक्षा 2050 तक, सेकेंडरी शिक्षा 2060 तक और अपर सेकेंडरी शिक्षा 2085 से पहले मिलना कठिन है। गौरतलब है कि भारत ने 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल्स को 2030 तक हासिल करने के संकल्प पर हस्ताक्षर किया था। लेकिन अब यह लक्ष्य काफी दूर दिखने लगा है। आज देश में 6 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा हासिल नहीं है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या 1.11 करोड़ है जो दुनिया में सर्वाधिक है। इसी तरह अपर सेकेंडरी शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों की तादाद 4.68 करोड़ है। यह स्थिति तब है जब देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू है और सर्व शिक्षा अभियान पर अरबों रुपए खर्च किया जा रहा है। मानव संसाधन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 16 फीसद बच्चे बीच में ही प्राथमिक शिक्षा और 32 फीसद बच्चे जूनियर हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि 60 फीसद छात्र तीसरी कक्षा उत्तीर्ण करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 3 से 6 साल की उम्र के देश के 7 करोड़ 40 लाख बच्चों में से 2करोड़ प्री-स्कूल शिक्षा से वंचित हैं। इनमें से अधिकांश छात्र निर्धनतम परिवारों और सीमांत समुदायों से आते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्प संख्यक समुदायों में इस आयु वर्ग के बौद्ध एवं नवबौद्ध समुदायों के 18.2 फीसद, जैन 12.4 फीसद, सिख 23.3 फीसद, ईसाई 25.6 फीसद, हिंदू 25.9 फीसद तथा मुस्लिम समुदाय के 34 फीसद बच्चे प्री-स्कूल शिक्षा से वंचित हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति के 52 फीसद बच्चे आंगनवाड़ी जाते हैं

शेष पृष्ठ संख्या 47 पर

वाचिक परम्परा का ह्रास और लुप्त होती भाषाएँ

डॉ. मृणालिका ओझा

वाचिक परंपरा किसी राष्ट्र की सबसे समृद्ध विरासत होती है। सारी कला, संस्कृति, भाषा, बोली, ज्ञान-विज्ञान और मानव जीवन के उद्‌गम से लेकर विकास और संघर्ष तक के सूत्र इसमें उपलब्ध होते हैं। साहित्य का मूल स्त्रोत जनजातीय वाचिक परंपरायें ही हैं। यही कारण है कि किसी भाषा या बोली का विलुप्त होना, एक सांस्कृतिक-ऐतिहासिक विरासत का विलुप्त होना माना जाता है। जन-जातीय भाषा-बोली पर विचार करें तो वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप इनके विलोपन में तीव्रता आयी है। यूनेस्कों की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 97% लोग केवल 4% भाषा बोली बोलते हैं, जबकि शेष 3% लोग दुनिया की 96% भाषा-बोली के बोलने वाले हैं। इस बात की चिंता आज विश्वव्यापी है कि इस सदी में लगभग 100 भाषा-बोलियों के लुप्त होने की संभावना है। भारत की बात करें तो अनेक सर्वे करने के बाद यह अनुमान किया जा रहा है कि अब भी भारत में 1100 से अधिक भाषायें हैं, किन्तु केवल 780 भाषाओं को ही खोजा जा सका है और शेष 320 विलुप्तप्राय होने की संभावना है। मैं अपनी बात 'छत्तीसगढ़' पर केन्द्रित कर कहना चाहूँगी। यदि भाषा और बोली के पूर्व हम केवल शब्दों पर ही जाएँ तो अनेक शब्द लोकजीवन से विलुप्त हो रहे हैं। शब्दों का लुप्त होना, बोली या भाषा के पंगु होने की तरह है। इससे अभिव्यक्ति की क्षमता क्षरित होने के साथ-साथ भाषा का उपयोग और वर्चस्व कम हो जाता है। उपयोगिता कम होने के कारण वह धीरे-धीरे दूसरी बोली-भाषा में संविलयित हो जाती है। छत्तीसगढ़ में आर्य व द्रविड़, दोनों भाषा परिवार की बोली-भाषायें हैं। यहाँ के मुण्डा भाषिक परिवार में 'गदबा' प्रजाति के लोग 'गदबी' बोली बोलते थे, जो कि अब लुप्त हो चुकी है। ठीक इसी तरह प्राचीन बस्तर राज्य जब 'चक्रकोट' के नाम से अभिहित हुआ करता था, तब यहाँ एक घुम्मकड़ प्रजाति 'सैनिक' के नाम से जानी जाती थी। यह प्रजाति लुप्त हो चुकी है और उनकी बोली भी। ऐसा माना जाता है कि इसी प्रजाति के लोग बाद में 'बस्तर' में कृषि कार्य हेतु हल चलाने के कारण 'हल्बा' नाम से जाने गये और 'हल्बी' इन्हीं की बोली है। आज यह 'हल्बी' बोली पूरे बस्तर प्रक्षेत्र की प्रमुख बोली है। अब इसकी लोकप्रियता ने भतरी को प्रभावित किया है। इसके प्रभावस्वरूप भतरी बोलने वालों की संख्या कम हो रही है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में मुरिया, माड़िया, दोरला, परजा, घुरवा, हल्बा और भतरा आदिम प्रजातियां थीं। माड़िया भी दो प्रकार की बोली जाती थी। एक 'अबूझ' माड़िया अर्थात् पहाड़ी माड़िया और दूसरा 'दंडामी' अर्थात मैदानी माड़िया। ठीक इसी तरह चक्रकोट की मुरिया बोली भी दो प्रकार की थी। एक राजा मुरिया और दूसरा घोटुल या गोड़ मुरिया। अब मुरिया को इन रूपों में चिन्हित कर पाना दु:साध्य ही नहीं अपितु लगभग असंभव है। हल्बी के अंतर्गत् मिरगानी, चंडारी, तिकड़ी, घसिया एवं भतरी आदि बोलियां हैं। इनमें भतरी बोलने वाले आसानी से उपलब्ध होते हैं, लेकिन हल्बी से प्रभावित है। भतरी का वाचिक साहित्य भी बहुत संपन्न है। भतरी बोली के 'चइत परब' और 'छेरछेरा परब' के लोकगीत और दोहे आज हल्बी बोली में गाये जाने लगे हैं। इसी तरह हल्बी बोली के लछमी जगार, तीजा जगार, आठे जगार आदि अब भतरी में उपलब्ध हैं, जो कि हल्बी का भ्रम उत्पन्न करते हैं। ये तो वाचिक परंपरा के परब गीतों की बात हुई। अब यदि कहावतों पर नजर डालें तो भतरी की एक कहावत है- "दन बुनला भीम, पानी देला इंदर।" इस कहावत में एक प्राकृतिक ऐतिहासिक घटना छिपी हुई है जो छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर अंचल में 'भीमा देव' की लोककथा के नाम से प्रचलित है। अब देखते हैं ददरिया की दो पंक्तियाँ -

"चिरई मं सुंदर पतरेंगवा, साँप सुंदर मनिहार।
रानी मं सुंदर दसमत कैना, रूप मोहै संसार।"

हो सकता है आने वाले समय में 'पतरेंगवा पंछी' और 'मनिहार साँप' भी लुप्त हो जाएँ। इस प्रकार इन दो पंक्तियों में, पर्यावरण और इतिहास और साथ ही 'दसमत कैना' का इतिहास जानने की इच्छा जागृत होती है। दोनों की झलक मिलती ही है। अब इस हल्बी गीत में ही देखिए:

"नारंगी नदी चो फुलगोभी, दिखि सुंदरों ।"

इस गीत में नारंगी नदी का उल्लेख हुआ है। इसी तरह 'डोमकच' भी एक विशिष्ट गीत शैली है। जो अब अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। आगे हम लोककथा के क्षेत्र में देखें तो सुरगुजा क्षेत्र की एक लोककथा है। इसमें 'लागुर उरांव' नामक किसान, 'बीगु बनिया' और 'सेरदाग गाँव' का भी उल्लेख हुआ है। बाद में पता चला कि यह एक सच्ची घटना थी, जो समाचार-पत्रों में भी कभी प्रकाशित हुई थी। इसका एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह 'घना उरांव' भी था। उन दिनों शिकार विरोधी कानून को लेकर आदिवासियों और प्रशासन के बीच जंग छिड़ी थी। उस समय सैनिकों ने जो गोलियाँ चलाई थीं उसमें बारूद नहीं, पानी भरा था। इसका उल्लेख लोकगीतों में भी है। इसी विषय पर बात कहते हुए एक प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक श्री जयप्रकाश चौकसे का मानना है कि- "व्यक्तिगत प्रतिभा परंपरा से प्रेरणा लेती है और अपने योगदान से परंपरा को ही मजबूत बनाती है। यही प्रतिभा और परंपरा का रिश्ता है।"

वाचिक परांपरा के संरक्षण और विकास से हमें जनजातीय संस्कृति के अंतर्गत उनके इतिहास, स्थापना, विस्थापन, आर्थिक उपादान, कृषि, औजार, हथियार, खेलकूद, प्राकृतिक ज्ञान, खान-पान, लोक विश्वास, साहित्य, आयुर्वेद विज्ञान और तकनीकी तक की जानकारी मिल सकती है। लोकवार्ता की सभी विधाएँ, यहाँ तक कि 'लोक-खेल-गीतों' का भी शोध और संरक्षण आवश्यक है। जनजातियों के ताली बजाने एवं मुँह से ध्वन्यात्मक संकेतों के अतिरिक्त एक प्रकार की भाषिक सार्थकता भी होती है। इनसे भी तथ्य संग्रह किए जा सकते हैं। आजकल प्राचीन समय के जनजातीय शस्त्रों के नाम भी लगभग लुप्तप्राय हैं, अत: वे धीरे-धीरे हमारी परंपरा से भी निष्कासित हो रहे हैं। जैसे-बिसहर बान, सांगा, गोफना, संड, टब्बल-टबली आदि। इसी तरह खेलकूद संबंधी अनेक शब्द जैसे-'पुक' अर्थात 'गेंद' लुप्तप्राय है। कभी यह छत्तीसगढ़ में विशेषण की तरह भी प्रयुक्त हुआ करता था। इसी तरह टेंही पारना, हंड़िया करना, ठेठरी होना जैसे मुहावरों का प्रयोग भी वाचिक परंपरा में कम हो रहा है। इसी तरह बस्तर का एक शब्द है 'डालामिरी'। इसे 'डारामिरी' भी कहते हैं। गुंडाधुर ने आदिवासियों में आंदोलन का संचार करने के लिए आम की डाल में मिर्ची बांधकर एक तरह से गांव-गांव में संदेश भिजवाया। संदेश भेजने की यह लोकरीति 'डारामिरी' है। इसके पीछे भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना छिपी है।

'ई-मेल' की वजह से पांडुलिपियों का महत्व भी कम हो गया है किन्तु वाचिक परंपरा में जनजातीय पूर्वजों और उनके भी पुरखों की 'कथन-शैली' भाषा-बोली के शब्द विशेष के साथ आज भी सुरक्षित है। अंत में यही कहना चाहूंगी कि लुप्तप्राय भाषा-बोली और वाचिक परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास फिर होना चाहिए, जैसा कि इंग्लैंड में हुआ है। वहाँ एक लुप्त भाषा को फिर से जीवित किया गया है। आज उसके बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसी तरह बची हुई भाषा-बोलियों का ऑडियो-वीडियों बनाकर उन्हें संरक्षित करना चाहिए। विभिन्न भाषा-भाषियों को चाहिए कि वे एक-दूसरें की भाषाओं का अपमान न करके उन्हें सीखें और संरक्षित करें, तब ही भाषा और बोलियां संपन्न और विकसित होगी और उन्हें लुप्त होने से बचाया जा सकेगा।

-डॉ. मृणालिका ओझा

पृष्ठ संख्या 45 का शेष

जब कि 26.9 फीसद बच्चे पूर्व शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसी तरह निर्धनतम परिवारों के 51.9 फीसद बच्चे आंगनवाड़ी जाते हैं तथा 34.9 फीसद बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तकनीकी शिक्षण संस्थानों का हाल भी बेहद चिंताजनक है।

हर वर्ष 60 हजार भारतीय छात्र इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए विदेशी शिक्षण संस्थानों की ओर रुख कर रहे हैं। एक वक्त था जब इंजीनियर बनने का सपना देखने वाला हर छात्र यही चाहता था कि उसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी यानी आई.आई.टी. में दाखिला मिले। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में युवाओं की सोच में बदलाव आया है और उनकी नजर में अब आई.आई.टी. को लेकर पहले जैसा आकर्षण नहीं है। इसके लिए संस्थानों में शिक्षकों का अभाव और संसाधनों की भारी कमी मुख्य रुप से जिम्मेदार है। अभी पिछले दिनों ही उद्योग संगठन एसोचेम के एक अध्ययन-पत्र में कहा गया कि शिक्षा में सुधार की रफ्तार अगर ऐसी ही रही तो भारत को विकसित देशों की तरह अपनी शिक्षा के स्तर को शीर्ष पर ले जाने में 126 साल का समय लगेगा। उसने अपने सुझाव में यह भी कहा है कि शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की जरुरत है और शिक्षा बजट जीडीपी का 6 फीसद किया जाना आवश्यक है। अगर बजट बढ़ता है तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिभा का स्रोत होगा। उचित होगा कि नई शिक्षा नीति लागू करने के साथ-साथ शिक्षण संस्थानों को संसाधनों से लैस किया जाए और शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाए।

-अरविंद जयतिलक

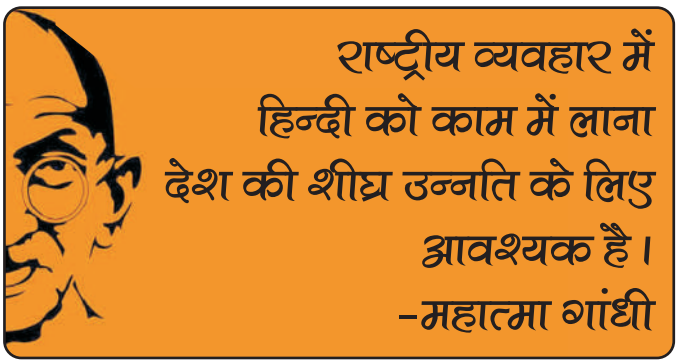

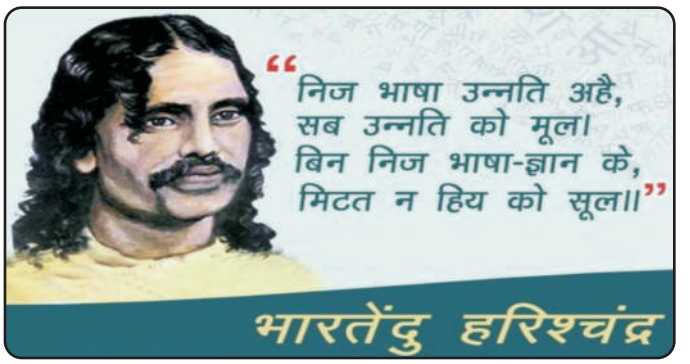

भारत और नेपाल के सम्बंध में अवधी का योगदान तथा नेपाल में अवधी भाषा साहित्य

मिथिलेश कुमार जायसवाल

भारत और नेपाल का संबंध भगवान श्री राम और माता सीता के समय से चलता आ रहा है । किसी भी क्षेत्र की पहचान और उसके विकास में भाषा का सबसे बड़ा योगदान होता है । भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जन्मी भाषा जिसे हम अवधी कहते हैं,अवध क्षेत्र की भाषा होने से इसका नाम अवधी हुआ । अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी के जेष्ठ पुत्र भगवान श्री राम का विवाह नेपाल के जनकपुर धाम के राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ, जिसमें अवधी भाषा का बहुत बड़ा योगदान रहा ।

भारत के बहराइच, अयोध्या, बलरामपुर, सीतापुर, श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, अमेठी, सुल्तानपुर और लखीमपुर सहित लगभग 18 जिलों में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अवधी है । नेपाल के बांके, बर्दिया, कंचनपुर, दांग, नवलपरासी और लुंबिनी सहित कई जिलों में अवधी भाषा बोली जाती है । अवधी भाषी क्षेत्र की रिश्तेदारी अधिकतर सीमा के इस पार से उस पार तक फैली हुई है । रोजी-रोजगार करने वाले व्यापारी जैसे फल बेचने वाले,कपड़ा बेचने वाले, बर्तन बेचने वाले, मजदूरी करने वाले भारत से नेपाल और नेपाल से भारत को आते-जाते रहते हैं,यहां यह कहना सार्थक होगा कि अवधी भाषा के चलते भारत और नेपाल के बीच रोटी-बेटी के रिश्ते को मजबूती मिली है । नेपाल में अवधी बोलने वाली मुख्य जातियों में मुसलमान, बाभन, बनिया, भुर्जी, कुम्हार, लोहार, सुनार, कहार, गोडिया, चमार और खटीक आदि आते हैं । नेपाल सरकार ने नेपाल में अवधी को संवैधानिक दर्जा दे रखा है जिसके अंतर्गत नेपाल में कक्षा एक से कक्षा दस तक पाठ्यक्रम तैयार कर विद्यालयों में अवधी शिक्षा को लागू किया जा चुका है । नेपाल में नेपाली भाषा के साथ-साथ क्षेत्रीय और मातृभाषा अवधी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है ।

नेपाल में अवधी भाषा के अध्यापक रखे गए हैं, अवधी में पढ़ाई हो रही है । इस पहल से नेपाल में अवधी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है । इसी तरह नेपाल में अवधी भाषा साहित्य संस्कृति को बचाने और बढ़ाने में कुछ संस्थाएं भी काम कर रही हैं जैसे काठमांडू में नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान के माध्यम से श्री विक्रम मणि त्रिपाठी जी अवधी जगत में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अवधी पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं साथ ही हिन्दी की कहानियों को अवधी में अनुवाद करके प्रकाशित कर रहे हैं । इसी तरह नेपाल के बांके जिले में अवधी संस्कृत प्रतिष्ठान केंद्रीय कार्यसमिति बांके के अध्यक्ष श्री विष्णु लाल कुमार जी अवधी भाषा सहित संस्कृत के लिए लगभग पांच दशक से दिन-रात मेहनत कर रहे हैं । अवधी संदेश नामक अर्ध वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन कर रहे हैं, सावन में सप्तमी के दिन अवधी महोत्सव करके संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म दिवस मनाते हैं साथ ही भारत और नेपाल की अवधी हिन्दी कलमकारों को मंच देते हुए सम्मानित भी करते हैं । श्री विष्णु लाल जी अवधी के लिए बहुत काम कर रहे है । नए-नए साहित्यकार सामने आने लगे हैं । श्री विष्णु लाल कुमाल जी ने अवधी के लिए एक और भी बड़ा काम किया है नेपाल में आज से लगभग 15 साल पहले रेडियो बागेश्वरी एफ.एम. चैनल की स्थापना कराई और स्वयं अवधी कार्यक्रम 'द्वारेक जमघट' का संचालन करने लगे । विष्णु जी के साथ में श्री लोकनाथ वर्मा, कृपाराम वाडिया सहित कई लोग साथ में आए ।

बागेश्वरी एफएम का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम 'द्वारेक जमघट' का प्रसारण आज भी निरंतर हो रहा है जिसमें अवधी भाषा साहित्य, संस्कृति और जन जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम प्रसारण किए जाते हैं, । धीरे-धीरे करके नेपालगंज के बांके और बर्दिया जिले में कई एफ.एम. चैनल जैसे बागेश्वरी एफ.एम., भेरी आवाज एफ.एम. जन आवाज, कृष्णा सार, फुलवारी खुले और बम्बई एफ.एम. से 3 घंटे का अवधी कार्यक्रम संचालित किया जाता है । इसी तरह लोकनाथ वर्मा जी का साहित्य में बड़ा योगदान रहा उन्होंने कक्षा एक से आठ तक के पाठ्यक्रम स्वयं तैयार किए जो नेपाल के सरकारी विद्यालयों में शामिल किए जा चुके हैं ।

गोस्वामी जी द्वारा रचित श्रीरामचरितमानस जिसकी मूल भाषा अवधी है विश्व में श्रीरामचरितमानस को हजारों भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है । नेपाल के आदिकवि भानुभक्त आचार्य ने 200 वर्ष पहले ही श्रीरामचरितमानस का अनुवाद नेपाली भाषा में किया था । भानुभक्त आचार्य को नेपाल का तुलसीदास कहा जाता है। अंततः आज यह गर्व से कहा जाता है कि भारत और नेपाल के बीच जो रोटी-बेटी का रिश्ता है उसमें अवधी का बहुत बड़ा योगदान है ।

मिथिलेश कुमार जायसवाल

विशेष रिपोर्ट

केंद्रीय हिन्दी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली एवं हिन्दी विभाग, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के संयुक्त तत्वावधान में

दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन सम्पन्न

केंद्रीय हिन्दी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली एवं हिन्दी विभाग, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन संपन्न ।

केंद्रीय हिन्दी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली एवं हिन्दी विभाग, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 7 व 8 जून 2019 को संपन्न हुआ । संगोष्ठी का उद्घाटन देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति श्री शरद पारधी के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्जवलन के साथ हुआ। संगोष्ठी कुल 6 सत्रों में 70 से अधिक शोधपत्र वाचन के साथ 8 प्रांतों एवं उत्तराखण्ड के 11 जिलों के लगभग 200 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा संपन्न हुआ । संगोष्ठी का समापन केंद्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक प्रो. अवनीश कुमार के विशेष उद्बोधन एवं प्रमाण-पत्र वितरण के साथ हुआ।

उद्घाटन के अवसर पर माननीय कुलपति श्री शरद पारधी जी ने कहा कि साहित्य का धर्म नए विचार को समाज में पहुंचाना है। केंद्रीय हिन्दी निदेशालय की सहायक निदेशक अंजू सिंह ने केंद्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना व योजनाओं पर प्रकाश डाला। दे.सं.वि.वि. के स्कूल ऑफ इण्डोलॉजी के डीन प्रो. सुरेश वर्णवाल ने साहित्य और समाज के संबंध को महत्वपूर्ण बताया। स्कूल ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डीन प्रो. अभय सक्सेना ने कहा कि आज प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति को महत्व देने की आवश्यकता है। इसी माध्यम से यह संगोष्ठी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए लाभप्रद साबित होगी। भारतीय भाषा संकाय के संकायाध्यक्ष प्रो. राधेश्याम चतुर्वेदी ने कहा कि कालजयी साहित्य हृदय से सृजन किया जाता है, जो हजारों साल तक समाज का मार्गदर्शन करता है। हिन्दी विभागाध्यक्ष और संगोष्ठी के संयोजक डॉ.नरेन्द्र प्रताप सिंह ने सेमीनार के प्रयोजन एवं कार्य योजना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि साहित्य के नवसृजन की प्रेरणा और समाज को दिशा देने में ऐसे कार्यक्रम उपयोगी होते हैं। अन्य सत्रों में विभिन्न विषयों पर विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रो. शेषारत्नम् (विशाखापट्टनम, आंध्रप्रदेश), प्रो. अवधेश कुमार शुक्ल (महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वर्धा), प्रो. कुसुम सिंह (महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना, मध्यप्रदेश), डॉ. देवेन्द्र सिंह (बनारस), डॉ. सुभाष चन्द्र कुशवाहा (काशीपुर), सुधाकर पाठक (दिल्ली), डॉ. रमेश तिवारी (दिल्ली), डॉ. पवन विजय (दिल्ली), डॉ. वीरेन्द्र बर्त्वाल, डॉ. निशा वालिया, डॉ. सुशील उपाध्याय, प्रो. सुखनंदन सिंह, प्रो. दिनेश चन्द्र चमोला ने अपने-अपने विचार रखे। इस अवसर पर दे.सं.वि.वि. में उप-कुलसचिव डॉ. स्मिता वशिष्ठ ने भारतीय सिनेमा में बदलते समाज का परिदृश्य पर व्याख्यान दिया। संगोष्ठी में शिक्षा विभाग की अध्यक्ष डॉ. ममता अरोड़ा, योग विभाग के समन्वयक डॉ. अमृत लाल गुरवेन्द्र, विश्वविद्यालय के आचार्य एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।

आगामी आयोजन

'मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह (दिल्ली प्रदेश)

विजय कुमार शर्मा
सह सम्पादक

भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्द्धन और प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित संस्था 'हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी' विगत कुछ वर्षों से देश के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है । अकादमी अपने प्रतिष्ठित वार्षिक आयोजनों जैसे 'काव्य प्रतिभा खोज','हिन्दुस्तानी भाषा साहित्य समीक्षा सम्मान', 'हिन्दुस्तानी भाषा काव्य प्रतिभा सम्मान', 'गीतोत्सव', शिक्षकों के लिए कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ एवं परिचर्चाएं आदि के माध्यम से भाषा, साहित्य, संस्कृति और समाज के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है । अपने स्थापना काल से ही अकादमी पृथक शैली के साथ समाजोत्थान हेतु अपनी सक्रिय भागीदारी और जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है ।

हमारा यह अभियान भाषा को समर्पित है, अत: हमने भाषा की जड़ों तक पहुँचने का संकल्प लिया । अकादमी का मानना है कि किसी भी देश की भाषा और संस्कृति की जड़ें उस देश के विभिन्न विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र ही होते हैं । यही भविष्य के कर्णधार हैं । यदि विद्यालयी स्तर से ही इनमें भाषा का बीज बोया जाए तो ही भाषा का प्रचार-प्रसार और संरक्षण संभव है । आज जिस तरह से अँग्रेजी भारतीय भाषाओं को दरकिनार कर रही है कल यह देश के लिए एक भावी संकट उत्पन्न कर सकती है । अंग्रेजी के रोजगार की एकमात्र भाषा का एकाधिकार होने से देश के बहुल क्षेत्रों में बोली जाने वाली हिन्दी भाषा पर इस समय संकट मंडराया हुआ है । आज पूरा देश आँख मूँदकर अंग्रेजियत को अपनी प्रतिष्ठा मानने लगा है जबकि भविष्य में इसके क्या दुष्परिणाम होंगे कोई उसकी कल्पना तक नहीं करना चाहता । भविष्य में जब भाषा का अकाल पड़ेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी । जब हमारी आँख खुलेगी तब तक हमारी सनातन परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, साहित्य और कला धराशायी हो चुकी होगी । हमारे पास गर्व करने के लिए हमारी अपनी भाषा तक नहीं होगी । इन्हीं भावी दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए अकादमी ने अपने वार्षिक आयोजनों में एक और योजना को सम्मिलित किया । इस योजना को 'मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह' नाम से संबोधित किया गया । इस योजना में 10 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में हिन्दी विषय में 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को 'भाषा दूत सम्मान', शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 'भाषा रत्न सम्मान' तथा सर्वाधिक प्रविष्टि भेजने वाले विद्यालय को 'भाषा प्रहरी सम्मान' से विभूषित किया जाता है । इसी तरह छात्रों को हिन्दी पढ़ाने वाले हिन्दी शिक्षकों को भाषा गौरव शिक्षक सम्मान से अलंकृत किया जाता है ।

पिछले दो वर्षों से अकादमी गुरुग्राम, गाजियाबाद और दिल्ली जैसे देश के अलग-अलग क्षेत्रों में इसका सफल आयोजन कर चुकी है । इस आयोजन के कई सफल प्रयोग भी हुए हैं जिससे विद्यालयों में भाषा के प्रति छात्रों तथा अभिभावकों में निसंदेह जागरूकता एवं अभिरुचि बढ़ी है। 3 दिसंबर, 2017 में जब पहली बार 'मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह' को दिल्ली प्रदेश के अणुव्रत भवन में आयोजित किया गया था तब केवल कुल 250 मेधावी छात्रों की ही सहभागिता थी । उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सीसोदिया जी उपस्थित थे । किन्तु दूसरे वर्ष 3 फरवरी, 2018 को 'मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह' को संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ प्रतिष्ठित सरकारी संस्था 'इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र' के सहयोग से संस्था के विशाल प्रांगण में आयोजित किया गया तो हमें जो परिणाम मिले वे वास्तव में हमारे लिए ही नहीं बल्कि सभी हिन्दी प्रेमियों के लिए गर्व का विषय था । इस पूरे आयोजन में लगभग 2500 लोगों की उपस्थिति थी जिसमें उत्साहजनक रूप में 150 विद्यालयों के लगभग 1800 मेधावी छात्रों की सहभागिता थी तो वहीं 32 ऐसे मेधावी छात्र थे जिन्होनें हिन्दी विषय में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे ।

इस वर्ष का तृतीय 'मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह' को लेकर अकादमी को कौतुहलता के साथ-साथ और भी ज्यादा उत्सुकता है क्योंकि इसी वर्ष गुरुग्राम में दूसरी बार जब इस आयोजन की घोषणा की गयी तो वहाँ से भी उत्साहजनक लगभग 870 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई हैं जिनमें से 31 ऐसे मेधावी छात्र थे जिन्हें शत-प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं जो कि गत वर्ष की तुलना में दुगुनी उपलब्धि है । गत वर्ष गुरुग्राम में 450 मेधावी छात्रों की सहभागिता थी जिनमें कुल 3 मेधावी छात्रों को शत-प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे । इतनी उत्साहजनक सहभागिता को देखते हुए यह कल्पना कर पाना मुश्किल हो रहा है कि इस वर्ष दिल्ली प्रदेश के आयोजन में इसका आकार कितना और बढ़ेगा ? दिल्ली प्रदेश के आयोजन से अकादमी ने अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना में बहुत बड़ा बदलाव किया है जिसके तहत विभिन्न विद्यालयों के छात्रों को कोई भी एक भारतीय भाषा (पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, बंगाली, तेलुगू, कन्नड़, तमिल आदि) में अपनी प्रविष्टि भेजनी होगी । यह आयोजन दिसम्बर-जनवरी माह में होना प्रस्तावित है ।

हिन्दी अकादमी, दिल्ली सरकार के वर्ष 2018-19 के वार्षिक पुरस्कार के कुछ चित्र

B.K. SETHI

+91-9654274072
+91-8745920612

NationsBook .in

Online Book Store

www.nationsbook.in info.nationsbook@gmail.com

अब आप www.nationsbook.in पर कम्प्यूटर या लैपटॉप से
ऑनलाइन पुस्तकों का ऑर्डर करें और घर बैठे पुस्तकों को प्राप्त करें ।

Categories are available

* Spritual * Hindi Literature * Poems * Ghazals
* Science and Technicals * Novels * English Literature * Text Books
* Art Books * English Books * Media Books Etc.

Office : 7/253, Ground Floor, Sant Nirankari Colony, Delhi-110009

RNI No. : DELHIN/2017/73904

हिन्दी अकादमी, दिल्ली

'विशिष्ट योगदान सम्मान'

हिन्दी के प्रचार-प्रसार के हमारे अभियान को मिला सम्मान

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित संस्था)

पंजीकृत कार्यालय : 3675, राजा पार्क, रानी बाग, दिल्ली-110034

दूरभाष : 09873556781, 09968097816

E-mail : info@hindustanibhashaakadami.com
hindustanibhashabharati@gmail.com
Website : www.hindustanibhashaakadami.com